क्षेत्र	परियोजना का नाम	पूंजी निवेश	क्षमता	ईएमपी स्वीकृति	जहाँ लंबित है
राजमहल	शिमलांग विस्तार (ओसीपी पर)	92.28	2.30	पत्रांक जे-11015/ 2011-I एवं II एम दिनांक 15.7.2011 के द्वारा टीओआर प्राप्त	ईआईए / इएमपी डाटा जनरेशन की तैयारी हेतु सीएमपीडीआईआर आई - 1 आसनसोल

एम ओई एफ की अधिसूचना के तहत 31 कोयला खदानों / परियोजनाओं के लिए पर्यावरणस्वीकृति ईसीएल को पहले ही प्राप्त हो गया है। फिर भी एमओईएफ द्वारा 2006 में संशोधित अधिसूचना के तहत पुराने / 1994 के पहले के खदानों के लिए पर्यावरण स्वीकृति भी जरूरी है। तदनुसार क्लस्टर अवधारणा के तहत ईसीएल 1994 के पहले के खदानों की पर्यावरण स्वीकृति लेना प्रारंभ कर दिया है। तथा अबतक 9 क्लस्टर के लिए टीओआर स्वीकृति एमओईएफ द्वारा मिल चुकी है। 12 क्लस्टरों के लिए ईएसी बैठक सम्पन्न हुई है।

क्लस्टर सं.	खदानों की संख्या	ईएमपी स्वीकृति की स्थिति	में लंबित
2.	तीन	पत्रांक जे-11015/37/2011-1ए (एम) दिनांक 19.5.2011 द्वारा टीओआर प्राप्त	डाटा जेनरेशन एवं इ आईए/ईएमपी के लिए कारवाई सीएमपीडी आई आर आई I द्वारा
10.	उन्नीस	पत्रांक जे-11015/180/2011-1ए (एम) दिनांक 30.9.2011 द्वारा टीओआर प्राप्त	-----
1.	ग्यारह	पत्रांक जे-11015/78/2011-1 ए II (एम) दिनांक 02.12.2011 द्वारा प्राप्त संशोधित टीओआर	-----
9	पन्द्रह	पत्रांक जे-11015/38/2011-1 ए (एम) दिनांक 02.12.2011 द्वारा प्राप्त संशोधित टीओआर	-----
12	उन्नीस	पत्रांक जे-11015/76/2011-1 ए (एम) दिनांक 02.12.2011 द्वारा प्राप्त संशोधित टीओआर	-----
5	दो	पत्रांक जे-11015/288/2010-1 ए II (एम) दिनांक 29.02.2012 द्वारा प्राप्त संशोधित टीओआर	-----
6	नौ	पत्रांक जे-11015/385/2011-1 ए II (एम) दिनांक 29.02.2012 द्वारा प्राप्त संशोधित टीओआर	-----

7	चार	पत्रांक जे-11015/106/2011-1 ए II (एम) दिनांक 29.02.2012 द्वारा प्राप्त संशोधित टीओआर	-----
8	सात	टीओआर संशोधन के लिए ईएसी बैठक दिनांक 23.01.2012 को सम्पन्न	एमओईएफ
3	तीन	ईएसी बैठक दिनांक 22.02.2012 को सम्पन्न	एमओईएफ
4	चार	ईएसी बैठक दिनांक 22.02.2012 को सम्पन्न	एमओईएफ

वायु प्रदूषण नियंत्रण सुविधा की स्थिति :

ईसीएल के पास ज्यादातर भूमिगत खदानें हैं जहाँ वायु प्रदूषण कम है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग एवं कोयले का परिवहन है। खनन उपकरणों को इस प्रकार डिजाईन किया गया है ताकि कम मात्रा में धूल उत्सर्जित हो तथा उत्पादन स्थल पर यह दब जाता है। ड्रीलिंग एवं कोयला कटिंग के पूर्व जल का छिड़काव किया जाता है तथा ब्लास्टिंग वैज्ञानिक तरीके के से किया जाता है। यह इस तरह डिजाईन किए हुए पैटर्न पर होता है कि कम धूल निकले, कम भूमि कम्पन तथा कम धुआँ निकले। कोयला परिवहन के पूर्व जल छिड़काव किया जाता है। कोयले के स्थानांतरण स्थल पर जल छिड़काव फिट किया रहता है ईसीएल के पास कुछ खुली खानें जैसे राजमहल, सोनपुर बजारी, चित्रा (इ), मोहनपुर, जामबाद एवं ओसीपी का कुछ छोटा पैच है। सभी ओसीपी के पास मोबाईल जल छिड़काव की व्यवस्था है जिसके द्वारा हॉल रोड को गीला रखा जाता है ताकि धूलकण दबा रहे। कुछ फिक्स जल छिड़काव की व्यवस्था सीएचपी साईडिंग एवं अन्य स्थानांतरण स्थल पर रहते हैं।

जल प्रबंधन :

जल श्रोत का विकास :

लंबित एवं अन्य ठोस पदार्थ को हटाने के लिए सेटलिंग टैंक होकर खदान के जल को गुजारा जाता है। इस जल को औद्योगिक एवं अन्य उद्देश्य के लिए पुन: उपयोग में लाया जाता है। 2011-12 के दौरान सोनपुर बजारी एवं राजमहल ओसीपी के बेस वर्कशाप के ट्रीटमेंट प्लांट को चालू कर दिया गया है। राष्ट्रीकरण के समय से ही ईसीएल के पास कई परित्यक्त खदानें हैं जो जल से परिपूर्ण हैं। इस परित्यक्त पिटों के जल का उपयोग रानीगंज एवं मुगमा कोयला क्षेत्र में जल श्रोत की तरह व्यवहृत होता है। इससे जल सारणी के रख-रखाव में मदद मिलती है।

क) **पेय जल :**

जल से भरे हुए कई पुराने ओसीपी का उपयोग अपने कर्मचारियों एवं आस पास के ग्रामीणों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु किया जाता है। ईटापारा में प. बंगाल के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा परित्यक्त खदान के जल का उपयोग किया जा रहा है। वेस्ट बाराबनी से फिल्टर किए गए जल की आपूर्ति 15164 आबादी को किया जाता है। झारखंड के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा मुगमा क्षेत्र के राजपुरा एवं हरियाजाम के खुली खदानों से पानी लिया जाता है। इस जल की आपूर्ति निरसा प्रखंड की जनता को किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक खदान से 1 लाख गैलन पानी प्रतिदिन निकाला जाता है।

ख) **छोटी सिंचाई गतिविधियां :**

ईसीएल पट्टा क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा परित्यक्त खदानों के जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा रहा है। प. बंगाल सरकार द्वारा कई ओसीपी जैसे पांडवेश्वर क्षेत्र का पुराना पुरुषोत्तमपुर ओसीपी, कजोड़ा क्षेत्र का पुराना रीयल जामबाद ओसीपी, सलानपुर क्षेत्र के पुराना अलकुशा गोपालपुर ओसीपी, पुराने डाबर ओसीपी एवं पुराना डालमियां ओसीपी के जल का उपयोग छोटी सिंचाई के लिए किया जा रहा है।

ग) **मत्स्य पालन :**

ईसीएल में सलानपुर क्षेत्र के 2 परित्यक्त ओसीपी डेबू एवं डालमिया तथा प. बंगाल मत्स्य विकास कारपोरेशन की भागीदारी से स्थानीय ग्रामीणों द्वारा मत्स्य पालन किया जाता है।

भूमि सुधार :

क) **खुली खदानों में खनन के साथ बैक फीलिंग**

खनन पद्धति के अभिन्न अंग के रूप में खनन संचालन के लिए जरूरी सक्रिय खनन क्षेत्रों को न्यूनतम छोड़ते हुए साथ साथ खुली खान में डीकोल्ड क्षेत्र में उत्खनन एवं बैक फीलिंग किया जाता है।

ख) **फ्लाई ऐश से फीलिंग :**

2011-12 में डीभीसी, मेजिया द्वारा कुलुस्तोडिया के परासिया ओसीपी में करीब7 लाख घनमीटर फ्लाई ऐश डंप किया गया है। एवं भरे गए छाई को 0.2 - 0.3 मीटर तक टॉप स्वायल से भरा गया है ताकि घास की वृद्धि हो सके।

ग) उपग्रह निगरानी द्वारा भूमि सुधार अध्ययन :

सीआईएल के निर्देशानुसार सीएमपीडीआई, रांची को उन कोयला खदानों जिसका उत्पादन 5 मिलियन टन (कोल + ओबी) से अधिक है – रिमोट सेंसिंग उपग्रह से भूमि सुधार मॉनिटरिंग के लिए काम पर लगाया गया है, तदनुसार दो परियोजनाओं – राजमहल (17 एमटीवाई) एवं सोनपुर बजारी (3 एमटीवाई) ओसीपी के लिए भूमि जीर्णोध्दार मॉनिटरिंग का कार्य 2008 से किया जा रहा है।

भूमि जीर्णोध्दार / सुधार मॉनिटरिंग का उद्देश्य परियोजना के बैकफिल्ड, वृक्षारोपन, सामाजिक वनरोपन, सक्रिय खनन क्षेत्र, वाटर बाडीज एवं वेस्टलैंड का वितरण, कृषि भूमि एवं वन का निर्धारण करना है। इससे खनन किए हुए भूमि सुधार की प्रगति स्थिति के निर्धारण तथा निवारक उपाय जो पर्यावरण सुरक्षा के लिए जरूरी है।

2011-12 के रिपोर्ट से जो स्पष्ट होता है :

i) दो परियोजनाओं – राजमहल एवं सोनपुर बजारी के कुल 39.44 किमी के पट्टक्षेत्र में से विश्लेषण के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि ओपन कास्ट परियोजनाओं के 70.92% क्षेत्र का पहले ही सुधार किया जा चुका है तथा शेष 29.08% क्षेत्र सक्रिय खनन के अन्तर्गत है।

ii) 2010 की तुलना में 2011 में भूमि सुधार की तुलना करने से यह स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार 7-12 कि०मी² (2010) से 8.82 कि०मी०² (2011) हुआ है। यह 1.70 कि०मी०² की जो बढ़ोत्तरी हुई है, वह मुख्य रूप से बैकफिल्ड क्षेत्र के कारण हुआ है। पर्यावरण सुरक्षा की तरफ ईसीएल द्वारा किए गए प्रयासों काही फल है कि भूमि सुधार क्षेत्र में वृद्धि हुई है।

iii) उपग्रह आँकड़े के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि राजमहल एवं सोनपुर बजारी में क्रमश: 64.90% एवं 77.94% क्षेत्रों का सुधार हुआ है। ईसीएल में उपरोक्त 2 परियोजनाओं में से सोनपुर बजारी 77.94% शीर्ष पर है। जिसके बाद राजमहल में 64.90% भूमि सुधार।

सीएमपीडीआई, आर आई - 1, आसनसोल के पर्यावरण प्रयोगशाला हेतु सुधार योजना –

कार्यकारी निदेशकों ने सीएमपीडी आई, आर आई - 1, आसनसोल स्थित वर्तमान प्रयोगशाला में सुधार की स्वीकृति दे दी है ताकि ईसीएल की सभी 111 खदानों (पहले सिर्फ 33) की पर्यावरण मॉनिटरिंग का कार्य लगातार जारी रहे। वार्षिक मॉनिटरिंग दर ईसीएल में वर्तमान सीपीसीबी दर पर करीब रू 451.24 लाख होता है।

सोनपुर बजारी ओसीपी एवं राजमहल ओसीपी को आईएसओ प्रमाणीकरण :

राजमहल ओसीपी एवं सोनपुर बजारी ओसीपी के लिए रू. 65,95,954.00 लाख की लागत पर सीएमपीडीआई, राँची को आईएसओ प्रमाणीकरण प्राप्त करने (आईएसओ 9001 : 2008, आईएसओ 14001 : 2004, ओएचएसएएस 18001 एवं एसए : 8000 : 2008) हेतु कार्य सौंपा गया है।

लगातार विकास गतिविधियाँ :

क्र०सं०	मूल्यांकन शर्त	यूनिट	लक्ष्य 2011-12	31.3.2012 कि उपलब्धि	अभ्युक्ति
1.	पौधा रोपन	लाख	1.60	1.95	वेस्ट लैंड डवलपमेंट बोर्ड एवं झारखण्ड वन विभाग द्वारा 78 एकड़ पौधा रोपन किया गया। यह बंकोला, सोनपुर बजारी, सतग्राम एवं मुगमा तक फैला है।
2.	इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (नए / चालू करने)	खदानों की संख्या	2	3	सोनपुर बजारी एवं राजमहल ओसीपी में कर्मशाला में ईटीपी चालू किया गया।
3.	ईसीएल कमान क्षेत्र में फ्लाई ऐश से परित्यक्त ओसीपी/धसांन क्षेत्र की बैक फीलिंग	लाख घन मीटर	6.30	7.00	डीभीसी, मेजिया द्वारा कुनुस्तोड़िया क्षेत्र में परासिया ओसीपी।
4.	लगातार विकास पर जागरूकता हेतु कार्यशाला	संख्या	1	1	सीआईटीएमसी, दिसरगढ़ में 28.9.11 को कार्यशाला सम्पन्न

वन स्वीकृति की स्थिति :

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम	वनभूमि हे० में	लागू होनी की स्थिति
1.	राजमहल	हुरा 'सी'	527.043	260 हे० के लिए पत्रांक 8-6 / 2009 - एफसी, दिनांक 9.9.11 द्वारा स्टेज स्वीकृत। स्टेज-II की स्वीकृति हेतु शर्तों का अनुपालन तैयार किया जा रहा है।
		चुपरबिटा	245.78	आवेदन एमओईएफ, नई दिल्ली के पास 5.1.2011 को अग्रसारित। भुवनेश्वर एमओईएफ कार्यान्वयन द्वारा स्थल निरीक्षण हेतु यूजर द्वारा डीजीपीएस सर्वे किया जा रहा है।

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम	वनभूमि हे० में	लागू होनी की स्थिति
2.	एसपीमाईन्स	चित्रा ईस्ट ओसीपी	124.28	एमओईएफ द्वारा स्टेज – I स्वीकृति पत्रांक एफ – 8 - 79 / 2009 एफसी, दिनांक 21.4.10 द्वारा मिला। स्टेज – II स्वीकृति प्राप्ति हेतु एमओईएफ के पास 15.9.11 को अनुपालन स्थिति स्टेज – I भेजा गया। एमओईएफ, नई दिल्ली द्वारा 11.11.2011 को तीन प्रश्न किए गए है, जिसका अनुपालन / उत्तर देना है।
		चित्रा वेस्ट ओसीपी	109.00	उचित प्रपत्र में स्टेज – I स्वीकृति हेतु आवेदन करना है।
3.	झांझरा	झांझरा	90.30	कोयला खनन परियोजना हेतु 90.30 हे० वनभूमि के लिए वनलीज का नवीकरण (2006 में समाप्त) आवेदन पीसीसीएफ द्वारा, वन सचिव, प. बंगाल को आवेदन अग्रसारित।
		झांझरा	78.00	आवेदन किया जाना है।

अनुलग्नक – V

कार्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट

1) **दर्शन :** पारदर्शिता, जवाब देही एवं सत्यनिष्ठा अच्छे कार्पोरेट गवर्नेंस के मुख्य घटक हैं। एक अच्छे कार्पोरेट नागरिक की तरह आपकी कंपनी कार्पोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों के अनुपालन में विश्वास करती है। ईसीएल सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत भारत के नागरिकों को उचित सूचना मुहैया करवाती है।

2) **निदेशक मंडल :**

क) **बोर्ड का गठन :**

हम कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के तहत एक सरकारी कंपनी हैं क्योंकि कोल इंडिया के पास संपूर्ण प्रदत्त अंश पूंजी मौजूद है। संघ के अनुच्छेदों के मुताबिक निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है।

कंपनी के संघ के अनुच्छेदों के तहत हमारे बोर्ड में तीन से कम एवं 15 से ज्यादा संख्या में निदेशक नहीं रहेंगे। ये निदेशकगण पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक या अंशकालिक हो सकते है। निदेशकों को अंशधारी रहना जरूरी नहीं है।

31 मार्च, 2012 को बोर्ड में 12 निदेशकगण हैं, जिनमें से अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक समेत 4 पूर्णकालिक निदेशक हैं। निदेशक (तक), कोयला मंत्रालय एक सरकारी नामित थे जो कोयला मंत्रालय का(31.5.2011 से) प्रतिनिधित्व करते थे। निदेशक (वित्त) सीआईएल को ईसीएल बोर्ड में नामित किया गया। बीआईएफआर ने 24.12.2010 से ईसीएल बोर्ड में एक विशेष निदेशक कर नियुक्ति की है।

सरकार द्वारा 24.6.2011 से ईसीएल बोर्ड में 4 अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों को नामित किया गया। 9.9.2011 से एक वित्तीय विशेषज्ञ के रूप में एक और अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक को नामित किया गया।

बोर्ड के निदेशकों के पास व्यापक अनुभव एवं दक्षता मौजूद है।

निदेशकगण :

वर्ष 2011-12 के दौरान श्री राकेश सिन्हा कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक थे। 2011-12 के दौरान कंपनी बोर्ड में अन्य

निदेशकों ने श्री ए. के. सिन्हा, श्री डी. एन. प्रसाद (31.5.2011 से), श्री के के गौतम, श्री सुब्रत चौधरी (24.6.2011 से), श्री के. के. मोहंती (24.6.11 से), प्रो० (डा०) एम. के. श्रीवास्तव (24.6.2011 से), श्री एस. एम. लोधा (24.6.2011 से), श्री एस. एम. शर्मा (9.4.2011 से), श्री एम. के. श्रीवास्तव, श्री एस. चक्रवर्ती, श्री एन. कुमार (31.01.2012 तक) एवं श्री ए. के. सोनी।

सेवा करार

सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। सभी पूर्ण कालिक कार्यकारी निदेशकों की अवधि एवं शर्तों का निर्णय कंपनी के संस्था के अनुच्छेदों के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता ह। बीआईएफआर ने ईसीएल बोर्ड में एक विशेष निदेशक की नियुक्ति की है तथा उनकी सेवा शर्तें बीआईएफआर द्वारा तय है। गैर सरकारी अंशकालिक निदेशकों की सेवा शर्तें कोयला मंत्रालय द्वारा तय की जाती हैं।

ख) बोर्ड की बैठक

निदेशक मंडल की बैठकें निदेशकों की सुविधा के लिए सामान्यतः सांकतोड़िया / कोलकाता में होती है। निदेशक मंडल एवं समितियों की बैठक के लिए कंपनी के पास स्पष्ट प्रक्रिया मौजूद है ताकि सुविधा एवं कुशल तरीके से निर्णय लेने में सुविधा हो।

31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की 8 बैठक हुई जबकि न्यूनतम आवश्यकता 4 बैठकें थी। बोर्ड बैठकों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है –

दिनांक	निदेशक मंडल							
	कार्यकारी		अंशकालिक सरकारी		अंशकालिक गैर सरकारी		कुल	
	क्षमता	उपस्थित	क्षमता	उपस्थित	क्षमता	उपस्थित	क्षमता	उपस्थित
16.05.2011	5	5	1	1	1	1	7	7
15.07.2011	5	5	2	2	5	4	12	8
05.08.2011	5	5	2	2	5	5	12	7
07.11.2011	5	5	2	1	6	5	13	6
29.12.2011	5	5	2	1	6	5	13	5
28.01.2012	5	5	2	1	6	6	13	6
15.2.2012	4	4	2	2	6	4	12	7
13.3.2012	4	4	2	1	6	5	12	8

क्रम संख्या	निदेशकगण	बोर्ड बैठक		अन्य डायरेक्टरशिप की संख्या
		अवधि के दौरान सम्पन्न बैठक	शामिल हुए	
	कार्यकारी निदेशकगण			
1.	श्री राकेश सिन्हा अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	8	8	शून्य
2.	श्री एस. के. श्रीवास्तव निदेशक (कार्मिक)	8	8	शून्य
3.	श्री एस. चक्रवर्त्ती निदेशक (तक) संचालन	8	8	शून्य
4.	श्री एन. कुमार निदेशक (तक) योजना एवं परि. (31.01.2012 तक)	6	6	शून्य
5.	श्री ए. के. सोनी निदेशक (वित्त)	8	8	शून्य
	अंशकालिक सरकारी निदेशक			
6.	श्री डी. एन. प्रसाद निदेशक (तक), कोयला मंत्रालय (31.05.2011 से)	7	6	2
7.	श्री ए. के. सिन्हा, निदेशक (वित्त) कोलइंडिया लि०	8	5	2
	बीआईएफआर द्वारा नियुक्त विशेष निदेशक			
8.	श्री के के गौतम	8	8	शून्य

क्रम संख्या	निदेशकगण	बोर्ड बैठक		अन्य डायरेक्टरशिप की संख्या
		अवधि के दौरान सम्पन्न बैठक	शामिल हुए	
	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (23.8.2010 तक)			
9.	श्री सुब्रत चौधरी (24.6.11 से)	7	5	1
10.	श्री एस. के. मोहंती (24.6.11 से)	7	7	0
11.	प्रो० (डा०) एम. के. श्रीवास्तव (24.6.11 से)	7	3	0
12	श्री एम. एम. लोधा(24.6.11 से)	7	7	7
13.	श्री एम.एम.शर्मा (9.9.11 से)	5	5	0

ग) निदेशक का पारिश्रमिक :

नाम	पदनाम	2011-12 के लिए पारिश्रमिक (राशि रू. में)		
		पारिश्रमिक पैकेज के सभी तत्व (वेतन, पैंशन, पीएफ, ग्रेच्युटि इत्यादि)	अन्य लाभ	कुल
श्री राकेश सिन्हा	अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक	3168541	253502	3422043
श्री एस के श्रीवास्तव	निदेशक (कार्मिक)	2839861	254055	3093916
श्रीएस. चक्रवर्ती	निदेशक (तक) संचालन	2701184	228839	2930023
श्रीएन कुमार	निदेशक (तक) योजना, परि. (31.1.2012 तक)	2566953	235697	2802650
श्री ए. के. सोमी	निदेशक (वित्त)	2362793	225390	2588183

ग) कार्यकारी निदेशकगण :

ii) अंशकालिक सरकारी निदेशकगण :

अंशकालिक आधिकारिक निदेशकगण को कंपनी द्वारा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता ।

ii) अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकगण :

सीटिंग शुल्क को छोड़कर अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। बोर्ड / समिति की बैठक में सीटिंग शुल्क का विवरण निम्नलिखित है –

क.सं.	**निदेशक का नाम**	**कुल सीटिंग शुल्क (भुगतान की गई) रू.**
1.	श्री के के गौतम	2,12,500.00
2.	श्री सुब्रत चौधरी	70,000.00
3.	श्री एस के मोहंती	1,50,000.00
4.	प्रो० (डा०) एम के श्रीवास्तव	70,000.00
5.	श्री एम एम लोधा	1,70,000.00
6.	श्री एम एम शर्मा	1,20,000.00
	कुल	**7,92,500.00**

3. बोर्ड समिति :

क) लेखा परीक्षा समिति :

आपकी कंपनी में एक स्वतंत्र लेखा परीक्षा समिति है। कंपनी द्वारा गठित लेखा परीक्षा समिति की संरचना, कार्यविधि, शक्तियाँ कंपनी अधिनियम 1956 का पालन करता है।

लेखा परीक्षा समिति के कार्यक्षेत्र :

1) कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का अवलोकन करना एवं इसके वित्तीय सूचना का प्रकटीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय है।

2) लेखा परीक्षा शुल्क के नियतन को बोर्ड के पास सिफारिश करना।

3) वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई कोई सेवा के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों के शुल्क के निर्धारण हेतु बोर्ड को सिफारिश करना।

4) स्वीकृति हेतु बोर्ड के पास जमा करने पहले लागू नियमों के साथ अनुपालन के वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा एवं सुनिश्चित करना कि

क) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 के खंड (2 एए) की शर्तों में बोर्ड के रिपोर्ट में शामिल निदेशकों की जिम्मेदारी विवरण में शामिल होने वाले मामले।

ख) लेखांकन नीतियों एवं पद्धति में कोई बदलाव।

ग) प्रबंधन द्वारा लिए गए फैसले को लागू करने पर आधारित आकलन जो बड़े लेखांकन प्रविष्टियों में शामिल है।

घ) लेखा परीक्षा तथ्यों में से प्राप्त वित्तीय विवरण में महत्वपूर्ण समायोजन।

ङ) वित्तीय विवरण से संबंधित वैधानिक जरूरत के साथ अनुपालन।

च) किसी पार्टी लेनदेन से संबंधित प्रकटीकरण।

छ) लेखा परीक्षा रिपोर्ट मसौदा में योग्यता।

ज) वित्तीय दशा का विश्लेषण तथा प्रबंधन चर्चा एवं संचालन का परिणाम।

5) स्वीकृति हेतु बोर्ड में जमा करने के पहले तिमाही वित्तीय विवरण। प्रबंधन के साथ समीक्षा।

6) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्पादन, प्रबंधन के साथ समीक्षा।

7) आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्य का पर्याप्तता की समीक्षा यदि कोई हो जिसमें आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की रचना, स्टाफिंग एवं स्टाफ की वरिष्ठता, आंतरिक लेखा परीक्षा की रिपोर्टिंग, कवरेज एवं बारंबारता तथा आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति / निष्कासन से संबंधित सूचना।

8) किसी महत्वपूर्ण तथ्य का आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा।

9) आंतरिक लेखा परीक्षकों / लेखा परीक्षकों / एजेंसियों द्वारा उन मामलों का आंतरिक अनुसंधान जहाँ किसी धोखाधरी या अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के फेल होने के तथ्य की समीक्षा तथा बोर्ड को रिपोर्ट करना।

10) लेखा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व, लेखा परीक्षा की प्रकृति एवं स्कोप साथ ही लेखा परीक्षा पश्चात चर्चा के बारे में वैधानिक लेखा परीक्षकों के साथ विचार विमर्श।

11) जमा कर्ताओं, डिबेन्चर होल्डरों, अंशधारियों (घोषित डिविडेंट भुगतान नहीं होने पर) एवं ऋणदाताओं के भुगतान में व्यापक गड़बड़ी के कारणों को देखना।

12) व्हिसल ओवर व्यवस्था के कार्य करने के ढंग की समीक्षा करना।

13) सी एण्ड एजी लेखा परीक्षा की टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा।

14) अपेक्षित सूचना के निर्धारण या गतिविधियों के स्कोप पर कोई प्रतिबंध समेत लेखा कार्य के दौरान कोई असुविधा, संघर्ष।

15) संसद के कमीटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा।

लेखा परीक्षा समिति का 15.01.2011 को पुन: पुनर्गठन किया गया जिसमें 3 अंशकालिक निदेशक, सर्वश्री पी आर मंडल, ए. के. सिन्हा, के के गौतम एवं एक कार्यकरी निदेशक श्री एस चक्रवर्ती, निदेशक (वित्त) संचालन शामिल है। बोर्ड द्वारा लेखा परीक्षा समिति का 15.7.2011 को पुन: पुनर्गठन किया गया जिसमे 2 अंशकालिक सरकारी निदेशक श्री ए के सिन्हा एवं श्री डी एन प्रसाद, तीन अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक – श्री एस के मोहंती, प्रो० (डा०) एस के श्रीवास्तव, एम एम लोधा, एक विशेष निदेशक श्री के के गौतम एवं एक कार्यकारी निदेशक श्री एस चक्रवर्ती, निदेशक (तक) संचालन।

लेखा परीक्षा समिति का 7.11.2011 को पुन: पुनर्गठन किया गया एवं श्री एस. एन. शर्मा, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक को वर्तमान सदस्यों के अतिरिक्त एक सदस्य बनाया गया।

निदेशक (तक) योजना परियोजना, निदेशक (वित्त) एवं महाप्रबंधक (आईए) लेखा परीक्षा समिति के स्थाई आमंत्रित है तथा कंपनी सचिव कमीटी के सचिव हैं।

लेखा परीक्षा समिति की उपस्थिति :

16.5.2011 के सम्पन्न पहली बैठक में श्री ए. के. सिन्हा समिति के अध्यक्ष बने एवं लेखा परीक्षा समिति के पुनर्गठन के साथ श्री एस. के मोहन्ती, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक शेष वर्ष के लिए अध्यक्ष थे। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की 8 बैठकें – 16.5.11, 5.8.11, 19.10.11, 6.11.11, 9.12.11, 28.1.12, 15.2.12 एवं 12.3.12 को सम्पन्न हुई।

लेखा परीक्षा समिति की बैठकों का विवरण निम्नलिखित है :

क्र.स.	सदस्य	सम्पन्न बैठक	लेखा परीक्षा समिति की संख्या
1.	श्री एस. के. मोहंती	7	7
2.	श्री ए के सिन्हा	8	6
3.	श्री डी. एन. प्रसाद	7	4
4.	श्री के. के. गौतम	8	8
5.	प्रो० (डा०) एम के श्रीवास्तव	7	4
6.	श्री एस. एम. लोधा	7	7
7.	श्री एस. एम. शर्मा	4	4
8.	श्री एस. चक्रवर्ती	8	8

ख) पारिश्रमिक समिति :

बोर्ड की 250 वीं बैठक में पारिश्रमिक समिति का गठन हुआ। इस समिति में श्री एस. के. महंती, श्री एस. एम. लोधा, प्रो० (डा०) एम. के. श्रीवास्तव, श्री के. के. गौतम एवं श्री एस. के. श्रीवास्तव शामिल हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव है।

समिति का कार्यक्षेत्र:

समय समय पर बोर्ड द्वारा रेफर किए गए मुद्दे का समिति निपटारा करेगी। वर्ष के दौरान समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

ग) विविध देनदारों पर समिति :

बोर्ड की 248 वीं बैठक में विविध देनदारों पर एक समिति गठित की गई। इस समिति मे श्री एस. एम. लोधा, श्री के. के. गौतम,

श्री एस. एम. शर्मा, श्री एस. चक्रवर्ती एवं ए. के. सोनी थे। समिति के अध्यक्ष श्री एस. एम. लोधा है एवं कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

2011-12 में विविध देनदारों 42 समिति की दो बैठकें 05.12.2011 एवं 12.03.2012 को सम्पन्न हुई। सभी सदस्य बैठक में उपस्थित थे।

घ) परियोजनाओं के मूल्य निरूपण, मूल्यांकन एवं स्वीकृति हेतु समिति :

बोर्ड की 246 वीं बैठक में मूल्यांकन, मूल्य निरूपण एवं परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु समिति का गठन हुआ। 2011-12 के दौरान केवल 2 बैठकें 19.10.2011 एवं 13.03.2012 को सम्पन्न हुई। समिति के अध्यक्ष श्री राकेश सिन्हा हैं। सदस्यों का विवरण एवं उपस्थिति निम्नलिखित हैं –

क्र.स.	सदस्य	सदस्यों की सेवा अवधि के दौरान सम्पन्न बैठक	बैठकों की संख्या जिसमें उपस्थित थे
1.	श्री राकेश सिन्हा	2	2
2.	श्री डी. एन. प्रसाद	2	1
3.	श्री के. के. गौतम	2	2
4.	श्री सुब्रत चौधरी	2	1
5.	श्री एस. एम. लोधा	2	2
6.	श्री एस. चक्रवर्ती	2	2
7.	श्री एन कुमार (31.1.2012 तक)	1	1
8.	श्री ए. के. सोनी	1	1
9.	श्री गोपाल प्रसाद	2	2

ङ) दीर्घ विकास पर समिति :

29 दिसम्बर 2011 को बोर्ड की 249 वीं बैठक में दीर्घ विकास पर एक समिति गठित की गई। समिति के अध्यक्ष श्री सुब्रत चौधरी हैं। 2011-12 के दौरान समिति की केवल एक बैठक 13.3.2012 को सम्पन्न हुई। सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित है –

क्र.स.	सदस्य	सदस्यों के संबंधित सेवाकाल के भीतर सम्पन्न बैठक	बैठकों की संख्या जिसमें वे शामिल थे
1.	श्री सुब्रत चौधरी	1	1
2.	श्री के. के. गौतम	1	1
3.	श्रीएस. एम. शर्मा	1	1
4.	श्री एस. के. श्रीवास्तव	1	1
5.	श्री एन कुमार (31.1.2012 तक)	0	0

च) अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर समिति :

29 दिसम्बर 2011 को सम्पन्न बोर्ड की 249 वीं बैठक में अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर एक समिति गठित की गई। समिति में श्री सुब्रत चौधरी, श्रीएस. एम. शर्मा, श्री के. के. गौतम, श्रीएस. के. श्रीवास्तव एवं श्री एन. कुमार (31.1.2012 तक) थे। श्री सुब्रत चौधरी समिति के अध्यक्ष हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं। वर्ष के दौरान समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

वैधानिक लेखा परीक्षक :

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के तहत वर्ष 2011-12 के लिए कंपनी के वित्तीय लेखा की लेखा परीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त निम्नलिखित चार्टर्ड लेखा परीक्षक फर्म का विवरण निम्नलिखित है -

वैधानिक लेखा परीक्षक :

1. मे० दत्ता सरकार एण्ड कं०, 7ए, किरण शंकर राय रोड, द्वितीय तल, कोलकाता - 700001

शाखा लेखा परीक्षक :

2. मे० लोधा एवं कंपनी, 14 गवर्नमेंट प्लेस ईस्ट, कोलकाता - 700069
3. राय घोष एवं एसोसिएट, 39, कालना रोड, बदामतला, वर्द्धमान, प. बंगाल - 713401
4. मे० एल बी झा एण्ड कं०, जीएफ - 1, गिलांडर हाउस, 8, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700001
5. मे० यू. एस. साहा एण्ड कं०, 35, बाहिर सर्वमंगला रोड, वर्द्धमान - 713101
6. डी पी सेन एवं कंपनी, 22, आशुतोष चौधरी एवेन्यु, द्वितीय तल, फ्लैट नं.22, मैगमा अपार्टमेंट, कोलकाता - 700019

वार्षिक सामान्य बैठक :

विगत 3 वर्षों के दौरान कंपनी के अंशधारियों की वार्षिक सामान्य बैठक का विवरण निम्नलिखित है :

वर्ष	तिथि एवं वर्ष	स्थान	उपस्थिति	विशेष संकल्प यदि कोई
2008-09 एजीएम	15.7.2009 11 बजे पूर्वाह्न	सांकतोड़िया	श्री एस. चक्रवर्ती, सीएमडी, ईसीएल श्री प्रदीप बंदोपाध्याय, वित्त प्रबंधक, सीआईएल श्री एस चक्रवर्ती, निदे (तक.) संचालन, ईसीएल	
2009-10	22.5.2010 11 बजे पूर्वाह्न	सांकतोड़िया	श्री एस. चक्रवर्ती, सीएमडी, ईसीएल श्री प्रबीर चक्रवर्ती, वित्त प्रबंधक, सीआईएल श्री एस. के. श्रीवास्तव, निदेशक (का०), ईसीएल श्री एस. चक्रवर्ती, निदेशक (तक) संचालन, ईसीएल श्री एन. कुमार, निदेशक (तक) योजना एवं परियोजना, ईसीएल	
2010-11	23.5.2011 11 बजे पूर्वाह्न	सांकतोड़िया	श्री राकेश सिन्हा, अप्रनि, ईसीएल श्री अनिरूद्ध पाल, वरिष्ठ अधिकारी (वित्त), सीआईएल श्री एस. चक्रवर्ती, निदेशक (तक), संचालन ईसीएल (लेखा परीक्षा समिति के सदस्य) श्री एन. कुमार, निदेशक (तक) पी एण्ड पी, ईसीएल श्री ए. के. सोनी, निदेशक (वित्त), ईसीएल	

उपरोक्त 3 वर्षों के दौरान सदस्यों की किसी भी सामान्य बैठकों में पोस्टल बैलट द्वारा कोई विशेष संकल्प प्रेरित नहीं हुआ।

लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष महोदय को वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना भेजी जा रही है ताकि वे बैठक में उपस्थित हो सके। उन्होंने बैठक में भाग नहीं लिया। फिरभी लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष ने सदस्य लेखा परीक्षा समिति को सुझाव दिया कि वे उनकी तरफ से 2008-09 एवं 2009-10 में उपस्थित हों, जिन्होंने बैठक में भाग लिया।

4. प्रकटन :

क) संबंधित पार्टी लेनदेन :

कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटीकरण के तहत पार्टियों के साथ लेन देन के क्रम में व्यापक तौर पर कंपनी के हित के विरूद्ध कोई विवाद नहीथा।

ख) निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आचार संहिता :

निदेशकों एवं वार्षिक अधिकारियों के लिए आचार संहिता को दिनांक 15 अक्टूबर, 2007 को कंपनी के निदेशक मंडल की 214 वीं बैठक में मंजूरी दे दी गई। इसे निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के नाम परिचालित कर दिया गया। तथा उनसे इसकी पुष्टि प्राप्त कर ली गई। इसे कंपनी के वेबसाईट www.easterncoal.gov.in पर भी अपलोड कर दिया गया।

ग) लेखांकन व्यवहार :

वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 1956 में दर्शाए गए जरूरी लेखांकन मानको एवं संबंधित प्रस्तुतीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए गए है।

घ) जोखिम प्रबंधन, धोखाधरी नियंत्रण तथा पहचान, प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण रपोर्ट :

उपरोक्त रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक समिति गठित कर गई है।

5) संचार का माध्यम :

कंपनी के संचालन एवं वित्तीय निष्पादन को कंपनी के वेबसाईट www.easterncoal.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। वार्षिक लेखा के अलावा लेखा के छमाही समीक्षा को भी कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा देखा गया।

6) लेखा परीक्षा अर्हता :

कंपनी का यह हमेशा प्रयास रहा है कि वह अनक्वालीफाईड वित्तीय विवरण प्रस्तुत करे। 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा पर वैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों का प्रबंधन के उत्तर को निदेशकों के प्रतिवेदन के संलग्नक के रूप में

तैयार किया गया है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के तहत भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्डस लि० के लेखा पर टिप्पणियों को भी संलग्नक किया गया है।

7) **बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण :**

अपेक्षित अनुभव के आधार पर कार्यकारी निदेशकगण अपने संबंधित क्षेत्रों के प्रधान हैं। वे कंपनी के बिजनेस मॉडल तथा जोखिम विवरण से भलीभांति परिचित है। अंशकालिक निदेशक भी कंपनी के बिजनेस मॉडल से सुपरिचित हैं।

8) **कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न :**

कंपनी का 100% शेयर कोल इंडिया के पास है।

9) **विसल ब्लोअर पालिसी :**

कंपनी अपने सभी व्यवसायिक गतिविधियों में नैतिक आचरण को बढ़ावा देती है। बोर्ड ने अवैध या अनैतिक आचरण की रिपोर्टिंग की व्यवस्था दी है। कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी के पास कानून के उलंघन, धोखाधरी या अनैतिक आचरण का शिकायत करने के लिए स्वतंत्र है। किसी कर्मचारी से प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा छानबीन समिति द्वारा किया गया। प्रबंधन के कर्मियों को यह हिदायत दी जाती है कि वे उक्त रिपोर्टिंग को गोपनीय रखें।

सत्यनिष्ठा समझौता के कार्यान्वियन के लिए कोल इंडिया द्वारा किए गए समझौता ज्ञापन की तर्ज पर मे० ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए 27 मार्च, 2008 को कंपनी के बोर्ड ने अपनी 218 वीं बैठक में मंजूरी दे दी।

निदेशकों का विवरण

सभी निदेशकों का संक्षिप्त सारवृत, विशिष्ट कार्यकारी क्षेत्रों में उनके अनुभव की प्रकृति तथा कंपनियों का नाम जिसमें उन्होंने अध्यक्ष, निदेशक, बोर्ड / समितियों के सदस्य रहें है, का विवरण निम्नलिखित है –

- **श्री राकेश सिन्हा** (57), ने नेशनल इंस्टीच्यूट आफ टेकनोलॉजी, रायपुर से 1977 में खनन अभियंत्रणा में स्नातक हैं। इनके पास प्रथम श्रेणी कोलियरी प्रबंधक का प्रमाण पत्र (कोल) भी है। उन्होंने 18नवम्बर, 1977 को कोल इंडिया में योगदान किया तथा इनकी तैनाती भारत कोकिंग कोल लि० में कनिष्ठ अधिकारी प्रशिक्षु के रूप में हुई। तत्पश्चात इन्होंने बीसीसीएल की विभिन्न खदानों में विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया जिस में महत्वपूर्ण मुनीडीह प्रोजेक्ट भी शामिल है जो भारत का प्रथम संपूर्ण यांत्रीकृत खदान है।

  श्री सिन्हा अप्रेल 1989 को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में स्थानांतरित हुए, जहाँ उन्होंने विभिन्न क्षमताओं जैसे – खान अधीक्षक / प्रबंधक, प्रोजेक्ट आफिसर, महा प्रबन्धक तथा निदेशक (तक) संचालन, SECL के तकनीकी सचिव के रूप कार्य किया। उन्होंने महत्वपूर्ण उच्च क्षमता गेवरा ओपेन कास्ट प्रोजेक्ट मे प्रोजेक्ट आफिसर के रूप में भी कार्य किया जहाँ 18.3.2007 को ओपेन कास्ट प्रोजेक्ट में उत्पादन 1.00 लाख टन के स्तर पर पहुँच गया, जो कोल इंडिया के इतिहास में किसी एक प्रोजेक्ट में एक दिन का अबतक का सर्वोच्च उत्पादन है। बाद में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नति के पश्चात उनका स्थानांतरण पुन: उनके पहले के कंपनी बीसीसीएल में हो गई तथा उन्होंने लोदना क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में अपना योगदान दिया।

  श्री सिन्हा सितम्बर, 2007 में भारत कोकिंग काल लि० में निदेशक (तक) के रूप में चुने गए तथा जुन, 2008 में निदेशक (तक) संचालन के रूप में योगदान दिया। उनके कुशल नेतृत्व में बीसीसीएल के विभिन्न आयामों में उल्लेखनीय प्राप्ति हुई।

  उनके प्रमाणित ट्रैक रिकार्ड एवं प्रबंधकीय क्षमता के कारण अगस्त 2010 में वे ईस्टर्न कोलफिल्डस लि० के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक के लिए चुने गए। उन्होंने 23 दिसम्बर 2010 को अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया

विभिन्न खनन अवस्थाओं में कार्य करने का खनन अभियंता के रूप में उनका विस्तृत अनुभव है। उन्होंने पावर्ड सपोर्ट लांगवाल उपकरण तथा आईएमआई दिल्ली द्वारा आयोजित विश्वव्यापी नेतृत्व कार्यक्रम के संदर्भ में यूरोप के विभिन्न देशों तथा चाईना का दौरा किया।

- **श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव** (58), मेरठ विश्वविद्यालय से 1971 में विज्ञान स्नातक की परीक्षा पास की। वे 1977 से कम्पनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के एसोसिएट सदस्य हैं एवं अभी आईसीएसआई की फेलो सदस्य हैं। वे मेरठ विश्वविद्यालय के विधि स्नातक भी हैं। उनके पास कार्मिक प्रबंधन एवं औद्योगिक संबंध की डिग्री है तथा वे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से मानव संसाधन प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किए हैं। श्रीवास्तव नेशनल इंस्टीच्यूट आफ पर्सनल मेनेजमेंट (एनआईपीएम) के आजीवन सदस्य भी हैं।

श्री श्रीवास्तव को विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रबन्धन के वरिष्ठ स्तर पर विभिन्न कार्य करने का पिछले 33 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अगस्त 1990 में कंपनी सचिव के पद पर कोल इंडिया लिमिटेड में पदभार ग्रहण किया एवं नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में उनकी तैनाती की गई। अक्टूबर 2006 में उनका स्थानांतरण वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में किया गया। उनको नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड दोनों जगहों पर बोर्ड स्तर के अधिकारियों एवं विभिन्न विभागीय प्रधानों के साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ एवं कार्मिक प्रबंधन तथा औद्योगिक संबंध समेत कोयला उद्योग के सभी पहलुओं में अपना अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने 01 फरवरी 2008 से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक कार्मिक के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया।

श्री श्रीवास्तव एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टॉफ कॉलेज, हैदराबाद में एडभान्स मैनेजमेंट प्रोग्राम तथा इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ कोल मैनेजमेंट, रांची द्वारा आयोजित प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम समेत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया, जबकि उन्होंने स्टडी टूर के लिए 25.11.2007 से 01.12.2007 तक अस्ट्रेलिया का दौरा किया। उन्होंने आईआईसीएम राँची द्वारा आयोजित दौरे के तहत एसडीए, बोकोनी यूनिवर्सीटी मिलान, ईटली एवं अन्य युरोपियन देशों का 11.9.2011 से 24.9.2011 तक एएमपी समेत यात्रा की।

- **श्री सुब्रत चक्रवर्ती :** ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्यरत हैं। इनका जन्म 06.03.1958 को हुआ।

अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पाथा भवाना, शांतिनिकेतन में पूरी करने के पश्चात उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंडियन स्कूल आफ माईन्स धनबाद में 1979 में की। तत्पश्चात बीआईटी मेसरा से 1997 में एमबीए की डिग्री प्राप्त की। इम्पेरियल कॉलेज आफ माईन्स एवं टेक्नोलाजी, लंदन में उच्च शिक्षा के लिए उन्हें विलियम सेलकिर्क स्कालरशिप एवं हर्लेम-इ-वेस्ट स्कालरशिप मिला जो अनुपयोगी रहा।

श्री चक्रवर्ती को खनन उद्योग में 32 वर्षों से अधिक का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त है इन्होंने सीसीएल / बीसीसीएल / एनसीएल तथा ईसीएल म; भूमिगत तथा खुली खानों में प्रशासन, उत्पादन, योजना से संबंधित विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया है। ईसीएल में निदेशक (तक) पद पर योगदान के पहले एनसीएल में श्री चक्रवर्ती ने विभिन्न क्षमताओं जैसे मुप्र / अध्यक्ष कोल इंडिया के तक सचिव, मुमप्र अमलोहरी प्रोजेक्ट में कार्य किया।

श्री चक्रवर्ती विभिन्न सरकारी दौरे पर अनेक देशों – यूएसए, रूस, बलारूस, जर्मनी, स्विटजरलैंड, फ्रांस, चीन, सिंगापुर इत्यादि की यात्रा की। श्री चक्रवर्ती को पुस्तक पढ़ने, गाने का शौक है एवं वे सभी प्रकार के खेल के समर्थक हैं।

- **श्री अशोक कुमार सिन्हा (59)** : कोल इंडिया लि० के निदेशक (वित्त) हैं तथा उनपर साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के अप्रनि का अतिरिक्त प्रभार है। श्री सिन्हा बेलूर रामकृष्ण विद्यामंदिर कलकत्ता से 1971 में फिजिक्स आनर्स के साथ स्नातक हुए तथा इंस्टीच्युट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट आफ इंडिया के 1977 में सदस्य बने। उन्होंने 1976 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से विधि में भी स्नातक हुए।

श्री सिन्हा के खनन उद्योग में वित्त अधिकारी के रूप में तीन दशकों का अनुभव प्राप्त है। वे 1977 से 2001 तक ईसीएल में विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया तथा बीसीसीएल के महाप्रबंधक (वित्त) एवं ईसीएल के निदेशक (वित्त) भी रहे। श्री सिन्हा कोलइंडिया लि० में 13 मार्च, 2010 को निदेशक (वित्त) के रूप में योगदान दिया तथा कोल इंडिया की सभी कंपनियों मे समग्र वित्तीय प्रबंधन तथा लेखा परीक्षा कार्यों से जुड़े हैं तथा सभी वित्तीय मामलों में बोर्ड को सलाह देते रहे हैं।

श्री सिन्हा को प्रबंधन लेखांकन के क्षेत्र में अनुभव है तथा आसनसोल चैप्टर आफ चार्टर्ड अध्यक्ष पद पर कार्य किए हैं। उन्होंने कीन्स कॉलेज, केम्ब्रीज, यूके में एडभांस मैनेजमेंट प्रोग्राम में भी भाग लिया राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय लीडरशिप के मुद्दे पर स्कोप आईएमआई ग्लोबल लीडरशिप एडभांस मैनेजमेंट प्रोग्राम को पूरा किया।

श्री सिन्हा को भारतीय पूंजी बाजार के इतिहास में सबसे बड़े आईपीओ कोलइंडिया लि० को सफलतापूर्वक लांच करने का श्रेय है।

- **श्री अशोक कुमार सोनी** (59) : ईस्टर्न कोलफील्डस् लि० के निदेशक (वित्त) है। श्री सोनी कलकत्ता विश्वविद्यालय से कामर्स में आनर्स के साथ स्नातक है। वे इंस्टीच्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेंयस् आफ इंडिया के संबद्ध सदस्य है। श्री सोनी को ईसीएल एवं बीसीसीएल में वित्त अधिकारी का 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वे 2004 में महाप्रबंधक (वित्त) हुए तथा 16.12.2010 से ईसीएल के निदेशक (वित्त) के पद पर आसीत हुए। श्री सोनी क्रिकेट एवं हॉकी के अन्यतम प्रेमी हैं।

- **श्री डी एन प्रसाद** (54) : ओसमानिया कॉलेज आफ इंजीनियरिंग, ओसमानियाँ विश्वविद्यालय से खनन स्नातक है तथा युनिवर्सिटी में प्रथम स्थान के साथ प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक प्रमाण पत्र धारक है, यू. के. से एमबीए के पश्चात भारत में कोयला एवं उर्जा सेक्टर में करीब 32 वर्षों के अनुभवी है। उनके अनुभव में कोयला खदान संचालन एवं प्रबंधन में 11 वर्षों का अनुभव शामिल है, जो विभिन्न सरकारी कोल कंपनियों, कोल इंडिया लि० एवं सिंगरेणी कोलियरी कं० से संबंधित है। ये भारत सरकार, कोयला मंत्रालय एवं योजना आयोग के उर्जा विभाग में उर्जा इंधन कोल एवं लिग्नाईट के लिए विकास नीति योजना में 21 वर्षों के अनुभवी हैं। अभी वे भारत सरकार के कोयला मंत्रालय में निदेशक (तक) के रूप में कार्यरत हैं।

उनका अनुभव कोयला खनन परियोचनाओं, निवेश निर्णयों के लिए कोयला खनन परियोजनाओं की तकनीकी – आर्थिक मूल्य निरूपण, पूंजीगत बजट, कोल एवं लिग्नाईट के लिए अनुसंधान, सीबीएम, सीएमएम, पर्यावरण प्रभाव निर्धारण, मौसम में बदलाव से जुड़े मुद्दे, कोल एवं लिग्नाईट हेतु सापेक्ष महत्व का विकास, कोल वाशिंग सहित क्लीन कोल तकनीक के विकास, कोयला रिक्तकरण हेतु बुनियादी संरचना का विकास इत्यादि को सफल करने में सहायक हुआ। उन्होंने कोयला विकास से जुड़े विभिन्न समितियों एवं योजना आयोग तथा कोयला मंत्रालय – का प्रतिनिधित्व

किया तथा कई देशों अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, यूके, यूएसए, बेल्जियम, फ्रांस, चीन, तुर्की इत्यादि का दौरा किया। उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय फोरमों में कोल सेक्टर में नीति मुद्दों पर कई दस्तावेज प्रस्तुत किए। वे कई व्यवसायिक संस्था जैसे इन्स्टीच्यूसन आफ इंजीनियर्स (इंडिया), माईन्स, मेटल्स एवं भारतीय भूगर्भ संस्थान के सदस्य हैं।

- **श्री सुब्रत चौधरी** (64) : इंडियन स्कूल आफ माईन्स मे खनन अभियंत्रण विभाग में एक अधिकारी प्रोफेसर हैं। शैक्षणिक कार्य में जुड़ने के पहले उन्होंने 4 दशक से कोयला मंत्रालय में उत्पादन, प्लानिंग में कार्य किया तथा कोल इंडिया की एक सहायक कंपनी सीएमपीडीआई के सीएमडी पद से सेवानिवृत हुए। वर्तमान में सेल के बोर्ड में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक हैं।

  कलकत्ता विश्वविद्यालय से खनन अभियंत्रण में स्नातक एवं इंडियन स्कूल आफ माईन्स से खुली खनन में स्नातकोत्तर के पश्चात श्री चौधरी कोयला खनन प्रबंधन हेतु श्रम एवं नियोजन मंत्रालय द्वारा जारी प्रथम श्रेणी (कोल) खान प्रबंधक का प्रमाणपत्र प्राप्त किया। वे इन्स्टीच्यूशन आफ इंजीनियर्स के फेलो है और भारत सरकार कोयला मंत्रालय के पैनल में रिकोग्नाईज्ड क्वालीफाईड प्लानर हैं।

- **श्री एस. के. मोहंती** (64) : 1972 में भारतीय राजस्व सेवा में योगदान किया। वे उड़ीसा, भुवनेश्वर से आयकर के मुख्य आयुक्त पद से सेवा निवृत हुए। वे इतिहास में स्नातकोत्तर हैं तथा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान में प्रशिक्षित हैं। अपने आईआरएस अधिकारी के रूप में उन्होंने कई प्रतिष्ठित पदों जैसे उप निदेशक / उप सचिव, डीजीएस एण्ड डी, आपूर्ति मंत्रालय, भारत सरकार, निदेशक / उपसचिव, डीजीएस एण्ड डी, आपूर्ति मंत्रालय, भारत सरकार, निदेशक (वित्त) एवं उड़ीसा विद्युत उत्पादन कारपोरेशन, उड़ीसा सरकार के कार्यकारी सीएमडी के रूप में कार्य किया। उन्होंने सीआईटी चेन्नई, सीआईटी विशाखापत्तनम, सीआईटी हैदराबाद, मुख्य सीआईटी हैदराबाद, मुख्य सीआईटी, मुंबई के पद पर भी कार्य किया। उन्होंने वित्तीय प्रबंधन, टेक्सेसन, प्रशासन तथा अन्य वाणिज्यिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। 1988 में श्री मोहंती ने भारत में एडमिनिस्ट्रेशन आफ डायरेक्ट टैक्स तथा कलेक्सन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री के उच्चतम पुरस्कार से सम्मानित किए गए।

- **श्री एस. एम. शर्मा** (66) : पेशा से वे कानपुर से व्यापार कुशलता सलाहकार हैं। उन्होंने ईसीएल बोर्ड में एक वित्तीय

विशेषज्ञ है तथा अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक हैं। वे कानून एवं अर्थशास्त्र के स्नातक हैं। उन्हें लेखा परीक्षण का व्यापक अनुभव है तथा कई लोक उपक्रमों जैसे एसबीआई, एलआईसी, टैफ्को, यूपी ब्रीज कारपोरेशन में लेखा परीक्षा का कार्य किया है। उन्होंने कई प्राईवेट सेक्टर कंपनियों जैसे जागरण प्रकाशन लि० (दैनिक जागरण), कोठारी प्रोडक्ट लि० (पान पराग), रोटोमेक ग्लोबल प्रा. लि., फ्रांटियर कंस्ट्रक्शन कं० लि०, मिनएच्योर बल्व इंडस्ट्रीज लि०, हाईटैक बायोसाईंस इत्यादि में लेखा परीक्षा का कार्य किया है।

श्री शर्मा व्यापार प्रबंधन कर योजना के क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने विभिन्न व्यवसायिक सेमीनारों एवं कार्यशालाओं में भाग लिया है जो समय–समय पर भारत एवं विदेश जैसे यूके, यूएसए, फ्रांस एवं जर्मनी में आयोजित किए गए। वे जागरण प्रकाशन लि० (दैनिक जागरण) एवं रोटोमेक ग्लोबल प्रा० लि० के बोर्ड के ग्रूप सलाहकार हैं। वे रेव–3 मल्टीप्लेक्स में वैचारिक स्तर, कार्यान्वियन की अवधारणा एवं इसके सफलतापूर्वक संचालन से जुड़े हैं।

श्री शर्मा सक्रिय रूप से कई सामाजिक, चेरीटेबल, पर्यावरण एवं सांस्कृतिक एनजीओ संगठन से जुड़े हैं।

■ **प्रो० (डा०) एम. के. श्रीवास्तव** (58) : एक संस्थानिक निर्माता, विद्वान, इमानदार समर्पित एवं सक्त प्रशासन हैं। उन्हें देश में उत्कृष्ट बुनियादी ढाँचा के साथ रायपुर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, तथा बर्कतुल्या विश्वविद्यालय, भोपाल (एमपी) में पोस्ट – ग्रेजुएट टीचिंग एण्ड रिसर्च सेन्टर आफ लॉ के निर्माण का श्रेय है। विभिन्न शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संस्थानों जैसे उप कुलपति, प्रोफेसर, हेड डीनल मेम्बर आफ एक्सीक्युटिभ काउसिल्स, बोर्ड आफ स्टडीज, एकेडेमिक काउन्सिल इत्यादि के साथ उनके साहचर्य के उन संस्थानों को उल्लेखनीय लाभ पहुंचा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक अधिवक्ता के रूप में अपना कैरियर प्रारंभ किया लेकिन शैक्षणिक रूचि के कारण उन्होंने इलाहाबाद एवं भोपाल विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य में अपना पेशा अपनाया। लम्बे अनुभव के कारण विभिन्न सर्च समितियों द्वारा हिदायतुल्ला नेशनल लॉ युनीवर्सिटी रायपुर, बीकानेर विश्वविद्यालय, ओपन युनिवर्सिटी बिलासपुर तथा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के उपकुलपतियों की नियुक्ति हेतु नामित किया गया।

उन्हें कई अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों जैसे द हक एकेडेमी आफ इंटरनेशनल लॉ, ब्रिटिश काउन्सिल, अमेरिकन सेन्टर। यूएनडीपी, कार्डिफ लॉ स्कूल, वेल्स फार वेरियस पर्पस द्वारा नामित किया गया। उन्होंने विश्व के प्रसिद्ध संस्थानों की यात्रा की, एमओयू हस्ताक्षर किए। कार्यक्रमों में विचार विनमय एवं रिसर्च कोलेबोरेशन में भाग लिया। इनमें से

ओसगुड लॉ स्कूल, योर्क युनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी आफ कैलगरी युनिवर्सिटी आफ ओटावा एवं आईयूसीएन एकेडेमी आफ इन्वाईन्मेंटल लॉ इन कनाडा, जार्ज वाशिंगटन युनिवर्सिटी, जार्ज टाउन युनीवर्सिटी एवं कोलंबिया युनीवर्सिटी तथा सुप्रीम कोर्ट आफ युनाइटेड स्टेट आफ अमेरिका थे।

ईपीएलसी – पेरोस प्रोजेक्ट आफ यूरोप्यिन यूनियन में भागीदार के रूप में उन्होंने एथेंस, ग्रीस की यात्रा की। उन्होंने बेलफास्ट में ब्रिटिश काउन्सिल इन्टरनेशनल प्रोग्राम, नार्दर्न आयरलैंड (यूके) में भाग लिया। उन्होंने कानून एवं प्रबंधन में बहुत योगदान किया है।

- **श्री एस. एम. लोधा** (61) : एक कामर्स स्नातक, विधि एवं एमबीए हैं। बड़े कारपोरेटों में उनके पास 35 वर्षों का औद्योगिक अनुभव है तथा नामी कंपनियों के मुख्य अधिशासी, सलाहकार एवं बोर्ड सदस्य रहे हैं। वे जिगांग सफम कास्ट आयरन कं० लि० (चीन) इस्सार इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी लि०, एमजेभीएन लि०, इंदसूर गीयर्स लि०, इस्सार सिकुरीटीज लि०, ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाईजेशन इत्यादि के बोर्ड सदस्य है। वे मुंबई बोर्ड आफ स्टेट बैंक आफ इंडिया के भी स्वतंत्र सदस्य हैं। श्री लोधा अध्यक्ष एवं बोर्ड स्तर समितियों की तरह भी कार्यरत हैं, जिसमें निवेश समिति, लेखा परीक्षा समिति शामिल हैं। वित्तीय सेक्टर में वे एक नामी गिरामी हस्ती है। हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय हूज-हू सोसाईटी, यूएसए ने उन्हें 2011-12 अन्तर्राष्ट्रीय हूज-हू पेशेवरों के रूप में पहचान की है जिसने अनुकरणीय उपलब्धि एवं व्यापार समुदाय को अभूतपूर्व योगदान प्रदान किया है।

- **श्री कृष्ण कुमार गौतम** (66) : एमएससी, एलएलबी हैं एवं 2007 से नेशनल बल्क हैंडलिंग कारपोरेशन लि० के वरिष्ट उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने 2006-2007 के दौरान नेशनल कोलेटरल मेनेजमेंट सर्विसेज लि० के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। वे 1986 से 2006 के बीच फुड कारपोरेशन आफ इंडिया के विभिन्न क्षमताओं, अधिशासी समेत पदों पर कार्य किया है। वे 1977 से 1986 तक आगरा डिविजनल डबलपमेंट कारपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे हैं। वे कृषि सामग्री व्यापार में ट्रेडिंग, कोलेटरल मेनेजमेंट तथा संड ट्रूंट साल्युशन के विशेषज्ञ हैं। वे इंडस्ट्रियल इन्टरप्राईज, वित्त एवं बैंकिंग तथा विभिन्न कानून के विशेषज्ञ है। वे ईस्टर्न कोलफील्डस् लि० के बोर्ड के सभी समितियों के सदस्य हैं।

संलग्नक – VI

दत्ता सरकार एवं कं० 7ए किरण शंकर राय रोड

चार्टर्ड लेखापाल

कार्पोरेट गवर्नेस की शर्तो के साथ अनुपालन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र

सेवा में,
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के सदस्यगण,

हमलोग ने 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा कार्पोरेट गवर्नेस की शर्तो के अनुपालन की जाँच की।

कार्पोरेट गवर्नेस की शर्तो के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है । कंपनी कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनी है तथा एक सूचीबद्ध सरकारी कंपनी है तथा कंपनी का शेयर किसी भी स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है इसलिए सूचीबध्यता समझौता का खंड49 लागू नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में इंस्टीच्यूट आफ चार्टर्ड एकाउटेंट आफ इंडिया द्वारा जारी निर्देशों के साथ जाँच का कार्य किया गया तथा कार्पोरेट गवर्नेस की शर्तो के अनुपालन के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं कार्यान्वयन तक सीमित था। यह कंपनी के वित्तीय विवरण पर न तो कोई लेखा परीक्षा है अपने वित्तीय विवरण पर कोई राय है।

हमारी राय में तथा हमारी सूचना एवं हमें जो स्पष्टीकरण दिए गए उसके मुताबिक हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कार्पोरेट गवर्नेस की शर्तो का सामान्यतः अनुपालन किया है।

हम आगे यह घोषणा करते है कि यह अनुपालन न तो कंपनी के भविष्य में उत्तरजीविता का आश्वासन है और न अपने दक्षता का जिसे कंपनी ने कार्य किया है।

वास्ते
दत्ता सरकार एण्ड कं०
चार्टर्ड लेखापाल

दिनांक 18 मई, 2012
स्थान : कोलकाता

(पी. एस. दे)
भागीदार
सदस्यता संख्या – 016727

संलग्नक - VII

विदेशी मुद्रा अर्जन एवं खर्च

I. निर्यात से संबंधित गतिविधियाँ, निर्यात बढ़ाने के लिए की गई पहल, उत्पादों के लिए नए निर्यात बाजार का विकास, सेवा एवं निर्यात योजनाएं — कंपनी निर्यात गतिविधियों से जुड़ी हुई नहीं है ।

II. कुल अर्जित एवं व्यवहार में लाया गया विदेशी मुद्रा

(रु लाख में)

क्र.स.	वर्णन	2011-12	2010-11
क)	व्यवहार में लाया गया विदेशी मुद्रा		
1)	आयात का सीआईएफ मूल्य		
	क) कच्चा माल	0.00	0.00
	ख) पुर्जे, भंडार एवं स्पेयर्स	2118.00	3586.21
	ग) पूंजीगत माल	2897.00	1040.31
2.	यात्रा / प्रशिक्षण खर्च	14.00	32.36
3.	तकनीकी जानकारी एवं विदेशी परामर्श	0.00	0.00
4.	विदेशियों को पेंशन	0.00	0.00
	अन्य	695.00	465.30
	कुल	5724.00	5124.18
ख)	अर्जित विदेशी मुद्रा	शून्य	शून्य

संलग्नक - VIII

फार्म - बी

तकनीकी आमेलन से संबंधित विवरण का प्रकटीकरण फार्म

अनुसंधान एवं विकास आर एण्ड डी

I.	विशेष क्षेत्र जिसमें कंपनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास का कार्य किया गया ।	कंपनी के पास अपना अनुसंधान एवं विकास का कोई सेट अप नहीं है । सीएमपीडीआईएल जो कोल इंडिया लि. की एक सहयोगी संस्था है, केन्द्रीय रुप से सीआईएल के सभी संस्थानों के लिए अनुसंधान एवं विकास का कार्य करती है ।
2.	उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास कार्य से प्राप्त लाभ	उपलब्ध नहीं ।
3.	भविष्य की कार्य योजना	उपलब्ध नहीं ।
4.	अनुसंधान एवं विकास पर खर्च	उपलब्ध नहीं ।
	क) पूंजी	--
	ख) आवर्ती	--
	ग) कुल	--
	कुल आर एण्ड डी व्यय, कुल टर्न ओवर का प्रतिशत -	उपलब्ध नहीं।

तकनीकी आमेलन, अनुकूलन एवं नव प्रवर्तन

1.	तकनीकी आमेलन, अनुकूलन तथा नव प्रवर्तन में किए गए प्रयास का संक्षिप्त विवरण	शून्य
2.	उपरोक्त प्रयास से प्राप्त लाभ जैसे-उत्पाद उन्नयन, लागत में कमी, उत्पाद का विकास, आपात का विकल्प इत्यादि	शून्य
3.	आयातित तकनीक के मामले में (विगत 5 वर्षों के दौरान आयात)	
	निम्नलिखित तकनीक के मामलें में (विगत 5 वर्षों के दौरान आयात) निम्नलिखित सूचना दी जाय ;	
i)	तकनीक आयात की गई	शून्य
ii)	आयात का वर्ष	शून्य
iii)	क्या आयात का पूर्णतः आमेलन किया गया	शून्य
iv)	यदि पूरी तरह आमेलन नहीं हुआ तो कहाँ तक, उसका कारण एवं भविष्य की कार्य योजना	शून्य

गोपनीय   **संख्या - 77 / सीए / एलए - 1 / लेखा / ईसीएल / 2011-12**

सेवा में,
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
सांकतोड़िया, बर्दमान,
पश्चिम बंगाल ।

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा तथा पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-II कोलकाता
पुराना निजाम महल, आचार्य जगदीश, चन्द्र बोस रोड,
कोलकाता – 700 020,

दिनांक 18.05.2012

विषय : कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के तहत 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी ।

महोदय,

मैं कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के तहत 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी अग्रसारित करता हूँ ।

कृपया पत्र की पावती भेजी जाय ।

भवदीय

संलग्न : यथोपरि ।
दिनांक : 18.5.2012

(यशोधरा राय चौधरी)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
तथा पूर्व पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड II
कोलकाता

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के तहत 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी।

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्डस् लिमिटेड के वित्तीय विवरण की तैयारी कंपनी अधिनियम 1956 में दर्शाए गए वित्तीय रिपोर्टिंग्ग फ्रेम वर्क के तहत है जो कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम 1956 की 227 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी विचार व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। जो इन्सटीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा दर्शाए गए लेखा परीक्षा एवं आश्वासन मानकों के तहत स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित है। यह 18.5.2012 को उनके द्वारा रिपोर्ट किए गए विवरण पर आधारित है।

मैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तरफ से कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (3) (बी) के तहत 31 मार्च 2012 को समाप्त ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के वर्किन्ग पेपर्स के निर्धारण के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है एवं यह वैधानिक लेखा परीक्षकों एवं कंपनी कार्मिकों की जांच के प्राथमिक रूप से सीमीत है एवं कुछ लेखा रेकार्डों की जांच के तहत है। प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरण की समीक्षा के मद्देनजर तथा मेरे द्वारा किए गए लेखा परीक्षा जो पूरक लेखा परीक्षा में दर्शाए गए हैं कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) वैधानिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन या पूरक पर है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तरफ से

(यशोदरा राय चौधरी)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
तथा पूर्व पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड !!
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 18.05.2012

सदस्यों को लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन
प्रबधंन का जवाब

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन :

1. हमलोगों ने 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के तुलन पत्र एवं उस तिथि को समाप्त लाभ हानि लेखा के साथ नकद प्रवाह की लेखा परीक्षा की जिसमें कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 228 के तहत शाखा लेखा द्वारा लेखा परीक्षा की गई है। वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमलोगों की जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा पर आधारित अपनी राय प्रकट करना है ।

अलग से कोई टिप्पणी नहीं क्यों कि यह तथ्यों का विवरण है ।

2. सामान्यत: भारत में स्वीकार्य मानक लेखा परीक्षणों के अनुसार हम अपने लेखा परीक्षण का कार्य करते हैं, उन मानकों के अनुसार यह जरूरी है कि हम योजना तैयार करके लेखा परीक्षण का कार्य करें ताकि हम यह आश्वासन दे सकें कि दिए गए वित्तीय विवरणों में अनियमितताएं नहीं है । एक लेखा परीक्षण में जाँच राशियों के समर्थन में साक्ष्य तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन शामिल होते हैं । एक लेखा परीक्षण मे व्यवहार में लाए गए लेखा सिद्धांत एवं प्रबंधन द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण प्राकलन शामिल होते हैं, साथ ही वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन भी रहता है । हमें विश्वास है कि यह लेखा परीक्षण हमारे विचारों को युक्तिपूर्ण आधार प्रदान करता है ।

अलग से कोई टिप्पणी नहीं । क्योंकि यह तथ्यों का विवरण है ।

3. भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा

	227 (4 ए) के तहत कंपनी आदेश 2003 द्वारा मांगी गई एवं हमारी जांच के आधार पर कंपनी के बुक एवं रिकार्ड भारत में स्वीकार्य लेखा परीक्षा सिद्धांतों के मुताबिक है तथा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण उपरोक्त आदेश के पैराग्राफ 4 एवं 5 पर संलग्न किया जाता है ।	यह तथ्य का विवरण है।
4.0	उपरोक्त अनुसूची के संदर्भ में पैरा - 3 में हमारी टिप्पणियों के आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि -	
4.1	बिन कार्ड, स्टोर लेजर एवं वित्तीय लेजरों के बीच मिलान नहीं किया गया है।	बिन कार्ड, स्टोर तथा वित्तीय लेजर के बीच मिलान का कार्य प्रक्रियाधीन है।
4.2	क्रेडिटर एवं पार्टी जिन्हें अग्रिम प्रदान किया गया था, शेष की पुष्टि उपलब्ध नहीं कि हम उसकी जांच कर सकें।	जहाँ तक विविध क्रेडिटरों एवं अन्य बाहरी अग्रिमों से शेष की पुष्टि का प्रश्न है ईसीएल द्वारा कई पार्टियों से लेनदेन का कार्य किया जा रहा है, तथा उनसे पुष्टि प्रमाणपत्र लेना व्यवहारिक नहीं है। फिर भी चालू वर्ष में जिन पार्टियों के साथ रू. 10 लाख या अधिक का लेन देन है, उससे पुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रयास रहेगा।
4.3	गैर सेवायोग्य, नष्टहुए एवं अप्रचलित भंडारों के निर्धारण के लिए तकनीकी मुल्यांकन नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप गैर सेवा योग्य । अप्रचलित भंडारों की मात्रा मालुम नहीं हो सकी।	प्रश्न को नोट कर लिया गया है। अप्रचलित गैर सेवायोग्य एवं नष्टहुए भंडारों के मुल्यांकन हेतु एक कमीटी के गठन पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है।
4.4	चालू देयताओं टिप्पणी - 8 के तहत मुख्यालय के कोयले की रॉयल्टी से संबंधित रू. 4.38 करोड़ (रू. 4.38 करोड़) शामिल है। इसका निर्धारण नहीं हो सका क्योंकि राशि बकाया है तथा अधिकारियों की मांग पर भुगतान योग्य है।	2011-12 में उचित कार्रवाई हेतु लेखा परीक्षा के प्रश्न को नोट कर दिया गया।

4.5	वर्तमान में कंपनी का शुद्ध मूल्य ऋणात्मक रहते हुए वित्तीय विवरण गोइंग कंसर्न आधार पर तैयार किया गया है। यह मानते हुए कि कंपनी भविष्य में अपना संचालन कार्य जारी रखेगी। इस परिकल्पना की वैधता सीका की धारा 18 की तहत तैयार किए गए प्रस्तावित सुधार योजना के कार्यान्वयन पर निर्भर करता है। जिसके लिए उत्पादन लक्ष्य, घाटे वाली खदानों को बंद करना, जनशक्ति का युक्तिकरण, नई परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन, विभिन्न सहायता एवं छुटों की प्राप्ति एवं एएस-28 की तहत हानि के प्रावधान जिसे उपरोक्त सुधार योजना में शामिल नहीं किया गया है, जरूरी है।	अलग से कोई टिप्पणी नहीं क्योंकि यह तथ्यों का विवरण है।
4.6	कल्ला केन्द्रीय अस्पताल की पूंजीगत देयताओं में निम्नलिखित शामिल है – 1. पावर लाउन्ड्री (अभी व्यवहार में है) – 5,14,818.00 2. दीप्त थिरैपी (खराब है) – 11,53,012.00 3. ओटो लैंप – 1,98,644.55 4. ईसीजी मशीन – 3042.66 केन्द्र सरकार से ईसीएल द्वारा चार्ज लेने के समय उपरोक्त परिसम्पत्तियों की आपूर्ति 1985 - 86 में की गई थी। आपूर्ति बिल ईसीएल द्वारा इस आधार पर भुगतान नहीं की गई थी कि कंपनी द्वारा इसके आर्डर नहीं दिया गया था, परन्तु सभी मशीनों को व्यवहार में लाया गया था एवं मूल्य ह्रास चार्ज किया गया तथा वर्तमान डब्ल्युडीभी मूल लागत का 5% के भीतर है। लेकिन आपूर्तिकर्ता को बिल का भुगतान नहीं किया	लेखा परीक्षा रिपोर्ट नोट की ली गई है – तदनुसार उचित कार्रवाई की जायगी।

	गया। 25 वर्ष से अधिक की पुरानी देयताओं को राईट बैक करने हेतु उचित उपाय शुरू की जा सकती है।	
4.7	भारी मात्रा में रद्दी सामग्री विभिन्न क्षेत्रों / यूनिटों में खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं जिसके मूल्य का निर्धारण योग्य नहीं है। इन सामग्रियों को चोरी / डकैती होने का पूरा डर है, खास कर बंद क्षेत्रों / यूनिटों से, जिससे कंपनी को व्यापक वित्तीय नुकसान हो सकता है, जिससे कंपनी को व्यापक वित्तीय नुकसान हो सकता है। उपरोक्त सामग्रियों के तुरन्त निपटान हेतु कदम उठाए जाने की जरूरत है।	लेखा परीक्षा रिपोर्ट नोट की ली गई है एवं इसके शीघ्र निपटान हेतु कदम उठाए जा रहे है।
4.8	माईन्स रेस्क्यु स्टेशन के राजस्व हेतु बकाया खर्च में रू. 14.68 लाख के मिलान नहीं किए गए राशि शामिल नहीं की गई राशि जिसके लिए विवरण जाँच हेतु हमें उपलब्ध नहीं करवाया गया।	यह एक तथ्य का विवरण है।
4.9	अन्य चालू देयताओं के तहत (नोट – 8) श्रोत पर काटे गये आयकर में ठेकेदारों / व्यवसायदारों के बिल पर श्रोत पर कटौती शामिल नहीं है जो 31 मार्च 2012 को देयताएं के रूप में बुक किया गया था।	ठेकेदारों / व्यापारियों के बिल से श्रोत पर काटी गई कटौती की जाती है जब ठेकेदार द्वारा बिल उठाया जाता है लेकिन भुगतान नहीं किया जाता है लेकिन जब देयताएं किसी ठेकेदार के किसी बिल की अनुपस्थिति में बनाई जाती है टीडीएस के लिए कोई प्रावधान नहीं है। भविष्य में उचित कार्रवाई हेतु प्रश्न नोट का लिए गए है।
5.0	उपरोक्त से आगे हमलोग रिपोर्ट करते हैं कि	
5.1	हमें सभी सूचनायों स्पष्टिकरण उपलब्ध कराए गए जो हमारी जानकारी में लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे।	अलग से कोई टिप्पणी नहीं क्यों कि यह तथ्यों का विवरण है।

5.2	हमारी राय में कानून के तहत आवश्यक लेखा की पुस्तिका कंपनी द्वारा रखी गई है जो इस पुस्तिकाओं की जांच से स्पष्ट होता है।	अलग से कोई टिप्पणी नहीं क्यों कि यह तथ्यों का विवरण है।
5.3	इस प्रतिवेदन के साथ तुलनपत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण लेखा की पुस्तिका के साथ करार के तहत है एवं क्षेत्रों / कार्यालयों से लेखा परीक्षित रिटर्न के साथ है।	अलग से कोई टिप्पणी नहीं क्यों कि यह तथ्यों का विवरण है।
5.4	हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 (3 सी), में वर्णित प्रयोज्य लेखांकन मानक का पालन करते हैं।	अलग से कोई टिप्पणी नहीं क्यों कि यह तथ्यों का विवरण है।
5.5	कंपनी के कंपनी सचिव से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 (1) (जी) के संदर्भ में कंपनी के सभी कार्यकारी निदेशक प्रथम द्रष्टया में अयोग्य नहीं है। विधि न्याय एवं कंपनी मामले के मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 8/2002 दिनांक 22.03.2002 इस कंपनी में प्रयोज्य नहीं हैं क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।	अलग से कोई टिप्पणी नहीं क्यों कि यह तथ्यों का विवरण है।
5.6	हमारी राय में एवं हमारी जानकारी में तथा हमें जो स्पष्टीकरण दिए गए हैं, लेखा उपरोक्त पैरा - 4.1 से 4.9 की शर्त के साथ, तुलनपत्र एवं लाभ एवं हानि लेखा तथा उसके साथ दी गई टिप्पणियों उसके संलग्न है। जो कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा मांगी गई है एवं जो भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के तहत सत्य है।	अलग से कोई टिप्पणी नहीं क्यों कि यह तथ्यों का विवरण है।

(क) 31 मार्च, 2012 को कंपनी के तुलनपत्र के मामले में।	अलग से कोई टिप्पणी नहीं क्यों कि यह तथ्यों का विवरण है।
(ख) उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा वर्ष के लिए उस तिथि को हानि।	
(ग) उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लए नकद प्रवाह विवरण में नकद प्रवाह।	

लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का संलग्नक
(जैसा कि हमारे प्रतिवेदन के पैराग्राफ – 3 में वर्णित है)

1.	**स्थिर परिस्पत्तियों के संबंध में :**	प्रबंधन का जवाब
क)	कंपनी द्वारा मात्रात्मक विवरण एवं चल स्थिर परिसम्पित्तियों समेत उचित रिकार्ड रखा गया है। कोल माइन्स ऑथरीटी से सरकारीकरण के समय प्राप्त परिसम्पत्तियों एवं कोल माइन्स रेस्क्यू स्टेशन की परिस्पत्तियों के अलावा कंपनी ने सामान्यत: मात्रात्मक विवरण एवं स्थिर परिसंम्पत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण का रेकार्ड नहीं रखा गया है । प. बंगाल में ईसीएल द्वारा अधिग्रहण की गई कुल 17836.88 हे० भूमि मे से ईसीएल अपने नाम केवल 4368.74 हे० भूमि को अपने नाम रेकार्ड करना सका।	लेखा परीक्षा के प्रश्नों को नोट कर लिया गया है एवं उचित कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग से विमर्श किया जायगा।
ख)	वर्ष के दौरान कंपनी ने एक लाख रूपये या इससे अधिक मूल्य के संयंत्रों एवं मशीनों की वास्तविक जाँच की है । इस जॉच में कोई भी विसंगति नहीं पाई गई । जिस स्थिर परिस्पत्तियों की जांच की गई उस पर कोई पहचान संख्या नहीं दिया गया। फिर भी एक लाख रूपये से कम मूल्य के संयंत्रों एवं मशीनों की वास्तविक जाँच के आधार में हमलोग सामग्रियों विसंगतियों के संबंध मे कोई राय प्रकट करने में असमर्थ हैं ।	यह तथ्यों का विवरण है ।
ग)	वर्ष के दौरान कंपनी की स्थिर परिसम्पत्तियों का अधिकांश भाग का निपटारा नहीं किया गया है ।	यह तथ्यों का विवरण है ।

2. **वस्तुसूची के संबंध में :**

क)	प्रबंधन द्वारा वस्तुसूची की वास्तविक जाँच नित्य वस्तुसूची प्रणाली के अनुसार की गई है । कोयला भंडार की जाँच वर्ष के अन्त में कोल इंडिया के पदनामित टीम द्वारा की गई है । हमारी राय में जाँच का अन्तर उचित है ।	यह तथ्यों का विवरण है ।
ख)	हमारी राय में प्रबंधन द्वारा वस्तुसूची की वास्तविक जाँच की पद्धति सामान्यत: एवं पर्याप्त है। जो कंपनी के आकार एवं कार्य की प्रकृति के हिसाब से उचित है।	यह तथ्यों का विवरण है ।
ग)	हमें जो स्पष्टीकरण दिए गए हैं, हमारी राय में कंपनी ने वस्तुसूची का उचित रिकार्ड रखा है। वास्तविक जांच के दौरान वास्तविक स्टॉक एवं बुक स्टॉक में जो अंतर हुआ है उसे उचित तरीके से लेखा में दर्ज किया गया है जोकि लेखांकन नीति सं. 6.1 के मुताबिक है।	यह तथ्यों का विवरण है ।
3.	कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत कंपनी रजिस्टर में सुचीबद्ध कंपनियों, फर्मो या अन्य पार्टियों को / से सुरक्षित या असुरक्षित ऋण स्वीकार नहीं किया है ।	यह तथ्यों का विवरण है ।
4.	हमारी राय में एवं हमें जो सूचना तथा स्पष्टीकरण दिए गए हैं उसके अनुसार कंपनी के आकार एवं इसके व्यवसाय के प्रकृति के अनुसार वस्तुसूची एवं स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद, मालों की बिक्री में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद है, यह छोड़कर कि	यह तथ्यों का विवरण है ।

कुछ मामलों में सामग्रियों की प्राप्ति, अग्रिमों के समायोजन एवं देयताओं की प्रविष्टी के बीच समय का अन्तराल है तथा पार्टियों से शेष पुष्टियों का अभाव है। हमारे लेखा परिक्षण के दौरान आंतरिक नियंत्रण में कोई बड़ी कमजोरी नहीं देखी गई।

5. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत ठेका अथवा व्यवस्था का विवरण ।

क) हमारी राय में तथा हमें जो सूचना उपलब्ध करायी गई है उसके अनुसार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत रजिस्टर में जिस लेन देन को दर्ज किया जाना जरुरी था, उसे किया गया है ।

यह तथ्यों का विवरण है ।

ख) किसी पार्टी के साथ इस प्रकार के ठेकों या व्यवस्थाओं के तहत पाँच लाख रुपया से अधिक का लेन देन नहीं किया गया है।

यह तथ्यों का विवरण है ।

6. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 58ए तथा 58 एए एवं अन्य संगत प्रावधानों के तहत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत कंपनी जन साधारण से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है ।

यह तथ्यों का विवरण है ।

7. कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य चार्टर्ड लेखा पालों द्वारा किया जाता है । विभिन्न शीर्षों के तहत पुराने बकाया शेषों की पूरी जाँच की जानी चाहिये । जो कंपनी के खाते में वर्ष दर-वर्ष लाये जाते हैं ताकि उसकी वैद्यता स्थापित हो सके । हमारी राय में आंतरिक लेखा परीक्षा का विस्तार एवं आवृति

यह तथ्यों का विवरण है ।

	समय पर रिपोर्ट जमा करने की क्रिया को और मजबूत बनाया जाय । उपरोक्त के शर्त कंपनी के आकार एवं कार्य की प्रकृति के हिसाब से कंपनी का आंतरिक लेखा परीक्षा सही है ।	
8.	कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (I) के तहत केन्द्र सरकार इसके उत्पादों के लागत रेकार्ड के रख रखाव के लिए व्यवस्था नहीं की है ।	यह तथ्यों का विवरण है ।
9.क)	कंपनी द्वारा भविष्य निधि, आयकर, विक्रय कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस एवं अन्य वैधानिक बकाया सहित अविवादित वैधानिक बकाया की नियमित रुप से उचित अधिकारी के पास जमा किया जा रहा है।	यह तथ्यों का विवरण है ।
ख)	रु० 3560.55 करोड़ के विवादित वैधानिक बकाया कर को विक्रयकर, उत्पाद शुल्क, रायल्टी एवं सेस तथा भविष्य निधि लेखा में सक्षम प्राधिकारी के पास जमा नहीं किया गया है।	यह तथ्यों का विवरण है ।
10.	कंपनी का कुल जमा घाटा रु० 7165.30 करोड़ (रु 8127.43 करोड़) एवं दिनांक 31.03.2012 कंपनी का शुद्ध मूल्य ऋणात्मक रहा। बीआईएफआर ने 27.02.2001 के अपने आदेश संख्या 501 / 2001 के अनुसार बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम 1985 की धारा 3 (1) (0) के तहत एक बीमार कंपनी घोषित किया है ।	यह तथ्यों का विवरण है ।
11.	कंपनी के पास किसी वित्तीय संस्थानों, या बैंको या	यह तथ्यों का विवरण है ।

डिबेंचर होल्डरों का कोई बकाया नहीं है ।

12.	हमारी राय में एवं हमें जो सूचना उपलब्ध कराइ गई है उसके अनुसार शेयरों, डिबेंचरों एवं अन्य प्रतिभूतियों के रुप में कोई ऋण एवं अग्रिम कंपनी ने स्वीकार नहीं किया है ।	यह तथ्यों का विवरण है ।
13.	हमारी राय में चिट फंड या एक निधि / म्युचुवल फंड / सोसाईटी नहीं है। अतः कंपनी के मामले में यह खण्ड (XIII) प्रयोज्य नहीं है।	यह तथ्यों का विवरण है ।
14.	हमारी राय में कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों तथा अन्य निवेशों में कोई कारोबार नहीं कर रही है । यद्यपि पुराने निवेश कंपनी के अपने नाम में दर्ज है।	यह तथ्यों का विवरण है ।
15.	कंपनी ने दूसरों द्वारा बैंक या वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों की कोई गारंटी नहीं ली है ।	यह तथ्यों का विवरण है ।
16.	वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई सावधिक ऋण प्राप्त नहीं किया है।	यह तथ्यों का विवरण है ।
17.	तुलनपत्र के समग्र परीक्षण के बादहमारी जांच के आधार पर कंपनी ने लम्बी अवधि के निवेश के लिए अल्प अवधि आधार पर कोई फण्ड नहीं लिया है।	यह तथ्यों का विवरण है ।
18.	चूंकि कंपनी कोल इंडिया की एक सहायक कम्पनी है -शयरों का प्राथमिकता के आधार पर आवंटन का प्रश्न ही नही उठता।	यह तथ्यों का विवरण है ।

19.	कंपनी ने कोई डिबेंचर्स जारी नहीं किया है, इसलिए प्रतिभूतियों के निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठाता।	यह तथ्यों का विवरण है।
20.	चूंकि कंपनी सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, इसलिए पब्लिक इशु द्वारा धन प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।	यह तथ्यों का विवरण है।
21.	वर्ष में लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी पर या कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं पाया गया।	यह तथ्यों का विवरण है।

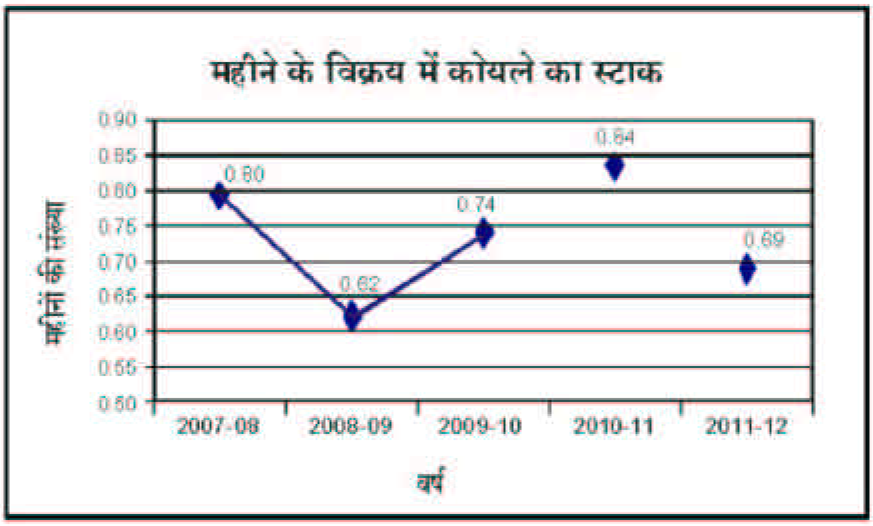
महीने के विक्रय में कोयले का स्टाक
महीनों की संख्या
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.80
0.62
0.74
0.84
0.69
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
वर्ष

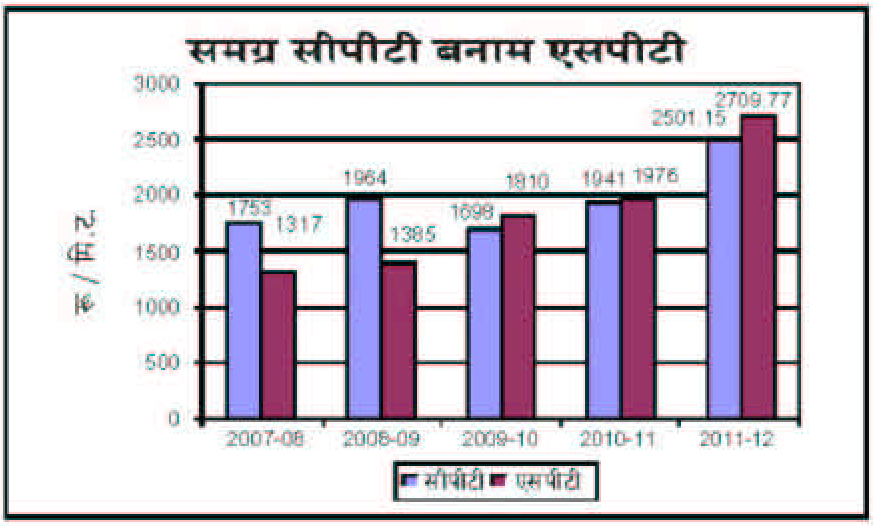
समग्र सीपीटी बनाम एसपीटी
रु / मि.ट.
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1753
1317
1964
1385
1698
1810
1941
1976
2501.15
2709.77
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
सीपीटी
एसपीटी

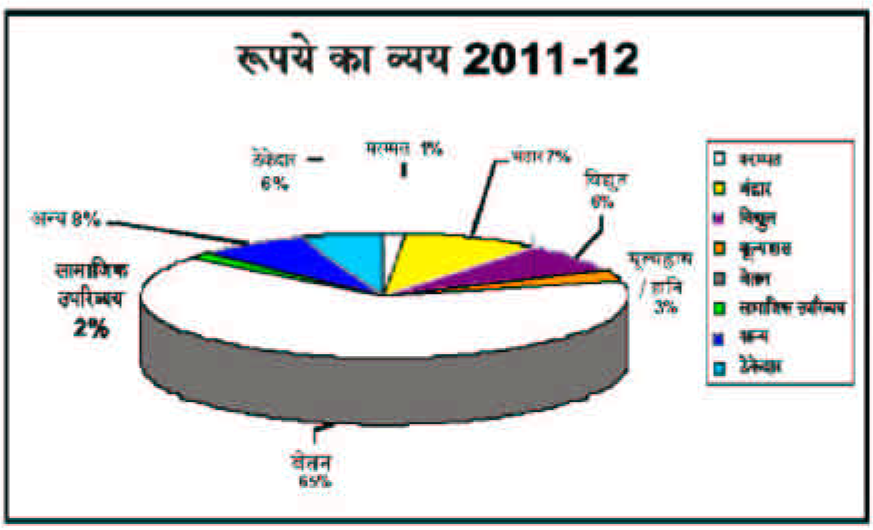
रूपये का व्यय 2011-12
ठेकेदार 6%
मरम्मत 1%
भंडार 7%
विद्युत 6%
अन्य 8%
सामाजिक उपरिव्यय 2%
वेतन 65%

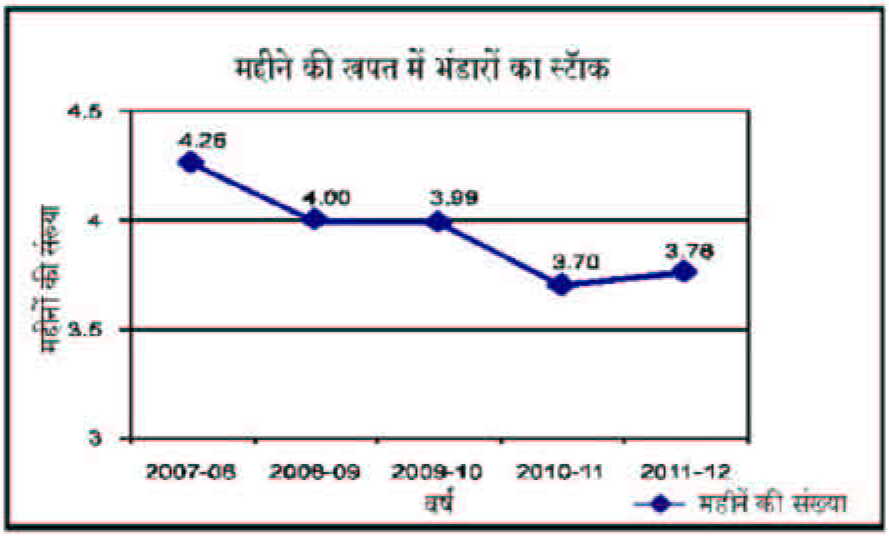
महीने की खपत में भंडारों का स्टॉक
महीनों की संख्या
4.5
4
3.5
3
4.26
4.00
3.99
3.70
3.76
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
वर्ष
महीनें की संख्या

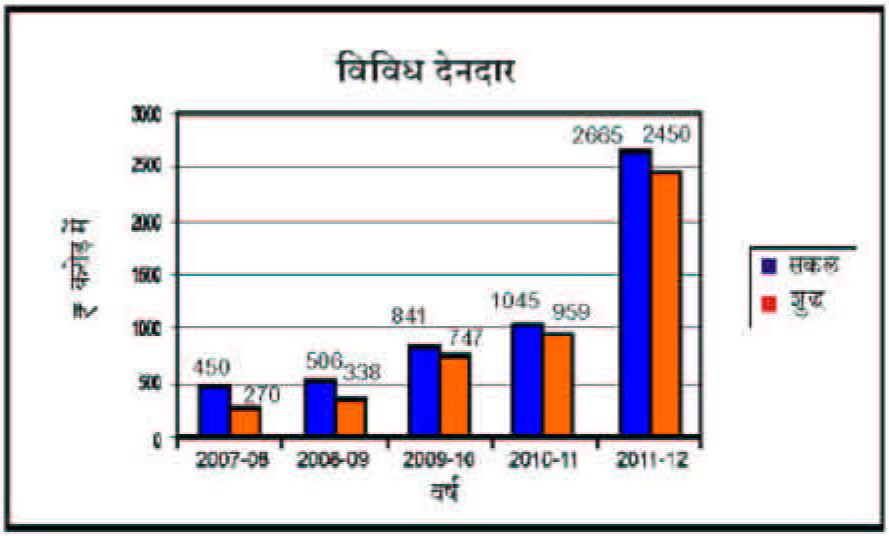
विविध देनदार
₹ करोड़ में
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
450
270
506
338
841
747
1045
959
2665
2450
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
वर्ष
सकल
शुद्ध

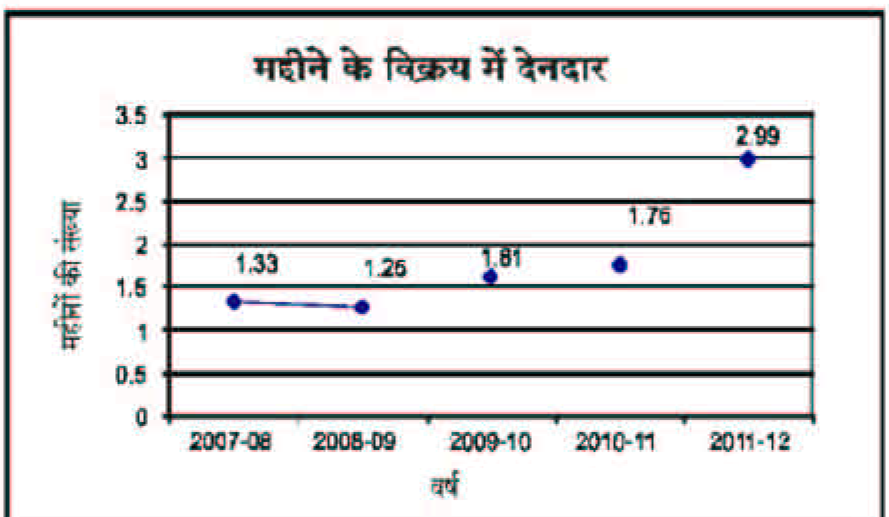
महीने के विक्रय में देनदार
महीनों की संख्या
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
1.33
1.26
1.61
1.76
2.99
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
वर्ष

31 मार्च को तुलनपत्र

(रू. करोड़ में)

विवरण	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
निधियों का स्रोत :										
अंश पूंजी	2218.45	2218.45	2218.45	2218.45	2218.45	2218.45	2218.45	2218.45	2218.45	2218.45
ऋण का इक्विटी में परिवर्तन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
रिजर्व एवं सरप्लस	-4462.91	-4789.29	-5618.33	-5254.47	-5143.87	-6458.31	-8567.40	-8234.00	-8127.43	-7165.30
ब्याज एवं बकाया	168.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋण निधि	769.91	708.64	680.84	708.33	672.96	656.23	689.26	665.52	656.24	670.18
अन्य गैर चालू देयताएं									11.20	5.51
लंबी अवधि प्रावधान	1137.32	1361.22	1608.54	1668.15	1824.59	2324.70	3342.90	3634.76	4136.04	4731.93
	-168.36	-500.98	-1110.50	-659.54	-427.87	-1258.93	-2316.79	-1715.27	-1105.50	460.77
निधियों का उपयोग :										
स्थिर परिसम्पत्ति										
सकल ब्लाक	4617.14	4706.47	4794.90	4831.90	4920.65	5030.21	5217.34	5290.16	5197.08	5389.97
न्यून: मूल्य ह्रास	3042.58	3203.55	3488.87	3568.83	3660.27	3789.40	3983.67	4097.59	3988.28	4107.20
शुद्ध ब्लाक	1574.56	1502.92	1306.03	1263.07	1260.38	1240.81	1233.67	1192.57	1208.80	1282.77
पूंजीगत चालू कार्य	73.95	43.90	42.53	40.63	49.20	41.34	39.85	64.80	36.91	51.28
विकास के तहत गैर भूर्त परिसम्पत्तियाँ									11.28	46.22
गैर चालू निवेश	0.08	0.41	0.41	0.41	0.38	0.34	0.31	0.28	0.21	0.18
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ									18.34	17.68
अन्य लंबी अवधि ऋण एवं अग्रिम									6.57	21.04
चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम										
चालू निवेश									0.03	0.03
वस्तु सूची	251.14	260.41	309.28	404.49	427.28	331.42	323.83	453.36	568.72	622.93
विविध देनदार	1077.36	684.34	321.12	276.07	269.15	269.84	338.11	746.79	959.20	2459.37
नकद एवं बैंक शेष	488.85	628.70	852.64	1314.80	846.71	664.36	688.98	947.88	940.99	1248.74
अन्य चालू परिसंपत्तियां	22.15	17.78	18.25	35.45	35.99	42.75	48.35	33.65	65.83	83.28
ऋण एवं अग्रिम	85.61	114.62	95.64	143.17	132.66	138.00	130.33	146.82	77.59	176.23
उप योग	1925.11	1705.85	1596.93	2173.98	1711.79	1446.37	1529.60	2328.50	2612.36	4590.58
न्यून : चालू देयताएं	3765.41	3754.06	4056.40	4137.63	3449.62	3987.79	5120.22	5301.42	4999.97	5548.98
निवल चालू परिसंपत्तियां	-1840.30	-2048.21	-2459.47	-1963.65	-1737.83	-2541.42	-3590.62	-2972.92	-2387.61	-958.40
विविध व्यय	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	-168.36	-500.98	-1110.50	-659.54	-427.87	-1258.93	-2316.79	-1715.27	-1105.50	460.77

नियोजित पूंजी, शुद्ध मूल्य एवं वित्तीय अनुपात

(रु० करोड़ में)

विवरण	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
नियोजित पूंजी	-828.59	-1199.95	-1877.36	-1534.04	-1395.59	-2318.43	-3526.75	-3135.66	-1320.30	171.10
शुद्ध मूल्य	-2244.46	-2570.84	-3399.88	-3036.02	-2925.42	-4239.86	-6348.95	-6015.55	-5908.98	-4946.85
बीआरपीएसई प्रक्षेपन के तहत शुद्ध मूल्य			-3399.89	-3318.41	-3366.12	-3382.32	-2839.76	-1968.26	-1050.73	-224.94
तरलता अनुपात :										
i चालू अनुपात (चालू परिसंपत्तियां/चालू देयताएं)	0.51	0.45	0.39	0.53	0.50	0.36	0.30	0.44	0.52	0.83
कुल बिक्री अनुपात :										
i पूंजी टर्न ओवर अनुपात	-3.29	-2.29	-1.62	-2.23	-2.52	-1.37	-1.09	-1.57	-4.46	48.29
ii विविध देनदार (सकल)										
a). सकल बिक्री	4.31	3.24	1.77	1.41	1.29	1.33	1.25	1.61	1.76	2.99
b). निवल बिक्री	5.47	4.10	2.26	1.80	1.65	1.70	1.58	1.93	2.13	3.87
iii) कोयले का स्टाक (उत्पाद शुल्क का शुल्क)	0.54	0.58	0.72	0.96	1.01	0.80	0.62	0.74	0.84	0.66
iv) भंडार एवं स्पेयर्स का स्टाक महीने की खपत में केन्द्रीय अस्पताल में दवा का भंडार	5.60	5.31	5.32	4.61	4.59	4.26	4.00	3.99	3.70	3.78
संरचनात्मक अनुपात :										
i). नामे : इक्विटी	0.35	0.32	0.31	0.32	0.30	0.30	0.31	0.30	0.30	0.30
ii) नामे : शुद्ध मूल्य	-0.34	-0.28	-0.20	-0.23	-0.23	-0.15	-0.11	-0.11	-0.11	-0.14

लाभ एवं हानि

(रू. करोड़ में)..

विवरण	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
विक्रय (लेवी का निवल)	2729.06	2746.24	3048.19	3417.68	3518.21	3187.61	3837.40	5227.78	5882.60	8262.09
अन्य आमदनी	227.60	191.53	148.20	227.18	186.01	204.53	207.77	348.76	354.37	298.62
वृद्धि / कमी	-6.06	13.70	47.50	99.94	22.21	-85.86	-11.90	123.26	112.35	44.67
अपने उद्देश्य हेतु कर्मशाला कार्य	45.18	48.20	47.81	51.41	45.34	44.72	44.51	50.48	0.00	0.00
ब्याज की माफी	0.00	168.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
शीर्ष खर्च की मांफी	0.00	82.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विद्युत शुल्क की मांफी	0.00	0.00	0.00	34.32	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विविध उद्देश्यों के लिए जारी कोयला	0.19	0.08	0.03	0.09	0.07	0.08	0.16	0.01	0.00	0.00
	2995.97	3250.87	3291.73	3830.62	3788.06	3351.09	4077.94	5750.29	6349.32	8605.38
कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ	1911.93	2022.76	2250.38	1981.69	2160.87	2597.87	3803.75	3364.35	4042.04	5087.34
बकाया वेतन एवं मजदूरी		204.61	376.32			163.90	604.89	68.81	0.00	0.00
भंडार एवं स्पेयर की खपत	339.59	343.51	353.60	404.62	411.14	427.37	466.61	490.96	539.95	574.22
विद्युत एवं ईंधन	248.60	246.13	258.81	272.18	253.63	263.66	259.25	304.79	376.11	382.42
मरम्मत	63.19	84.86	65.87	69.50	67.93	74.63	70.95	82.82	57.02	61.76
सामाजिक उपरिव्यय	140.45	141.14	151.03	166.28	199.72	229.89	268.09	256.40	180.52	209.40
ठेका खर्च	94.13	108.12	167.25	213.27	243.61	210.91	254.87	342.00	410.98	461.42
विविध खर्च	72.58	60.64	82.86	86.95	97.60	134.69	148.51	160.16	176.44	208.45
मूल्य ह्रास	171.06	169.42	148.84	142.98	136.24	147.00	206.86	146.69	184.72	200.90
हानि	0.00	0.00	11.49	14.73	5.28	21.83	20.96	9.51		
ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	42.27	4.14	0.81	10.06	0.41	0.29	0.07	0.01	1.01	0.16
ओवर बर्डेन निष्कासन	129.47	91.81	69.25	99.80	82.73	80.42	165.86	170.35	164.06	248.19
प्रावधान	74.37	94.09	-2.24	-8.96	3.64	12.47	17.43	-13.55	87.27	188.99
बट्टे खाते	0.00	0.00	7.77	2.68	10.04	0.00	2.76	1.97	22.61	
	3287.64	3571.22	3941.04	3455.77	3672.84	4364.83	6180.86	5415.27	6242.75	7643.25
पीपीए पूर्व वर्ष के लिए लाभ(+)/हानि(-)	-291.67	-320.35	-649.31	374.85	115.22	-1013.74	-2102.92	335.02	106.57	962.13
पूर्वावधि समंजन	-47.11	-6.03	-29.89	-2.89	2.90	-12.92	-2.78	-1.62	0.00	0.00
विविध लाभ कर				-8.10	-7.52	-3.27	-3.39	0.00	0.00	0.00
सीपीआरए पश्चात लाभ(+)/हानि(-)	-338.78	-326.38	-679.20	363.86	110.60	-1029.93	-2109.09	333.40	106.57	962.13
विगत वर्ष का लाभ एवं हानि	-4124.14	-4462.92	-4789.30	-5618.34	-5254.49	-5143.88	-6458.31	-8567.40	-8234.00	-8127.43
पारगमनीय प्रावधान			-149.84			-284.50	0.00	0.00	0.00	0.00
शेष जो तुलनपत्र में लाया गया	**-4462.92**	**-4789.30**	**-5618.34**	**-5254.48**	**-5143.88**	**-6458.31**	**-8567.40**	**-8234.00**	**-8127.43**	**-7165.30**

नोट : वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के लिए आंकड़े संशोधित अनुसूची VI के तहत।

संचालन सांख्यिकी

31 मार्च को समाप्त वर्ष		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 (क)	कच्चे कोयले का उत्पादन: (मिलियन टन)										
	भूमिगत	10.95	9.91	9.45	9.33	8.27	8.32	8.39	8.23	7.37	6.83
	खुली खदान	16.23	18.09	17.80	21.78	22.20	15.74	19.74	21.83	23.43	23.73
	कुल	27.18	28.00	27.25	31.11	30.47	24.06	28.13	30.06	30.80	30.56
(ख)	ओवर बर्डेन निष्कासन (मिलियन घन मीटर)	32.04	35.98	39.70	44.30	48.78	39.98	43.07	49.74	56.25	60.31
2.	प्रेषण (कच्चा कोयला) : (मिलियन टन)										
	लोको	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	विद्युत	22.91	24.14	24.11	25.17	26.17	21.94	23.69	25.22	26.21	24.27
	सीमेंट	0.08	0.11	0.13	0.14	0.18	0.17	0.15	0.15	0.15	0.14
	उर्वरक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कोलियरी खपत	0.54	0.52	0.50	0.48	0.45	0.42	0.41	0.40	0.38	0.34
	अन्य	3.76	2.66	2.43	2.90	2.99	2.91	4.01	3.45	3.00	6.08
	कुल :	27.29	27.43	27.17	28.69	29.79	25.44	28.26	29.22	29.74	30.83
3.	जनशक्ति	114582	110132	105692	101474	96780	94943	90470	86617	81126	78009
4.	उत्पादकता										
	भूमिगत	0.48	0.45	0.43	0.45	0.42	0.43	0.46	0.47	0.45	0.44
	खुली खान	4.89	5.30	5.30	6.61	7.03	5.04	6.42	7.29	8.14	8.64
	समग्र	1.03	1.10	1.07	1.29	1.34	1.07	1.39	1.46	1.60	1.68

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए
तुलन पत्र (समेकित)

(करोड़ रुपयों में)

		अनुसूची	31.03.2012 को		31.03.2011 को	
I	**इक्विटी एवं देयताएं**					
(1)	अंशधारकों की निधि					
	क) अंशगत पूंजी	1	2,218.45		2,218.45	
	ख) आरक्षण तथा अधिशेष	2	(7165.30)		(8,127.43)	
				(4,946.85)		(5,908.98)
(2)	**गैर मौजूदा देयताएं**					
	क) दीर्घावधि उधार	3	670.18		656.24	
	ख) आस्थगित कर-देयताएं					
	ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं	4	5.51		11.20	
	घ) दीर्घावधि प्रावधान	5	4,731.93		4,136.04	
				5,407.62		4,803.48
(3)	**अल्प हित**			-		-
(4)	**चालू देयताएं**					-
	क) अल्पावधि उधार	6	1,772.49		2,535.19	
	ख) व्यापार देय	7	72.85		62.74	
	ग) अन्य चालू देयताएं	8	2,755.14		1,961.05	
	घ) अल्पावधि प्रावधान	9	948.50		440.99	
				5,548.98		4,999.97
	कुल			**6,009.75**		**3,894.47**
II	**आस्तियाँ**					
(1)	**गैर-मौजूदा आस्तियाँ**					
	क) स्थिर आस्थियाँ					
	i) मूर्त आस्थियाँ - सकल ब्लॉक	10ए	4,157.09		4,003.93	
	न्यून: मूल्य ह्रास, हानि एवं प्रावधान		3,032.15		2,979.11	
	निवल भार मूल्य			**1,124.94**		**1,024.82**
	ii) अमूर्त आस्थियाँ - सकल ब्लॉक	10ए	1,232.88		1,193.15	
	न्यून: मूल्य ह्रास, हानि एवं प्रावधान		1,075.05		1,009.17	
	निवल भार मूल्य			**157.83**		**183.98**

तूलन-पत्र जारी है .....

(करोड़ रुपयों में)

		अनुसूची	31.03.2012 को		31.03.2011 को	
	iii) पूंजीगत कार्य प्रगति	10 बी		51.28		36.91
	iv) विकासशील अमूर्त आस्तियाँ	10 सी		46.22		11.28
(ख)	गैर-मौजूदा निवेश	11		0.18		0.21
(ग)	आस्थगित कर आस्तियाँ					
(घ)	दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	12		21.04		6.57
(ङ)	अन्य गैर-मौजूदा आस्तियाँ	13		17.68		18.34
(2)	**चालू आस्तियाँ**	14	0.03		0.03	
	क) चालू निवेश	15	622.93		568.72	
	ख) वस्तु सूची	16	2,459.37		959.20	
	ग) व्यापार प्राप्तियाँ	17	1,248.74		940.99	
	घ) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	18	176.23		77.59	
	ङ) अन्य चालू आस्तियाँ	19	83.28		65.83	
				4,590.58		2,612.36
	कुल			**6,009.75**		**3,894.47**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ 33
लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणीयाँ 34
उपरोक्त टिप्पणीयाँ तुलन-पत्र का एक अभिन्न अंग है।

दिनांक :
स्थान :

राकेश सिन्हा
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 02186695

ए. के. सोनी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 03248110

बी. आर. रेड्डी
कंपनी सचिव

ए. के. भौमिक
महा प्रबन्धक (वित्त)

कलकत्ता
दिनांक 18 मई 2012

(पी. एस. डे)
भागीदार
सदस्यता संख्या - 16727
कृते दत्ता सरकार कंपनी
अधिकृत लेखापाल
फर्म पंजीयन सं - 303114 ई

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभ - हानि लेखा

(रू. करोड़ में)

आय	टिप्पणी	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष
कोयला, कोक इत्यादि का विक्रय	20	10,695.11	7,139.32
न्यून: उत्पाद शुल्क		(410.58)	(41.51)
अन्य उगाही		(2,022.44)	(1,215.21)
परिचालन से राजस्व		8,262.09	5,882.60
अन्य आय	21	298.62	354.37
कुल राजस्व		**8,560.71**	**6,236.97**
व्यय			
प्रयुक्त सामग्री की लागत	22	574.22	539.95
विक्रय माल	23	(44.67)	(112.35)
कर्मचारी लाभ व्यय	24	5,087.34	4,042.04
बिजली तथा ईंधन		382.42	376.11
व्यय	25	209.40	180.52
	26	61.76	57.02
संविदात्मक व्यय	27	481.42	410.98
वित्तीय लागत	28	0.16	1.01
शुल्क ह्रास / ऋण परिशोधन		200.90	184.72
प्रावधान	29	188.99	87.27
बट्टे खाते	30		22.61
अधिभार निष्कासन समायोजन		248.19	164.08
अन्य व्यय	31	208.45	176.44
कुल व्यय		**7,598.58**	**6,130.40**
लाभ / हानि पूर्वावधि समंजन, अपवाद एवं असाधारण मदों तथा कर		**962.13**	**106.57**
पूर्वावधि समायोजन {प्रभार / (आय)}	32	-	-
विशिष्ट मदों		-	-
असाधारण मदों एवं कर के पहले लाभ / (हानि)		**962.13**	**106.57**
असाधारण मदों {प्रभार / (आय)}		-	-
कर के पहले लाभ / (हानि)		**962.13**	**106.57**

तूलन-पत्र जारी है .....

(रू. करोड़ में)

आय	टिप्पणी	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष
न्यून : - कर व्यय			
- चालू वर्ष		-	-
- बकाया कर		-	-
- विगत वर्ष		-	-
अवधि के दौरान लाभ / (हानि)		**962.13**	**106.57**
प्रति शेयर अर्जन (₹)			
(₹ 1000/- प्रति शेयर अंकित मूल्य)			
(1) आधार		433.69	48.00
(2) तनूकृत		-	-
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	33		
लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ	34		

उपरोक्त संबंधित टिप्पणियाँ लाभ एवं हानि खाते का अभिन्न अंग है।

राकेश सिन्हा
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 02186695

ए. के. सोनी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 03248110

बी. आर. रेड्डी
कंपनी सचिव

ए. के. भौमिक
महा प्रबन्धक (वित्त)

कलकत्ता
दिनांक 17 मई 2011

(पी. एस. डे)
भागीदार
सदस्यता संख्या - 16727
कृते दत्ता सरकार कंपनी
अधिकृत लेखापाल
फर्म पंजीयन सं - 303114 ई

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान नकद प्रवाह का विवरण

(रु० करोड़ में)

		31.03.2012		31.03.2011
क) संचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह				
कर एवं असाधारण मदों के समायोजन पूर्व शुल्क लाभ		962.13		106.57
मूल्य ह्रास	200.90		280.57	
प्राप्त पट्टाभाड़ा	(3.50)		(3.50)	
ब्याज आमदनी	(70.78)		(50.00)	
ओबीआर समायोजन	248.19		164.08	
परिसम्पत्तियों की हानि या प्रावधान	(5.30)		(0.03)	
ब्याज खर्च	0.16	380.27	1.01	391.93
		1342.40		498.50
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन पूर्व संचालन लाभ -				
विविध देनदारों में कमी /वृद्धि	(1500.17)		(212.41)	
ऋण एवं अग्रिम में वृद्धि / कमी	(113.11)		13.49	
अन्य चालू परिसम्पत्तियों में वृद्धि / कमी	(16.76)		(2.93)	
वस्तुसूची में कमी / वृद्धि	(54.21)		(115.36)	

वर्तमान देयताओं में वृद्धि /कमी				
(ओबीआर समायोजन छोड़कर)	909.52		(51.62)	
संचालन से प्राप्त नकद		(774.76)		(368.83)
		167.64		129.67
पुर्वावधि समंजन		(0.00)		(0.00)
	--		--	

संचालन गतिविधियों से शुल्क नकद प्रवाव		**567.64**		**129.67**
(ख) निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह				
पूंजीगत चालू कार्य सहित स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद	(332.96)		(184.93)	
स्थिर **परिसम्पत्तियों** के मूल्य में समायोजन	3.35		0.00	

8.5% आर बी आई पावर बांड प्राप्त पट्टा भाड़ा	0.03		0.03	
व्याज आमदनी	3.50		3.50	
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह		(255.30)		(131.20)
		(312.34)		(1.53)
(ग) वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह :				
लम्बी अवधि उधार का पुन: भुगतान	(4.43)		(4.35)	
व्याज का भुगतान दिया गया	(0.16)		(1.01)	
		(4.59)		(5.36)
नकद/नकद समतुल्य में शुल्क (वृद्धि)		307.75		(6.89)
प्रारंभिक नकद एवं बैंक शेष		941.99		947.88
अंतिम नकद एवं बैंक शेष		1248.74		940.99

राकेश सिन्हा
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन – 02186695

ए. के. सोनी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन – 03248110

वी. आर. रेड्डी
कंपनी सचिव

ए. के. भौमिक
महा प्रबन्धक (वित्त)

कलकत्ता
दिनांक 18 मई 2012

(पी. एस. डे)
भागीदार
सदस्यता संख्या - 16727
कृते दत्ता सरकार कंपनी
अधिकृत लेखापाल
फर्म पंजीयन सं – 303114 ई

नकद प्रवाह के विवरण में खदान बंदीयोजना (परिसंपत्तियां) एवं खदानबंदी देयताएं शामिल नहीं है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
31 मार्च, 2012 तक के तुलन पत्र की अनुसूची
नोट – 1

अंशगत पूंजी	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष (लाख रूपयों में)	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष (लाख रूपयों में)
अधिकृत		
रू. 1000/- प्रत्येक के 2,50,00,000 (गत वर्ष के 2,50,00,000 के इक्विटी शेयर)	2500.00	2500.00
जारी, पूर्वकृत एवं प्रदत्त		
रू. 1000/- के प्रत्येक के नकद रूप में पूर्ण प्रदत्त 1,03,90,000 (गत वर्ष 1,03,90,000) इक्विटी शेयर	1039.00	1039.00
रू. 1000/- के प्रत्येक के नकद रूप में पूर्ण प्रदत्त 1,17,94,500 (गत वर्ष 1,17,94,500) इक्विटी शेयर स्वीकृति हेतु	1179.45	1179.45
कुल	2218.45	2218.45

नोट 1 : 5% शेयर से अधिक प्रत्येक शेयर धारक द्वारा कंपनी में शेयर।

अंशधारी का नाम	शेयर की संख्या अंकित मूल्य ₹ 10 प्रत्येक	कुल शेयर का %

नोट 2 : वर्ष के दौरान शयरों की संख्या में कोई बदलाव नहीं।

क

संकेतित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ

नोट - 2

(रू करोड में)

आरक्षित एवं सरप्लस	31.03.2012	31-03-2011
आरक्षित :		
आरक्षित पूंजी :		
विगत तुलनपत्र के मुताबिक	-	-
योग : वर्ष के दौहरान बढ़ोत्तरी	-	-
न्यून : वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
	-	-
पूंजी मोचन आरक्षित :		
विगत तुलनपत्र के मुताबिक	-	-
योग : वर्ष के दौहरान बढ़ोत्तरी	-	-
न्यून : वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
	-	-
विदेशी विनिमय लेनदन हेतु आरक्षित		
विगत तुलनपत्र के मुताबिक	-	-
योग : वर्ष के दौहरान बढ़ोत्तरी	-	-
न्यून : वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
	-	-
सीएसआर आरक्षित		
विगत तुलनपत्र के मुताबिक	-	-
योग : वर्ष के दौहरान बढ़ोत्तरी	-	-
न्यून : वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
	-	-
सामान्य आरक्षित :		
विगत तुलनपत्र के मुताबिक	-	-
योग : वर्ष के दौहरान बढ़ोत्तरी	-	-
योग/न्यून : वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
	-	-
लाभ एवं हानि लेखा में सरप्लस	-	-
विगत तुलनपत्र के मुताबिक	(8,127.43)	(8,234.00)
वर्ष के दौरान कर पश्चात लाभ (हानि)	962.13	106.57
विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ / (हानि)	(7,165.30)	(8,127.43)

संकेतित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ

विनियोग :

विदेशी विनिमय लेनदेन हेतु रिजर्व	-	-
सामान्य रिजर्व को स्थानांतरित	-	-
सीएसआर रिजर्व को स्थानांतरित	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-
इक्विटी शेयर पर प्रस्तावित लाभांश	-	-
कारपोरेट लाभांश कर	-	-

संकेतित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ

नोट - 3

लम्बी अवधि उधार (रू करोड़ में)

	31-03-2012	31-03-2011
सावधि ऋण		
आई बी आर डी	-	-
जे बी आई सी	-	-
निर्यात विकास निगम, कनाडा	151.21	137.27
लिभेर फ्रांस एफ.ए. फ्रांस		
कोल इंडिया लि० से ऋण	518.97	518.97
कुल (क + ख)	**670.18**	**656.24**
वर्गीकरण – 1		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	670.18	656.24

वर्गीकरण – 2

निदेशकों एवं अन्य द्वारा गारेन्टेड ऋण

ऋण का विभाजन	₹ करोड़ में	गारंटी की प्रकृति
निर्यात विकास निगम, कनाडा	151.21	भारत सरकार

नोट : सीआईएल द्वारा निर्यात विकास निगम कनाडा से असुरक्षित ऋण के संबंध में विनिमय उतार जमा रू. 18.50 करोड़ (जमा रू. 0.64 करोड़) को सुरक्षित ऋण के मूल्य में समायोजित कर लिया गया है तथा इसे लाभ–हानि लेखा में टिप्पणी सं० 31 में दिखाया गया है।

संकेतित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ

नोट - 4

अन्य लम्बी अवधि की देयताएँ : (रू करोड़ में)

	31-03-2012	31-03-2011
विस्थापन एवं पुनर्वास फंड :		
आरंभिक शेष	-	-
योग : फंड के निवेश से ब्याज	-	-
योग : प्राप्त अंशदान	-	-
न्यून : राशि उपयोग की गई	-	-
	-	-
देय व्यापार		
सुरक्षा जमा	4.31	-
अन्य (विशिष्ट प्रकृति)	1.20	11.20
कुल	**5.51**	**11.20**

संकेतित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ

नोट - 5

लंबी अवधि का प्रावधान : (रू करोड़ में)

	31-03-2012	31-03-2011
कर्मचारियों के लाभ हेतु		
- ग्रेच्युटी	2,271.77	2,074.72
- छुट्टी नकदीकरण	340.33	350.50
- अन्य कर्मचारी लाभ	241.22	137.82
	-	-
विदेश विनिमय लेन देन के लिए	-	-
ओबीआर समायोजन लेखा	1,725.34	1,477.15
खदान बंदी	153.27	95.85
अन्य	-	
कुल	**4,731.93**	**4,136.04**

नोट 5.1: ग्रेच्युटी का वर्ष के अंत में देयताएं, छुट्टी नकदीकरण एवं अन्य कर्मचारी लाभ जैसे सकल व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी, लीभ ट्रेवेल कन्सेशन, सेवा निवृत अधिकारियों के लिए चिकित्सा लाभ, खदान दुर्घटना मृत्यु के मामले में आश्रितों को क्षतिपूर्ति इत्यादि का बीमांकन आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

संकेतित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ

नोट - 6

अल्प अवधि उधार : (रू करोड़ में)

	31-03-2012	31-03-2011
बैंक में ऋण	-	-
मांग पर पुन: देय ऋण		
कोल इंडिया लि० एवं कोल इंडिया की अन्य सहायक कंपनियों के साथ शेष	**1,772.49**	**2,535.19**
सावधि जमा के शपथ के बदले ओवर ड्राफ्ट	-	-
अन्य ऋण एवं अग्रिम		
आस्थगित जमा	-	-
कुल	**1,772.49**	**2,535.19**
वर्गीकरण – 1		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	1,772.49	2,535.19

वर्गीकरण – 2

निदेशकों एवं अन्य द्वारा गारंटेड ऋण

ऋण का विभाजन	₹ करोड़ में	गारंटी की प्रकृति
शून्य	शून्य	शून्य

संकेतित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ

नोट - 7

व्यापार देय : (रू करोड़ में)

	31-03-2012	31-03-2011
राजस्व भंडार के लिए विविध देनदार	72.85	62.74
कुल	**72.85**	**62.74**

संकेतित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ

नोट - 8

अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ : (रू करोड़ में)

	31-03-2012	31-03-2011
लंबी अवधि उधार की चालू परिपक्वता		
आई बी आर डी से सावधि ऋण	-	-
जे बी आई सी से सावधि ऋण	-	-
निर्यात विकास निगम कनाडा से सावधि ऋण	4.42	4.29
लीभरे फ्रांस एस.ए. फ्रांस से अवधि ऋण	-	-
कोल इंडिया लि० से ऋण	-	-
कोल इंडिया से सरप्लस फंड	-	-
सहायक कंपनियों के साथ चालू खाता	-	-
पूंजी के लिए (भंडार समेत)	12.30	14.21
व्यय के लिए		
वेतन एवं भत्ते	780.63	242.61
विद्युत एवं ईंधन	40.89	43.15
अन्य	79.96	72.70
	901.48	**358.46**
वैधानिक बकाया		
विक्रय कर / वैट	-	-
भविष्य निधि एवं पेंशन निधि	70.11	54.18
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	21.41	28.26
कोयला पर रायल्टी एवं सेस	23.75	12.23
स्टोविंग उत्पाद शुल्क	10.08	8.62
स्वच्छ उर्जा उपकर	19.19	27.91
अन्य वैधानिक लेवी	9.90	9.87
	154.44	**141.07**
स्रोत पर काटा गया आयकर	12.20	28.69
सुरक्षा जमा	70.03	53.02
ब्याज राशि	67.21	21.88

ग्राहक / अन्य से अग्रिम एवं जमा	430.25	208.69
ब्याज प्रोद्भुत किंतु उधार पर बकाया नहीं।	-	-
उपकर समुतुल्यकरण लेखा	-	-
सेस समानीकरण लेखा	849.78	905.92
आईआईसीएम के साथ चालू लेखा	-	-
भुगतान नहीं किया गया लाभांश	-	-
पूर्व स्वामी लेखा	-	-
अग्रिम जमा अन्य राष्ट्रीकरण पूर्व	-	-
अन्य देयताएं	253.03	224.82
कुल	**2,755.14**	**1,961.05**

नोट - 8.1 :- कोयला धारित भूमि के वार्षिक मूल्य पर सेस के भुगतान की प्रक्रिया में पहले के दो वर्षों के औसत उत्पादन जो प्रत्येक वर्ष पहली अप्रेल को प्रचलित दर पर तथा कोयले के प्रेषण के मूल्य पर ग्राहकों से वसूल किया गया, इससे ₹ 849.78 करोड़ (₹ 905.92 करोड़) जमा है, जिसे सेस इक्वालाईजेशन लेख के तहत दिखाया गया है।

संकेतित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ

नोट - 9

अल्प अवधि प्रावधान : (₹ करोड़ में)

	31-03-2012	31-03-2011
कर्मचारियों के लाभ के लिए		
- ग्रेच्युटी	**530.67**	**149.69**
- छुट्टी नकदीकरण	**49.40**	**0.94**
- पीपीएलबी	162.52	118.04
- पीआरपी	146.10	116.46
- अन्य कर्मचारी लाभ	58.62	52.13
प्रस्तावित लाभांश के लिए	-	-
कारपोरेट लाभांश कर के लिए	-	-
आयकर हेतु, प्रावधान		
अग्रिम आयकर / श्रोत पर काटा गया आयकर		
बंद कोयला स्टाक पर उत्पाद शुल्क के लिए		
अन्य के लिए	1.19	3.73
कुल	**948.50**	**440.99**

नोट - **9.1** :- ग्रच्युटी एवं छुट्टी नकदीकरण के संबंध मे कर्मचारियों के लाभ में बीमांकक मूल्यांकन का अपेक्षित भुगतान बाद के एक वर्ष के दौरान क्रमश: ₹ 384.07 करोड़ एवं ₹ 41.24 करोड़ ।

NOTE - 10 A
स्थिर परिसम्पत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				हानि					कुल वहन मूल्य	
	01.04.11 को	अवधि के दौरान योग	अवधि के दौरान समायोजन/ बिक्री /स्थानांतरण	31.03.12	01.04.11 को	अवधि के दौरान योग	अवधि के दौरान समायोजन/ बिक्री /स्थानांतरण	31.03.12 को	01.04.11 को	अवधि के दौरान योग	अवधि के दौरान समायोजन/ बिक्री /स्थानांतरण	31.03.12 को	कुल मूल्य ह्रास /हानि	31.03.12 को	31.12.11 को
मूर्त परिसंपत्तियाँ															
भूमि															
(a) फ्री होल्ड	67.93	13.75	-	81.68	11.55	1.33	-	12.88	-	-	-	-	12.88	68.80	56.38
(b) लीज होल्ड	53.85	0.76	(3.42)	51.19	6.78	4.65	-	11.43	-	-	-	-	11.43	39.76	47.07
भवन/जल आपूर्ति/सड़क एवं पुलिया	461.76	7.8	-	469.56	201.06	11.45	-	212.51	-	-	-	-	212.51	257.05	260.70
संयंत्र एवं औजार	3,269.38	214.33	(95.52)	3,389.19	2,636.82	114.64	(82.42)	2,669.04	-	-	-	-	2,669.04	720.15	623.56
दूर संचार	18.10	0.98	-	19.08	16.43	0.29	-	16.72	-	-	-	-	16.72	2.36	1.67
रेलवे साइडिंग	25.70	0.52	-	26.22	17.52	0.81	-	18.33	-	-	-	-	18.33	7.89	8.18
उपस्कर/ कार्यालय टूल एवं उपकरण / विद्युत फिटिंग / फायर आर्म	95.33	2.72	(0.07)	97.98	69.27	2.56	(0.07)	71.76	-	-	-	-	71.76	26.22	26.06
वाहन	12.71	1.74	(0.43)	14.02	11.51	0.21	(0.41)	11.31	-	-	-	-	11.31	2.71	1.20
सड़क कार्य															
विकास															
राष्ट्रीकरण पर अधिग्रहण संपत्ति	8.17	-	-	8.17	8.17			8.17				-	8.17	-	-
कुल	**4,003.93**	**242.60**	**(89.44)**	**4,157.09**	**2,979.11**	**135.94**	**(82.90)**	**3,032.15**	-	-	-	-	**3,032.15**	**1,124.94**	**1,024.82**
31.03.2011 को मूर्त परिसम्पत्तियां	3,944.17	149.48	(89.72)	4,003.93	2,833.54	132.33	(86.76)	2,979.11				-	2,979.11	1,024.82	1,010.63
अमूर्त परिसंपत्तियाँ															
कम्प्यूटर सफ्टवेयर विकास	993.45	39.14	-	1,032.59	646.96	33.90		680.86	172.94	23.94	3.18	200.06	880.95	151.64	173.55
पूर्वेक्षण एवं बोरिंग	189.70	0.59	-	200.29	132.07	2.31		134.38	57.20	2.55	-	59.75	194.13	6.16	10.43
कुल	**1,193.15**	**39.73**	-	**1,232.88**	**779.03**	**36.21**	-	**815.24**	**230.14**	**26.49**	**3.18**	**259.81**	**1,075.08**	**157.80**	**183.98**
31.03.2011 को अमूर्त परिसंपत्तियां	1,150.49	42.66	-	1,193.15	753.80	34.86	-	779.03	214.76	5.70	0.05	230.14	1,009.17	183.98	181.93
	5,197.08	282.33	(89.44)	5,389.97	3,758.14	172.15	(82.90)	3,847.39	230.14	26.49	3.19	259.82	4,107.23	1,282.74	1,208.80

नोट- प्रत्येक श्रेणी की परिसम्पत्ति के लिए लीज के तहत अलग से निर्देशित किया जायगा।

नोट -10 ए 1 :- काश्तकारी जमी को सीधी खरीद के लिए कोयला धारित अधिनियम1957, एल ए अधिनियम के तहत अधिग्रहण की गई भूमि को फ्री होल्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है एवं अन्य भूमि के अधिग्रहण जैसे राष्ट्रीकरण पर ली गई भूमि, सरकारी जमीन का सीधा हस्तांतरण एवं वनभूमि को लीज होल्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया।

नोट -10 ए 2 :- भूमि में कंपनी द्वारा अधिग्रहित कुछ भूमि जिसके लिए वैधानिक औपचारिकता जैसे टाईटल डीड इत्यादि लंबित है। फिरभी कंपनी द्वारा अधिग्रहित भूमि जिसके लिए मूल्यांकन का निर्धारण लंबित हैं जिसमे वैधानिक औपचारिकता शामिल है।

नोट – 10 ख
पूंजगत चालू कार्य

(■ करोड़ में)

विवरण	लागत 01.04.11 को	अवधि के दौरान योग	अवधि के दौरान समायोजन/ बिक्री/ स्थानांतरण	31.03.12 को	प्रावधान 01.04.11 को	अवधि के दौरान योग	अवधि के दौरान समायोजन/ बिक्री/ स्थानांतरण	31.03.12 को	हानि 01.04.11 को	अवधि के दौरान योग	अवधि के दौरान योग	As on 31.03.12	कुल मूल्य ह्रास / हानि	कुल वहन मूल्य 31.03.12 को	31.03.11 को
मूर्त परिसम्पत्तियां															
भवन/ जल आपूर्ति सड़क एवं पुलिया	10.32	9.13	(7.85)	11.60	5.69	0.21	-	5.90	-	-	-	-	5.90	5.70	4.63
संयंत्र एवं उपकरण	63.50	235.70	(223.87)	75.33	36.18	0.48	0.07	36.73	-	-	-	-	36.73	38.60	27.32
रेलवे साईडिंग	3.20	3.91	(0.53)	6.58	1.10	1.59	(0.07)	2.62	-	-	-	-	2.62	3.96	2.10
विकास															
अन्य	3.17	2.01	(1.85)	3.33	0.31	-	-	0.31				-	0.31	3.02	2.86
कुल	**80.19**	**250.75**	**(234.10)**	**96.84**	**43.28**	**2.28**	-	**45.56**	-	-	-	-	**45.56**	**51.28**	**36.91**
मूर्त परिसंपत्तियां 31.03.2011 का	89.63	98.81	(108.25)	80.16	43.21	0.09	(0.03)	43.27	-	-	-	-	43.27	36.91	46.42
सर्वे आफ परिसंपत्तियां	**253.69**		**61.37**	315.06	**253.69**	**3.06**	**58.31**	315.06				-	315.06		-
31.03.2011 को सर्वे आफ संपत्तियां	187.86		65.83	253.69	187.86	2.98	62.85	253.69				-	253.69		-
कुल योग	333.88			411.90	296.97			360.62				-	360.62	51.28	36.91
31.03.2011 को कुल योग	277.49			277.49	231.07	3.07	62.82	296.96				-	296.96		46.42

नोट – प्रत्येक श्रेणी की संपत्ती के लिए लीज के तहत परिसंपत्तियां अलग से निर्दिष्ट की जायगी।

नोट – 10 ख.1:- मूर्त परिसंपत्तियों के तहत रू. 45.49 करोड़ (रू. 43.27 करोड़) का प्रावधान एवं कुल वर्ष में रू. 14.82 करोड़ (रू. 14.19 करोड़) का प्रावधान शामिल है जो बेकार पड़े संयंत्र एवं अपूर्ण सिविल कार्य के मूल्य ह्रास की दर के समतुल्य है।

नोट – 10 ख.2- सर्वे आफ परिसम्पत्तियों के मूल्य पर रू. 3.06 करोड़ (रू. 2.98 करोड़) का पूर्ण प्रावधान किया गया है।

नोट – 10 ग
विकास के तहत अमूर्त परिसम्पत्तियां

(█ करोड़ में)

	लागत				प्रावधान				हानि				कुल	कुल वहन मूल्य		
विवरण	01.04.11 को	अवधि के दौरान योग	अवधि के दौरान समायोजन/ बिक्री/ स्थानांतरण	31.03.12 को	01.04.11	अवधि के दौरान योग	अवधि के दौरान समायोजन/ बिक्री/ स्थानांतरण	31.03.12 को	01.04.11 को	अवधि के दौरान योग	अवधि के दौरान समायोजन/ बिक्री/ स्थानांतरण	31.03.12 को	कुल मूल्य ह्रास / हानि	31.03.12 को	31.03.11 को
अमूर्त परिसम्पत्तियां															
विकास	40.50	74.67	(40.70)	74.47	11.70	(0.04)	-	11.66	17.52	2.26	(3.19)	16.59	28.25	46.22	11.28
प्रोस्पेक्टिंग एण्ड बोरिंग	4.11	0.02	(0.02)	4.11	2.73	-	-	2.73	1.38	-	-	1.38	4.11	-	-
कुल	**44.61**	**74.69**	**(40.72)**	**78.58**	**14.43**	**(0.04)**	**-**	**14.39**	**18.90**	**2.26**	**(3.19)**	**17.97**	**32.36**	**46.22**	**11.28**
31.03.2011 अमूर्त परिसंपत्तियां	47.89	37.26	(40.54)	44.61	10.71	-	(0.15)	10.56	18.81	3.96	–	22.77	33.33	11.28	18.37

नोट – 10 सी. 1 : अमूर्त परिसम्पत्तियों के तहत रू. 32.36 करोड़ (रू.33.33 करोड़) का प्रावधान एवं कुल वर्ष का प्रावधान किया गया है।

संकेतित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ

नोट - 11

गैर चालू निवेश – लागत में कोट नहीं किया गया : (₹ करोड़ में)

	शेयर/ब्रांड/सिकुरीटी/ की संख्या – चालू वर्ष/ विगत वर्ष	प्रति शेयर / बांड सिकुरीटी अंकित मूल्य	31.03.12	31.03.11
व्यापार				
8.5% कर मुक्त विशेष बांड (पूर्णत: पेडअप) बड़ा राज्यवार ब्रेक अप				
यूपी	-	-	0.10	0.13
हरियाणा	-	-	-	-
महाराष्ट्र -	-	-	-	
मध्य प्रदेश	-	-	-	-
गुजरात -	-	-	-	
पं० बंगाल	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-
संयुक्त कंपनियों में इक्विटी शेयर	-	-	-	-
सहायक कंपनियों में इक्विटी शेयर	-	-	-	-
अन्य (को आपरेटिभ शेयर में)	-	-	0.08	0.08
गैर व्यापारिक				
7.5% गैर परिवर्तनशील आईआरएफसी कर मुक्त बांड कुल 2021 सिरीज		-	-	- -
कुल :			**0.18**	**0.21**

कोट किए गए निवेश का कुल	-	-
कोट नहीं किए गए निवेश का कुल	-	-
कोट किए गए निवेश का बाजार मूल्य	-	-
निवेश मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	-	-

संकेतित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ

नोट - 12

लंबी अवधि ऋण एवं अग्रिम : (₹ करोड़ में)

	31-03-2012	31-03-2011
ऋण		
अग्रिम		
पूंजी के लिए		-
- सुरक्षित मानी गई सामग्री	-	-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री	7.77	3.02
- संदिग्ध	2.68	3.04
	10.45	6.06
न्यून : संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम हेतु प्रावधान	2.68	3.04
	7.77	3.02
राजस्व के लिए	-	-
- सुरक्षित मानी गई सामग्री	-	-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री	8.76	0.28
- संदिग्ध	2.70	4.14
	11.46	4.42
न्यून : संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम हेतु प्रावधान	2.70	4.14
	8.76	0.28
जमानत जमा	-	-
- सुरक्षित मानी गई सामग्री	-	-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री	2.64	1.49
- संदिग्ध	0.66	1.11
	3.30	2.60
न्यून : संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम हेतु प्रावधान	0.66	1.11
	2.64	1.49
पी एण्ड टी, विद्युत इत्यादि हेतु जमा		
- सुरक्षित मानी गई सामग्री	-	-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री	0.40	0.07
- संदिग्ध	0.45	0.45
	0.85	0.52
न्यून: संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम हेतु प्रावधान	0.45	0.45
	0.40	0.07

कर्मचारियों एवं दूसरों को ऋण

गृह निर्माण	-	-
- सुरक्षित मानी गई सामग्री	1.35	1.69
- असुरक्षित मानी गई सामग्री	-	-
- संदिग्ध	-	-
	1.35	1.69
मोटर कार एवं अन्य साधन के लिए	-	-
- सुरक्षित मानी गई सामग्री	-	0.02
- असुरक्षित मानी गई सामग्री		-
- संदिग्ध	-	-
	-	0.02
दूसरो के लिए	-	-
- सुरक्षित मानी गई सामग्री	-	-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री	0.12	-
- संदिग्ध	-	-
	0.12	-
न्यून: संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	0.12	-
	21.04	**6.57**
सहायक कंपनियोंको ऋण	-	
- सुरक्षित मानी गई सामग्री	-	-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री	-	-
- संदिग्ध	-	-
	-	-
कुल	**21.04**	**6.57**

नोट

	अंत शेष		के दौरान अधिकतम बकाया राशि	
	चालू अवधि	पूर्व अवधि	चालू अवधि	पूर्व अवधि
कंपनियों द्वारा बकाया जिसमें कंपनी के निदेशक भी एक निदेशक / सदस्य है (कंपनी के नाम सहित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों द्वारा बकाया जिसमें कंपनी के निदेशक की रूचि है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

नोट - 13

अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ : (₹ करोड़ में)

	31-03-2012	31-03-2011
लम्बी अवधि प्राप्ति योग्य ट्रेड		
- सुरक्षित मानी गई सामग्री	-	-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री	-	-
- संदिग्ध	-	-
	-	-
खराब एवं संदिग्ध प्राप्ति योग्य ट्रेड हेतु न्यून प्रावधान	-	-
	-	-
पता लगाने के लिए ड्रीलिंग कार्य	-	-
- सुरक्षित मानी गई सामग्री	-	-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री	-	-
- संदिग्ध	-	-
	-	-
खराब एवं संदिग्ध हेतु न्यून प्रावधान	-	-
	-	-
अन्य प्राप्तियाँ	-	-
- सुरक्षित मानी गई सामग्री	-	-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री	17.68	18.34
- संदिग्ध	5.34	5.02
	23.02	23.36
खराब एवं संदिग्ध हेतु न्यून प्रावधान	5.34	5.02
	17.68	18.34
कुल	**17.68**	**18.34**

नोट

	अंत शेष		के दौरान अधिकतम बकाया राशि	
	चालू अवधि	पूर्व अवधि	चालू अवधि	पूर्व अवधि
कंपनियों द्वारा बकाया जिसमें कंपनी के निदेशक भी एक निदेशक / सदस्य है (कंपनी के नाम सहित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों द्वारा बकाया जिसमें कंपनी के निदेशक की रूचि है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

नोट - 13.1 : बीआईएफआर की स्वीकृति योजना के अनुसार ईसीएल के सुधार हेतु जरूरी छूट के समर्थन में प. बंगाल सरकार, विद्युत निदेशक के साथ रू. 47.67 करोड़ के कुल दावे के बदले रू. 21.11 करोड़ (रू. 21.62 करोड़) के शेष दावे अन्य प्राप्तियों में शामिल हैं। संदिग्ध वसूली मानते हुए 10% का प्रावधान रखा गया है।

संकेतित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ

नोट - 14

चालू निवेश – लागत पर दर बताया गया / नहीं बताया गया : **(₹ करोड़ में)**

	शेयर/बांड/ प्रतिभूति की संख्या चालू वर्ष/ (विगत वर्ष)	प्रति शेयर/बांड/ प्रतिभूति का अंकित मूल्य	प्रति शेयर/बांड/ प्रतिभूति का बाजार मूल्य	31.03.12	31.03.11
गैर ट्रेड					
म्युच्वल फंड निवेश (म्युच्वल फंड का नाम) 7.55% गैर परिवर्तनीय आईआरएफसी कर मुक्त बांड 2021 सीरीज	-	-	-	-	-
ट्रेड					
8.5% कर मुक्त विशेष बांड (पूर्ण प्रदत्त) :					
(विभिन्न देनदारों की छानबीन पर)					
बड़े राज्यवार ब्रेकअप					
यूपी				0.03	0.03
कुल :				0.03	0.03
दर बताए गए निवेश का कुल				-	-
दर नहीं बताए गए निवेश का कुल				-	-
दर बताए गए निवेश का बाजार मूल्य				-	-
दर नहीं बताए गए निवेश का बाजार मूल्य				-	-
निवेश के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान				-	-

नोट : चालू निवेश में गैर चालू निवेश की चालू परिपक्वता

संकेतित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ:

नोट - 15

वस्तुसूची : (₹ करोड़ में)
(लेखांकन नीति के तहत मूल्य)

		31-03-2012	31-03-2011
	कोयला का स्टाक	478.41	432.29
	विकास के तहत कोयला	-	-
	न्यून: प्रावधान	1.76	1.71
क)	**कोयले का स्टाक (शुद्ध)**	**476.65**	**430.58**
	भंडार एवं स्पेयर्स का शुद्ध स्टाक	174.02	162.26
	ट्रांजिट में स्टोर	5.79	3.73
	न्यून: प्रावधान	46.98	42.17
ख)	**भंडार एवं स्पयर्स का शुद्ध स्टाक**	**132.83**	**123.82**
ग)	**कर्मशाला कार्य :**		
	कार्य प्रगति पर एवं तैयार माल	**12.83**	**14.02**
	न्यून : प्रावधान	**0.23**	**0.20**
	कर्मशाला कार्य का शुद्ध स्टाक	**12.60**	**13.82**
घ)	**प्रेस :**		
	कार्य प्रगति पर एवं तैयार माल	-	-
ङ)	केन्द्रीय अस्पताल ने दवा का स्टाक	**0.85**	**0.50**
च)	विक्रय के लिए प्रोस्पेक्टिंग एवं बोरिंग / डवलपमेंट / कोल क्लाब	-	-
	कुल (क से च)	**622.93**	**568.72**

नोट- 15.1 : कोलइंडिया लि० द्वारा नियुक्त टीम द्वारा अंत स्टाक की वास्तविक जांच की गई। बुक स्टाक (खदान/कोलियरी वार) की तुलना में वास्तविक कोल स्टाक जांच (+)/(–) 5% को नजरअंदाज किया गया। फलस्वरूप बुक स्टाक की तुलना में (+)/(–) 5% के भीतर शुद्ध कमी जिसका वजन 1.03 लाख टन, मूल्य रू. 12.87 करोड़ का लेखा पुस्तिका में असमायोजित रहा।

नोट 15.2 : कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सालों भर वस्तु सूची का परपीच्यल जांच जारी रहा। केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय स्टोर में भंडार का अंत स्टाक वेटेड औसत लागत के हिसाब से आंका गया। वर्ष के अंत में रू. 46.76 करोड़ (रू. 42.17 करोड़) का प्रावधान के अन्तर्गत निम्नलिखित है –

क) जून' 85 तक बिन कार्ड एवं स्टोर लेजर के बीच मात्रात्मक असमानता रू. 2.32 करोड़ (रू. 2.32 करोड़) देखा गया।

ख) असेवा योग्य, नष्ट हुए भंडार के लिए रू. 11.66 करोड़ (रू. 11.66 करोड़)

ग) अचल भंडार एवं स्पेयर्स के लिए रू. 33.00 करोड़ (रू. 28.19 करोड़)।

संकेतित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ:

टिप्पणी – 15 का संलग्नक

(मात्रा लाख टन में) (मूल्य रू. लाख में)

सारणी – क

वर्ष के अंत में बुक स्टाक के साथ लेखा में अपनाया गया बंद स्टाक का मिलान

	समग्र स्टाक		गैर विक्रय योग स्टाक		विक्रय योग्य स्टाक	
	सं०	मूल्य	सं०	मूल्य	सं०	मूल्य
1. (क) **01.04.11** को प्रारंभिक स्टाक	47.91	47589.70	4.72	4628.40	43.19	42961.30
(ख) प्रारंभिक स्टाक में समायोजन		89.55	(0.01)	95.55		(6.00)
	47.91	47,679.25	4.71	4,723.95	43.2	42,955.30
2. वर्ष हेतु उत्पादन	305.58	8,43,213.30	-	-	305.58	843213.30
3. उप–योग (1+2)	353.49	890,892.55	4.71	4,723.95	348.78	886,168.60
4. वर्ष के लिए आफटेक						
(क) बाहरी प्रेषण	304.90	826,208.75	-	-	304.90	826208.75
(ख) बाशरीज को कोलफील्ड	-	-	-	-	-	-
(ग) अपनी खपत	3.40	12,295.88	-	-	3.40	12295.88
कुल (क)	308.30	838,504.63	-	-	308.30	838,504.63
5. डेराईव्ड स्टाक	45.19	52,387.92	4.71	4,723.95	40.48	47,663.97
6. मापित स्टाक	44.16	51,100.32	4.71	4,723.95	39.45	46376.37
7. अंतर (5-6)	1.03	1,287.60			1.03	1,287.60
8. अंतर का ब्रेकअप						
(क) 5% के बीच अधिक	-	-	-	-	-	-
(ख) 5% के बीच कमी	1.03	1,287.60	-	-	1.03	1,287.60
(ग) 5% से ज्यादा उपर	-	-	-	-	-	-
(घ) 5% से नीचे कमी	-	-	-	-	-	-
9. बंद स्टाक जो लेखा में अपनाया गया (6-8 ए +8 बी)	45.19	52,387.92	4.71	4,723.95	40.48	47,663.97

लेखा पर टिप्पणी का भाग

कोयले के बंद स्टाक का सारांश

सारणी – ख

	कच्चा कोयला				वाश्ड/डीशेल्ड कोल				अन्य उत्पाद		कुल	
	कोकिंग		गैर-कोकिंग		कोकिंग		गैर-कोकिंग					
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
प्रारंभिक स्टाक (लेखा परीक्षित)	-	-	4,791.00	47,297.02	-	-	-	-	-	-	4,791.00	47,297.02
न्यून : गैर विक्रय योग्य कोयला	-	-	472.00	4,341.72	-	-	-	-	-	-	472.00	4,341.72
समायोजित प्रारंभिक स्टाक (बिक्री योग्य)	-	-	4,319.00	42,955.30	-	-	-	-	-	-	4,319.00	42,955.30
उत्पाद	-	-	30,558.00	843,213.30	-	-	-	-	-	-	30,558.00	843,213.30
आफटेक											-	-
(क) बाहरी प्रेषण	-	-	30,490.00	826,208.75	-	-	-	-	-	-	30,490.00	826,208.75
(ख) वाशरीज को कोलफीड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) अपनी खपत	-	-	340.00	12,295.88	-	-	-	-	-	-	340.00	12,295.88
											-	-
बंद स्टाक	-	-	4,047.00	47,663.97	-	-	-	-	-	-	4,047.00	47,663.97
न्यून: कमी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बंद स्टाक (नोट - 15)	-	-	4,047.00	47,663.97	-	-	-	-	-	-	4,047.00	47,663.97
न्यून: साईज़ कोल	-	-	-	139.67	-	-	-	-	-	-	-	139.67
बंद स्टाक (नोट - 23)	-	-	-	47,524.30	-	-	-	-	-	-	-	47,524.30

संकेतित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ:

नोट - 16

व्यापार प्राप्य (₹ करोड़ में)

	31.3.12	31.3.11
निश्चित तिथि से छ: महीने से अधिक के अवधि हेतु बकाया ऋण		
- सुरक्षित पायी गयी सम्पत्ति	-	-
- असुरक्षित पायी गयी सम्पत्ति	103.64	55.96
- संदिग्ध	122.08	68.33
	225.72	124.29
खराब एवं संदिग्ध प्राप्य हेतु न्यून प्रावधान	122.08	68.33
	103.64	55.96
अन्य ऋण	-	-
- सुरक्षित पायी गयी सम्पत्ति	-	-
- असुरक्षित पायी गयी सम्पत्ति	2,355.73	903.24
- संदिग्ध	83.59	17.08
	2,439.32	920.32
खराब एवं संदिग्ध प्राप्ति योग्य ट्रेड हेतु न्यून प्रावधान	83.59	17.08
	2,355.73	903.24
कुल	**2,459.37**	**959.20**

ठिप्पणी

	अंत शेष		के दौरान अधिकतम बकाया राशि	
	चालू अवधि	पूर्व अवधि	चालू अवधि	पूर्व अवधि
कंपनियों द्वारा बकाया जिसमें कंपनी के निदेशक भी एक निदेशक / सदस्य है (कंपनी के नाम सहित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों द्वारा बकाया जिसमें कंपनी के निदेशक की रुचि है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

नोट 16.1 :- लेवी सहित ग्रेड स्लीपेज के लिए रू. 167.99 करोड़ (रू. 123.93 करोड़) की राशि को मिलान एवं क्रेडिट नोट जारी करने के पश्चात वर्ष के दौरान समायोजित किया गया।

रू. करोड़ में

नोट 16.2 :- प्रावधान का विवरण

	2011 - 12	**2010 - 11**
प्रारंभिक प्रावधान	85.41	94.06
प्रारंभिक देनदारों की तुलना में न्यून निपटान / बड़े खाते/समायोजित	----	----
प्रारंभिक प्रावधान से न्यून रिटेन बैक	116.44	56.04
वर्ष के दौरान योग नए प्रावधान	236.70	47.39
अंत शेष	205.67	85.41

संकेतित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ:

नोट - 17

नकद एवं बैंक शेष	31-03-2012	(₹ करोड़ में) 31-03-2011
नकद एवं नकद समतुल्य –		
-एसबीआई लाभांश लेखा (अनपेड / अनक्लेम्ड लाभांश)		
- 3 महीने तक परिपक्वता के साथ जमा लेखा में	-	-
- चालू लेखा में	230.66	321.51
- नकद जमा लेखा	-	-
गैर अनुसूचित बैंकों के साथ शेष	-	-
भारत के बाहर बैंकों के साथ लेखा में	-	-
प्रेषित धन – पारगमन में	3.08	0.15
चेक, ड्राफ्ट एवं स्टांप	7.14	15.11
हाथ रोकड़	0.83	1.18
3 महीने की परिपक्वता के साथ स्थानांतरण एस पुनर्वास फंड योजना के तहत अनुसूचित बैंकों के साथ जमा	-	-
अन्य बैंक शेष		
अनुसूचित बैंकों के साथ शेष		
- 3 महीने की परिपक्वता के साथ जमा लेखा में	1,007.03	603.04
3 महीने की परिपक्वता के साथ स्थानांतरण एवं पुनर्वास फंड योजना के तहत अनुसूचित बैंकों के साथ जमा	-	-
खदान बंदीयोजना के तहत अनुसूचित बैंकों के साथ जमा	-	-
कुल	**1,248.74**	**940.99**
वर्ष के दौरान किसी समय अनुसूचित बैंकों को छोड़कर बैंकों के साथ अधिकतम बकाया राशि	शून्य	शून्य

संकेतित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ:

नोट - 18

अल्प अवधि ऋण एवं अग्रिम	31-03-2012	(₹ करोड़ में) 31-03-2011
ऋण		
अग्रिम		
(नकद में वसूली होने योग्य)		
आपूर्ति कर्ताओं को अग्रिम		
राजस्व के लि,ल	-	-
- सुरक्षित माना गया माल	-	-
- असुरक्षित माना गया माल	70.19	11.37
- संदिग्ध	2.35	0.91
	72.54	12.28
खराब एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु न्यून प्रावधान	2.35	0.91
	70.19	11.37
	70.19	**11.37**
वैधानिक बकाया का अग्रिम भुगतान		
बिक्रय कर	-	-
- सुरक्षित माना गया माल	-	-
- असुरक्षित माना गया माल	13.36	18.29
- संदिग्ध	-	-
	13.36	18.29
खराब एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु न्यून प्रावधान	-	-
	13.36	18.29
अग्रिम आयकर / श्रोत पर काटा गया कर	19.32	17.78
न्यून : आयकर हेतु प्रावधान	-	-
	19.32	17.78
अन्य	-	-
- सुरक्षित माना गया माल	-	-
- असुरक्षित माना गया माल	18.55	18.23
- संदिग्ध	0.12	0.61
	18.67	18.84
खराब एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु न्यून प्रावधान	0.12	0.61
	18.55	18.23
	51.23	54.30

कर्मचारियों को अग्रिम		
- सुरक्षित माना गया माल	-	-
- असुरक्षित माना गया माल	54.05	9.41
- संदिग्ध	2.95	1.54
	57.00	10.95
खराब एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु न्यून प्रावधान	2.95	1.54
	54.05	9.41
कोल इंडिया लि० एवं कोल इंडिया की अन्य सहायक कंपनियों के साथ चालू खाता	-	-
सहायक कंपनियों के साथ ऋण लेखा		
- सुरक्षित माना गया माल	-	-
- असुरक्षित माना गया माल	-	-
- संदिग्ध	-	-
	-	-
खराब एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु न्यून प्रावधान	-	-
	-	-
प्राप्य दावे	-	-
- सुरक्षित माना गया माल	-	-
- असुरक्षित माना गया माल	0.15	1.95
- संदिग्ध	2.05	1.38
	2.20	3.33
खराब एवं संदिग्ध प्राप्य के लिए न्यून प्रावधान	2.05	1.38
	0.15	1.95
पूर्व व्यय	0.61	0.56
	54.81	**11.92**
कुल	**176.23**	**77.59**

नोट:

	अंत शेष		के दौरान अधिकतम बकाया राशि	
	चालू अवधि	पूर्व अवधि	चालू अवधि	पूर्व अवधि
कंपनियों द्वारा बकाया जिसमें कंपनी के निदेशक भी एक निदेशक / सदस्य है (कंपनी के नाम सहित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों द्वारा बकाया जिसमें कंपनी के निदेशक की रूचि है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

नोट 18.1 :- शुद्ध ऋण शेष रू 13.36 (रू 18.27) जिसमे रू. 34.10 करोड़ (रू. 25.58 करोड़) अग्रिम भुगतान एवं रू. 20.74 करोड़ (रू. 7.31 करोड़) की देयताएं असम्मायोजित निपटान लंबित है।

नोट 18.2 :- श्रोत पर कटौती किया गया रू. 19.32 करोड़ (रू. 17.78 करोड़) कर में ऋण शेष आयकर को प्रतिनिधित्व करता है जो रिफंड के लिए कई वर्षों से पड़ा है। 1993-94 के लिए निर्धारण आदेश में रू. 3.52 करोड़ का जमा निर्धारण अधिकारी द्वारा दिया गया है। जिसके बदले रू. 2.75 करोड़ की मांग 1993-94 में समायोजन के रूप में आयकर समायोजित किया गया, जिस आदेश के बिरूद्ध कंपनी द्वारा एक अपील आयकर अपीलीय ट्राईबुनल कोलकाता में लंबित है।

संकेतित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ:

नोट - 19

अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ (₹ करोड़ में)

	31-03-2012	31-03-2011
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ		
- प्रोद्भुत ब्याज	-	-
- निवेश		
- बैंक के पास जमा	52.21	32.57
- अन्य	0.03	-
पूर्व स्वामी का लेखा	-	-
अन्य अग्रिम	0.00	-
न्यून : प्रावधान	-	-
	0.00	
जमा :		
सीमा शुल्क, बन्दरगाह प्रभार इत्यादि हेतु जमा	0.68	0.68
कोल इंडिया के पास जमा	-	-
रॉयल्टी, सेस एवं विक्रय कर हेतु जमा	-	-
न्यून: प्रावधान	-	-
अन्य	7.72	6.95
न्यून: प्रावधान	-	-
अन्य प्राप्तियां	22.74	25.63
न्यून: प्रावधान	0.10	-
	22.64	
कुल	**83.28**	**65.83**

संकेतित लाभ-हानि पर टिप्पणियाँ:

नोट - 20

संचालन से प्राप्त राजस्व **(₹ करोड़ में)**

	31-03-2012	31-03-2011
कोल, कोक इत्यादि की बिक्री	10,695.11	7,139.32
न्यून: उत्पाद शुल्क	410.58	41.51
न्यून: अन्य लेवी		
रॅायल्टी	185.75	172.58
कोयले पर सेस	1,327.19	687.93
स्टोइंग उत्पादन शुल्क	30.49	29.36
केन्द्रीय विक्रय कर	108.85	71.83
स्वच्छ उर्जा सेस	152.45	110.47
राज्य विक्रय कर / वैट	217.71	143.04
अन्य लेवी	-	-
कुल लेवी	**2,022.44**	**1,215.21**
संचालन से प्राप्त राजस्व (शुद्ध बिक्री)	**8,262.09**	**5,882.60**

नोट 20.1 :- पूर्व अवधि एवं चालू अवधि हेतु ग्रेड स्लीपेज के लिए शुद्ध कटौती विक्रय है। पार्टी को क्रेडिट नोट जारी करने से वर्ष के लिए विक्रय रू. 161.70 करोड़ (रू. 121.64 करोड़)

नोट 20.2 :- यूएचभी से जीसीभी में परिवर्तन के कारण 1 जनवरी 2012 से विक्रय मूल्य में सुधार के कारण विक्रय के लिए रू. 60.18 करोड़ का अतिरिक्त प्रभाव पड़ा।

संकेतित लाभ-हानि पर टिप्पणियाँ:

नोट - 21

अन्य आमदनी (₹ करोड़ में)

	31-03-2012	31-03-2011
लम्बी अवधि निवेश से आमदनी		
संयुक्त उद्यम से लाभांश	-	-
सहायक कंपनियों के लाभांश	-	-
सरकारी प्रतिभूति (8.5% कर मुक्त विशेष बांड) (ट्रेड)	-	-
7.55% गैर परिवर्तननीय आईआरएफसी कर मुक्त बांड 2021 सिरीज (गैर ट्रेड)		
चालू निवेश से आमदनी		
म्युच्वल फंड निवेश से लाभांश	-	-
सरकारी प्रतिभूति (8.5% कर मुक्त विशेष बांड) (ट्रेड)	**0.01**	**0.02**
7.55% गैर परिवर्तननीय आईआरएफसी कर मुक्त बांड 2021 सिरीज (गैर ट्रेड)		
अन्य से आमदनी :		
ब्याज (सकल)		
बैंक में जमा से	**70.58**	**40.06**
कर्मचारियों की ऋण एवं अग्रिम से		-
आयकर रिफांड से	-	-
कोल इंडिया से	-	-
अन्य	0.19	10.13
शीर्ष प्रभार	-	-
चालू भरण एवं बचाव कार्य हेतु सहायता	34.17	41.75
परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभ	1.32	-
परिवहन एवं लोडिंग खर्च की वसुली	110.93	87.68
विदेशी विनिमय लेनदेन पर लाभ	-	-
विनिमय दर अन्तर	-	-
पट्टा भाड़ा	3.50	3.50
देयताएं राईट बैंक	2.55	39.90
सहायक कंपनियों से गारंटी शुल्क	-	-
अन्य गैर संचालन आमदनी	75.37	131.33
कुल	**298.62**	**354.37**

संमेकित लाभ-हानि पर टिप्पणियाँ:

नोट - 22

खपत हुई सामग्री की लागत – (₹ करोड़ में)

	31-03-2012	31-03-2011
विष्फोटक	93.27	79.89
लकड़ी	4.44	4.79
पी ओ एल	186.13	164.69
एच ई एम एम स्पेयर्स	131.03	141.45
अन्य खपत योग्य भंडार एवं स्पेयर	159.35	149.13
कुल	**574.22**	**539.95**

समेकित लाभ-हानि पर टिप्पणियाँ:

नोट - 23

तैयार माल की वस्तुसूची में बदलाव, कार्य प्रगति पर एवं व्यापार में भंडार – (₹ करोड़ में)

	31-03-2012	31-03-2011
कोयला / कोक का बंद भंडार	477.01	431.32
न्यून: कोल / कोक का ह्रास	1.76	1.71
कुल (1)	475.25	429.61
कोल / कोक का प्रारंभिक भंडार	431.32	321.79
न्यून: कोल / कोक का ह्रास	1.71	1.69
कुल (2)	429.61	320.10
क) अंत स्टाक की वस्तुसूची में बदलाव (2-1)	(45.64)	(109.51)
कर्मशाला निर्मित तैयार माल का अंत स्टाक एवं डब्ल्यु आईपी	12.83	14.12
न्यून: प्रावधान	0.23	0.20
कुल (3)	12.60	13.92
कर्मशाला निर्मित तैयार माल का प्रारंभिक स्टाक एवं डब्ल्यु आईपी	14.12	11.35
न्यून: प्रावधान	0.20	0.19
कुल (4)	13.92	11.16
ख) कर्मशाला के अंत स्टाक की वस्तुसूची में बदलाव (4-3)	1.32	(2.76)
प्रेस बंद कार्य		
i) तैयार माल	-	-
ii) कार्य प्रगति पर	-	-
कुल (5)	-	-
प्रेस खुला कार्य		
i) तैयार माल	-	-
ii) कार्य प्रगति पर	-	-
कुल (6)	-	-

ग) प्रेस जॉब तैयार माल के अंत स्टाक की वस्तुसूची में बदलाव एवं डब्ल्यु आई पी (6-5)	-	-
औषधियों का प्रारंभिक स्टाक (केन्द्रीय अस्पताल) (7)	0.85	0.50
न्यून: औषधियां का प्रारंभिक स्टाक (केन्द्रीय अस्पताल)(8)	0.50	0.42
घ) केन्द्रीय अस्पताल में औषधि स्टाक की वस्तुसूची में बदलाव (8-7)	(0.35)	(0.08)
स्टाक की वस्तुसूची में कुल बदलाव (क+ख+ग+घ)	**(44.67)**	**(112.35)**

संमेकित लाभ-हानि पर टिप्पणियाँ:

नोट - 24

कर्मचारी लाभ व्यय (₹ करोड़ में)

	31-03-2012	31-03-2011
वेतन, मजदूरी, भत्ताएवं लाभ	3213.18	2,673.40
अनुग्रह	193.67	147.61
पीआरपी	29.64	57.55
	-	-
भविष्य निधि एवं अन्य फंड में योगदान	332.53	318.64
ग्रेच्युटी	912.32	484.19
छुट्टी नकदीकरण	103.79	146.26
वी आर एस	2.83	13.26
श्रमिक क्षतिपूर्ति	1.56	1.59
अन्य कर्मचारी लाभ	297.82	199.54
कुल	**5,087.34**	**4,042.04**

नोट 24.1: वेज बोर्ड कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता (एनसीडब्ल्युए – IX) जो 01.07.2011 से प्रभावी था, 30 जनवरी 2012 को फायनल हो गया। 01.07.2011 से 31.03.2012 की अवधि के दौरान जो सेवा निवृत हुए हैं, उनके लिए ग्रेच्युटी प्रभाव को छोड़कर वेतन समझौता के वित्तीय प्रभाव एवं बीमांकक देयताएं का प्रभाव निम्नलिखित है –

31.3.12 को वेतन पुनरीक्षण का प्रभाव	577.95 करोड़
01.7.11 से 31.3.12 के दौरान ग्रच्युटी का प्रभाव	24.01 करोड़
ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, एलसीएस एसं सेटलमेंट भत्ता पर 31.3.12 को बीमांकक देयताएं	494.63 करोड़

नोट 24.2: अधिकारियों को सेवा निवृत्ति लाभ के लिए रू. 13.43 करोड़ को छोड़कर वेतन, मजदूरी, भत्ताएवं लाभ।

संमेकित लाभ–हानि पर टिप्पणियाँ:

नोट - 25

कल्याण व्यय (₹ करोड़ में)

	31-03-2012	31-03-2011
चिकित्सा व्यय	25.03	27.28
सेवा निवृत कर्मियों के लिए चिकित्सा व्यय	3.85	
विद्यालय एवं संस्थानों को अनुदान	7.60	5.04
खेल एवं मनोरंजन	0.38	0.46
कैंटीन एवं क्रेच	0.09	0.09
विद्युत – टाउनशिप	92.26	88.77
बस / एम्बुलेंस इत्यादि का भाड़ा चार्ज	4.71	3.80
सीएस आर व्यय	9.11	4.74
		-
पर्यावरण संबंधी व्यय	1.75	0.99
वृक्षरोपन	0.46	0.42
अन्य व्यय	64.16	48.93
कुल	**209.40**	**180.52**

संमेकित लाभ-हानि पर टिप्पणियाँ:

नोट - 26

मरम्मत (₹ करोड़ में)

	31-03-2012	31-03-2011
भवन	1.50	1.40
संयंत्र एवं मशीनरी	55.98	52.36
अन्य	4.28	3.26
कुल	**61.76**	**57.02**

संमेकित लाभ-हानि पर टिप्पणियाँ:

नोट - 27

ठेका संबंधी व्यय **(₹ करोड़ में)**

		31-03-2012	31-03-2011
परिवहन शुल्क :			
- बालू	-	32.23	32.76
- कोयला एवं कोक	-	139.45	137.27
- स्टोर एवं अन्य		1.13	0.81
वैगन लोडिंग		4.05	2.21
पी एण्ड एम को भाड़े पर लेखा		98.56	51.22
अन्य ठेका कार्य		206.00	186.71
कुल		**481.42**	**410.98**

समेकित लाभ-हानि पर टिप्पणियाँ:

नोट - 28

(₹ करोड़ में)

वित्त लागत	31-03-2012	31-03-2011
आस्थगित भुगतान	-	-
बैंक ओवरड्राफ्ट / नकद सुधार	-	0.98
आईबीआरडी एवं जेबीआईसी ऋण पर ब्याज	-	-
सीआईएल फंड ऋण ब्याज		
सहायक कंपनियों से ब्याज	-	-
अन्य	0.16	0.03
कुल (क)	**0.16**	**1.01**
अन्य उधार लागत :		
ऋण (आईबीआरडी एवं जेबीआईसी)	-	-
पर गारंटी फीस	-	-
अन्य व्यय / बैंक प्रभार	-	-
कुल (क)	**-**	**-**
कुल (क + ख)	**0.16**	**1.01**

समेकित लाभ-हानि पर टिप्पणियाँ:

नोट - 29

प्रावधान (₹ करोड़ में)

	31-03-2012	31-03-2011
(क) के लिए प्रावधान		
संदिग्ध ऋण	236.70	47.40
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	1.36	0.81
विदेशी विनिमय लेन देन		-
भंडार एवं स्पेयर्स	5.07	0.82
भूमि/खदान बंदी खर्च का सुधार	57.42	95.85
स्थिर परिसम्पत्तियों / पूंजीगत चालू कार्य का सर्वे	5.41	0.09
अन्य		-
कुल (क)	**305.96**	**144.97**
(ख) प्रावधान रिटेन बैक		
संदिग्ध ऋण	116.44	56.04
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	0.16	1.17
विदेशी विनिमय लेन देन	-	-
भंडार एवं स्पेयर्स	0.26	0.37
भूमि/खदान बंदी खर्च का सुधार	-	-
स्थिर परिसम्पत्तियों / पूंजीगत चालू कार्य का सर्वे	0.11	0.12
अन्य		-
कुल (क)	**116.97**	**57.70**
कुल (क+ख)	**188.99**	**87.27**

नोट - 29.1 :- चालू वर्ष में खदान बंदी व्यय रू. 57.42 (रू. 95.85) करोड़ का प्रावधान सभी संचालन खदानों का कुल खदान बंदी व्यय का यथानुपात लागत किया गया है जो कोयला मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार है।

संमेकित लाभ-हानि पर टिप्पणियाँ:

नोट - 30

बट्टे खाते

(₹ करोड़ में)

	31-03-2012	31-03-2011
संदिग्ध ऋण	-	22.61
संदिग्ध अग्रिम	-	-
अन्य	-	-
कुल	**-**	**22.61**

संमेकित लाभ-हानि पर टिप्पणियाँ:

नोट - 31

अन्य व्यय (₹ करोड़ में)

	31-03-2012	31-03-2011
यात्रा व्यय		
- घरेलू	9.69	9.21
- विदेशी	0.14	0.34
प्रशिक्षण व्यय	2.04	2.26
टेलीफोन एवं पोस्टेज	1.27	1.09
विज्ञापन एवं प्रचार	3.13	1.81
भाड़ा प्रभार	0.02	0.02
विलम्ब शुल्क	1.39	1.22
दान / चंदा	0.17	0.25
सुरक्षा व्यय	52.76	47.91
कोल इंडिया का सेवा प्रभार		-
भाड़ा प्रभार	14.17	11.55
सीएमपीडी आई व्यय		-
विधि व्यय	1.37	1.05
बैंक प्रभार	0.33	0.35
अतिथि ग्रह व्यय	0.76	0.70
परामर्श प्रभार	0.34	0.34
अंडर लोडिंग प्रभार	5.58	5.84
विक्रय/हटाए गए / सर्वे आफ परिसम्पत्तियों पर हानि	-	-
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक एवं व्यय :		
- लेखा परीक्षकों की फीस	0.19	0.17
- कराधान मामले के लिए	0.01	0.03
- कंपनी विधि मामले	-	-
- प्रबंधन सेवा के लिए	-	-
- अन्य सेवाओं के लिए	1.22	0.35
- व्यय की अतिपूर्ति के लिए	0.05	0.08
पुनर्वास प्रभार	-	-
रॉयल्टी एवं सेस	1.62	1.94
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	3.27	21.04

भाड़ा	0.03	0.04
दर एवं कर	1.15	1.28
बीमा	0.11	0.02
विनिमय दर अंतर पर हानि	18.50	-
पट्टा भाड़ा	-	-
रेस्क्यु / खान सुरक्षा व्यय	1.56	1.43
डेड रेन्ट / सरफेस रेंट	0.32	0.38
साईडिंग रख रखाव प्रभार	2.60	2.64
भूमि / फसल क्षतिपूर्ति	0.01	0.08
विविध व्यय	84.65	63.02
कुल	**208.45**	**176.44**

संमेकित लाभ-हानि पर टिप्पणियाँ:

नोट - 32

पूर्वावधि समंजन (₹ करोड़ में)

	31-03-2012	31-03-2011
क) व्यय		
कोयला एवं कोक की बिक्री	-	-
कोयला एवं कोक का भंडार	-	-
अन्य आमदनी	-	-
भंडार एवं स्पेयर्स की खपत	-	-
कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं लाभ	-	-
विद्युत एवं इंधन	-	-
कल्याण व्यय	-	-
मरम्मत	-	-
ठेका संबंधी व्यय	-	-
अन्य व्यय	-	-
ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार	-	-
मूल्य ह्रास	-	-
कुल (क)	-	-
ख) आमदनी :		
कोयला एवं कोक की बिक्रय	-	-
कोयला एवं कोक का भंडार	-	-
अन्य आमदनी	-	-
भंडार एवं स्पेयर्स की खपत	-	-
कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं लाभ	-	-
विद्युत एवं इंधन	-	-
कल्याण व्यय	-	-
मरम्मत	-	-
ठेका संबंधी व्यय	-	-
अन्य व्यय	-	-
ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार	-	-
मूल्य ह्रास	-	-
कुल (ख)	-	-
कुल (क – ख)	-	-

नोट - 33
महत्वपूर्ण **लेखांकन नीति**

1.0 महत्वपूर्ण लेखांकन नीति :

1.1 वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर एवं गोइंग कंसर्न अवधारणा, लेखांकन स्तर एवं सामान्यता स्वीकार्य सिद्धांतों को मानते हुए तैयार किया जाता है, लेखा पर टिप्पणी में दर्ज अन्यथा को छोड़कर।

1.2 समस्त व्यय एवं आमदनी को प्रारंभ मे लेखा के सामान्य शीर्ष में दर्ज किया जाता है तथा कार्यकारी शीर्ष को स्थानांतरित कर दिया जाता है, ताकि बेहतर वर्गीकरण हो सके।

2.0 सरकार से प्राप्त सहायता / अनुदान :

2.1 पूंजीगत लेखा पर प्राप्त सहायता / अनुदान को संबंधित परिसम्पत्ति की लागत में से घटा दिया जाता है जिससे वे संबंधित हैं और जो राशि वर्ष के अन्त तक खर्च नहीं होती है उसे वर्तमान देयताओं के रूप में दिखलाया जाता है ।

2.2 राजस्व लेख पर सहायता/ अनुदान को लाभ–हानि लेखा के तहत " दूसरी प्राप्तियों" को जमा किया जाता है तथा संगत खर्च को संबंधित शीर्ष में नामे किया जाता है यदि बिना खर्च की गई कोई राशि हो तो उसे वर्ष के अंत में चालू देयताओं में दर्शाया जाता है।

3.0 स्थिर परिसम्पत्तियाँ :

3.1 **भूमि : भूमि के अन्तर्गत इसका अधिग्रहण खर्च एवं नकद पुनर्वास खर्च आता है जिसका भुगतान विस्थापित लोगों को किया जाता है ।** भूमि अधिग्रहण पर अन्य व्यय जैसे – पुन: बन्दोबस्ती / नियोजन के बदले नकद क्षतिपूर्ति को परोक्ष व्यय माना जाता है तथा राजस्व व्यय के रूप में समझा जाता है।

3.2 **संयंत्र एवं मशीनरी** : संयंत्र एवं मशीनरी में इसे बनाने / स्थापना में अन्य लागत एवं खर्च शामिल है एवं अन्य सहज लागत जो इन परिसम्पत्तियों को इनके निर्दिष्ट कार्य लायक अवस्था में लाने में होता है। विभागीय लागत को छोड़कर।

3.3 रेलवे साइडिंग : रेलवे साईडिंग के निर्माण के लिए रेलवे अधिकारियों को जो भुगतान किया जाता है, उसे चालू हो जाने तक पूंजीगत चालू कार्य में दिखाया जाता है।

3.4 **खान विकास :- विकासरत परियोजनाओं/खदानों के शुद्ध आय के खर्च को विकास लेखा में दर्ज किया गया है एवं इसे पूंजीगत चालू कार्य के समूह में दिखलाया गया है जब तक** खदानों को **राजस्व लेखा में नहीं किया जाता है।**

3.5 विकासरत परियोजनाएं/ खदान जिन्हें राजस्व के तहत लाया जाता है, जब निम्नलिखित में से कोई घटना पहले

घटती है ।

(क) जिस वित्तीय वर्ष के शुरू में उत्पादन मूल्य कुल व्यय से अधिक हो जाता है।

(ख) स्वीकृति परियोजना रिपोर्ट के तहत **वित्तीय वर्ष** के प्रारंभ से **जिसमें परियोजना अपनी क्षमता दर का 25% वास्तविक उत्पादन प्राप्त कर लेता है, या**

(ग) कोयला तक पहुँचने के दो वर्षों तक।

4.0 **बोरिंग एवं भविष्य में दूसरे विकास के कार्यों का खर्च :**

एक पंचवर्षीय योजना में अन्वेषण तथा दूसरे विकास मूलक कार्यों के खर्च को बाद के दूसरे पंच वर्षीय योजना के अंत तक बाहरी एजेंसियों के हाथ बिक्री या प्रस्तावित बिक्री के लिए पहचान किए गए ब्लाकों को छोड़कर परियोजना के फार्मुलेशन तक पूंजीगत चालू कार्य में रखा जायगा ।

5.0 **निवेश – सभी निवेशों को लागत में दिखाया जाता है ।**

6.0 **वस्तु सूची -**

6.1 **वस्तु सूची के मुल्यांकन के लिए उस बुक स्टाक को लेखा में स्वीकार किया गया है जिसका मापे गये स्टाक से अन्तर +/ - 5% तक है । जब यह अन्तर +/- 5% से अधिक है तो मापे गए स्टाक को लेखा में स्वीकार किया गया है। इनका मूल्य शुद्ध वसूली मूल्य या लागत जो भी कम हो, माना जाता है।**

6.2 **केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय भंडारों के स्टाक एवं स्पेयर पार्टस का मूल्यांकन लागत गणना औसत वजन विधि के आधार पर किया जाता है। कोलियरी/ उप भंडार/ उपभोग केन्द्र पर पड़े हुए भंडार एवं स्पेयर्स पार्टस की वर्ष के अन्त में वस्तु सूची का प्रारम्भिक मूल्य क्षेत्रीय भंडार के जारी मूल्य या लागत/आकलन लागत से की जाती है। कर्मशाला के कार्य जिसमें चालू कार्य शामिल है, लागत के बराबर मूल्यांकन किया जाता है।**

6.3. **भंडार एवं स्पेयर पार्टस में फुटकर औजार भी शामिल है।**

6.4. **असेवायोग्य, टूटे-फूटे भंडारों के लिए 100% तथा 5 वर्षों तक अचल भंडारों एवं स्पेयर्स के लिए (बीमा स्पेयर्स को छोड़कर) 50% का प्रावधान रखा गया है ।**

6.5 **लेखन सामग्री, बालू, ईंट, दवा (काला एवं सांकतोड़िया अस्पतालों** के औषधी भंडारों **को छोड़कर) को वस्तु सूची में शामिल नहीं किया गया है। तथा जिसका मूल्यांकन एफआईएफओ आधार पर किया गया है।**

7.0 **मूल्य ह्रास :**

7.1 निम्नलिखित परिसम्पत्तियों को छोड़कर स्थिर परिसम्पत्तियों (दूर संचार उपकरणों को छोड़कर) में मूल्य ह्रास स्ट्रेट लाइन पद्धति पर कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुसूची XIV आधार पर किया जाता है। निम्नलिखित को छोड़कर –

परिसंपत्तियाँ	*मूल्य ह्रास दर*
दूर संचार उपकरण	15.83%
डंपर 35 टन तक का	15.83
डंपर 50 टन तक का	13.57%
हाईड्रोलिक शोभेल 1.2 घनमी:	13.57%
हाईड्रोलिक शोभेल > 1.2 से 2.2 घनमी.	13.57%
हाईड्रोलिक शोभेल > 2.2 से 5.0 घनमी.	13.57%
हाईड्रोलिक शोभेल > 5.0 से 10.0 घनमी.	13.57%
बीएच ड्रिल < 160 एमएम	11.57%
एसडीएल	19.00%
एलएचडी	15.83%

7.2 **कोयला धारित क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम** 1957 **के तहत अधिगृहित भूमि का मूल्य परियोजना के जीवन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।**

7.3 **राजस्व खदानों के अन्य विकास कार्यों, बोरिंग** के **खर्च का निर्धारण** 20 **वर्ष परियोजना या खदान का जीवन** जो **भी कम** हो **के आधार पर किया जाता है।**

7.4 **उन परिसम्पत्तियों पर हुए पूंजीगत खर्च को जो कम्पनी की सम्पत्ति नहीं है, को पूर्णत: वर्ष में चार्ज किया जाता है तथा इसके बाद इसे लेखा में शामिल नहीं किया जाता है।**

7.5 **रू.** 5000/- वास्तविकलागत मूल्य से कम वाले मदों समेत जिसका मूल्य ह्रास 100% हो, ऐसे परिसम्पत्तियों के पूंजीकरण के प्रथम वर्ष में पूरे वर्ष के लिए तथा स्थापना की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति के बाद लेखा पुस्तक से उपरोक्त परिसम्पत्तियों को बाहर निकाल दिया जाता है।

8.0 परिसम्पत्तियों की हानि : सभी घाटे वाले खदानों के पूर्वेक्षण, बोरिंग एवं विकास खर्चो को हानि के रूप में माना जाता है तथा परिसंपत्तियों की वास्तविक क्षति को भी हानि ही माना जाता है।

9.0 विदेशी मुद्रा का लेन देन : वर्ष के अंत के विदेशी मुद्रा लेन देन को वर्ष के अंत में स्पष्ट कर दिया जाता है तथा दर एवं संगत प्रभाव को संबंधित लेखा में दिया जाता है।

10.0 सेवा निवृति लाभ : ए.एस– 15 (संशोधित) के तहत ग्रेच्यूटी एवं छुट्टी नकदीकरण पर एलटीसी / एलएलटीसी. सेवानिवृति लाभ पर देयताओं का प्रावधान एक्रूअल आधार पर बीमांकक मूल्यांकन के तहत किया जाता है।

11.0 उधार लागत: अर्हक परिसम्पत्तियों के निर्माण पर उधार लागत को पूँजीकृत कर दिया जाता है। अन्य उधार लागतों को उसी अवधि में खर्च के रूप में दिखाया जाता है जिस अवधि में वह हुआ है।

12.00 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियाँ :

ओसीपी उद्धार, विभागीय खुली खानों तथा भूमिगत खदानों के लिए स्टोइंग लैग के संबंध में कंपनी के वर्तमान खर्च हेतु प्रावधान रखे गए हैं जो कि ए.एस– 29में दर्ज है।

13.00 नियंत्रक कम्पनी कोल इंडिया के साथ लेन देन :

ऋण के मद में इक्विटी से कनवर्शन या इसके विपरीत को समय – समय पर कोल इंडिया से ऋण की राशि को असुरक्षित ऋण में दिखाया गया है। राजस्व में मद की राशि को चालू देयताओं/ चालू परिसम्पत्तियों के चालू खाते में दिखाया गया है।

14.00 **अधिभार निष्काषण** (ओ बी आर) **समायोजन :**

जिन खुली खदानों की क्षमता एक मिलियन टन या अधिक है उनका अधिभार हटाने का चार्ज प्रत्येक खदान के औसत अनुपात (कोल: ओ बी) अग्रिम हटाये गये अधिभार समंजन लेखा एवं अनुपात में विभिन्नता, खदान राजस्व के तहत आ जाता है तो किया जाता है। अग्रिम स्ट्रिपींग एवं अनुपात बदलाव के शुद्ध बकाया को वर्ष के अन्त में अलग किये गये राजस्व खर्च या वर्तमान देयताओं जो भी मामला बनता हो के तहत दिखाया जाता है। उन मामलों में जिसमें उल्लेखित अधिभार की मात्रा एवं मापे गये अधिभार की मात्रा स्वीकृत सीमा में रहती है उल्लेखित को लेखा में स्वीकार किया जाता है जो नीचे दिया गया है :-

	अन्तर की स्वीकृत सीमा	
खदान के अधिभार हटाने की वार्षिक मात्रा	**I प्रतिशत**	**II मात्रा (मिलियन घन मी. में)**
एक मिलियन घन मीटर से कम	+ - 5 %	0.03
एक से पांच मिलियन घन मीटर के बीच	+ - 3 %	0.20
पांच मिलियन घन मीटर से अधिक	+ - 2%	0.00

फिर भी जहाँ अंतर अनुज्ञेय सीमा से अधिक है, मापित मात्रा को स्वीकार किया जाता है ।

नोट – 34
लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ

1.0 भूमिका :

1.1 ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड 1 नवम्बर 1975 को कोल इंडिया की सौ प्रतिशत सहायक कंपनी के रूप में स्थापित हुआ , जो कोल माइन्स आथरीटी लिमिटेड के पूर्वी भाग के परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का अधिग्रहण करके किया गया।

1.2 उपरोक्त परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के हस्तांतरण से संबंधित लंबित वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति के तहत कुछ खनन अधिकार अभी भी कोल इंडिया के नाम दर्ज है ।

1.3 कोल माईन्स लेवर वेलफेयर आर्गनाईजेशन / केन्द्रीय अस्पताल सहित 4 दूसरे अस्पताल / डिस्पेसंरी /माईन्स रेस्क्यु स्टेशन, बराकर इंजीनियारिंग एवं फाउन्ड्री जिसका अधिग्रहण कंपनी द्वारा कर लिया गया है, से संबंधित औपचारिक ट्रांसफर डीड / सहमति पत्र का निपटान होना है ।

उपरोक्त इकाईयों के विस्तृत पूंजी और दायित्व के अभाव में शुद्ध बचत के साथ देय कंपनी के बारे में मुल्यांकन पर कोई विचार नहीं किया गया है । फलतः कंपनी द्वारा अधिग्रहण पूर्व 26.92 लाख (रू. 26.92 लाख) रूपये का भुगतान खान रेस्क्यू तथा काल्ला अस्पताल को किया गया है, जिसे प्राप्ति खाते में दिखाया गया है ।

2.0 **स्थिर परिसम्पत्ति एवं पूंजीगत चालू कार्य** :

2.1 आवासीय / कार्यालय / कारखाना स्थित सड़क एवं पुलिया भवन में शामिल है।

2.2 वर्तमान परित्यक्त साफ्टकोक संयंत्र जो सी एम पी डी आई एल द्वारा स्थापित किया गया था, का अभिरक्षक एस. पी माइन्स है परिसम्पत्ति का न तो मूल्यांकन किया गया और न कोई संचालन खर्च कंपनी द्वारा उठाया गया है।

2.3 संयंत्र एवं मशीनों के अलावे स्टोर के कुछ खास मदों जैसे – कन्वेयर बेल्ट, पावर केबुल्स इंजिनियारिंग गेप्स आदि तथा स्टोर में पड़े सिविल सामग्रियों के मूल्य के 90% को कैपिटल डब्ल्यू आई पी के रूप में लिख लिया गया है ।

2.4 अधिकांश मामलों में एक लाख या अधिक तक के संयंत्र तथा यांत्रिक कार्यो या उससे अधिक या कोई दूसरी संपत्ति की प्रत्यक्ष जाँच की जा चुकी है। औपचारिकताएं पूर्ण होने पर प्राप्त अंतर को समायोजित कर लिया गया है ।

2.5 **राष्ट्रीयकरण पर परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण :**

परिसम्पत्तियों के रू 8.17 करोड़ के शुद्ध मूल्य (जिसकी मात्रात्मक एवं मूल्यवार विवरण उपलब्ध नहीं है) जिसे कंपनी द्वारा अधिग्रहण किया गया है तथा कोयला खान राष्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के मुताबिक है, उसका पूर्ण प्रावधान खाते में है ।

3.0 वस्तुसूची :

3.1 राजमहल ओसीपी में 19.54 लाख टन कोयले की कमी है जिसका मूल्य रू. 63.85 करोड़, जिसकी जाँच सीबीआई, धनबाद द्वारा 2010-11 में पूर्ण हुई तथा रिपोर्ट कोल इंडिया अध्यक्ष के पास सूचनार्थ एवं सतर्कता विभाग के पास आरोपित अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई हेतु भेज दिया गया।

3.2 मिट्टी मिला हुआ 471408 एमटी (471361 एमटी) गैर बिक्रय योग्य कोयले के मूल्य को शून्य माना गया।

3.3 आग, चोरी इत्यादि के कारण पुराने स्टाक को छोड़कर विक्रय योग्य स्टाप पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

4.0 विविध देनदार :

4.1 विविध देनदारों के लिए प्रावधान मामले पर आधारित होता है। परम्परानुसार प्रांरभिक वर्षों में देनदारों के अनीर्णित राशि को विविध देनदारों के लिए कोई प्रावधान नही रखा गया। द्वितीय वर्ष में देनदारों के अनीर्णित राशि के50% का प्रावधान रखा गया तथा शेष तीसरे वर्ष में यदि अनीर्णित रहता है। आगे आग लगने, चोरी इत्यादि के कारण पुराने स्टाक के क्षय को छोड़कर विक्रय योग्य स्टाक के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

4.2 विविध देनदारों में रू. 92.45 लाख की राशि को शामिल किया गया जो विभिन्न क्षेत्रों के लेखा में प्राप्ति योग्य का प्रतिनिधित्व करता हैं जो बहुत पुराने है। उपरोक्त प्राप्ति योग्य के बदले लेखा में पूर्ण प्रावधान है, पार्टीवार लंबित वसूली का विवरण।

5.0 सुरक्षित ऋण :

कंपनी अपने नियंत्रक कंपनी कोल इंडिया के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक के सभी कैश क्रेडिट सुविधा हेतु एक समझौता किया है तथा उपरोत्क सुविधा वर्तमान परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्रभार द्वारा सुरक्षित किया गया है जिसमें कंपनी के बुक डेबिट, कच्चे माल के भंडार, अर्ध तैयार माल, तैयार माल एवं स्पेयर्स शामिल है जो बैंक के पक्ष में 4700 लाख रूपये (4700 लाख रूपये) है। फिर भी वर्ष के दौरान कंपनी ने क्रेडिट सुविधा का उपयोग नहीं किया है।

6.0 वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान **:**

क) वर्तमान देयताएं **:**

6.1 माईक्रो, स्माल एवं मीडियम इन्टरप्राईजेज डवलपमेंट अधिनियम 2006 की धारा 22 द्वारा की गई मांग के अनुसार निम्नलिखित सूचना जो कंपनी के पास उलब्ध है, प्रकट की जाती है।31.3.2012 को मूल अनपेड रू. 19.03 करोड़ है तथा बकाया ब्याज शून्य है।

ख : प्रावधान

6.2 ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण सकल व्यक्तिगत दुघटना बीमा एलटीए / एलटीसी लाईफ कवर स्कीम सेटलमेंट एलाउन्स जान लेवा खान दुघटना लाभ एवं सेवानिवृत कर्मचारियों की चिकित्सा लाभ को एक्चुअरी द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र के मुताबिक एक्चुरियल मूल्य दिया गया है।

उपरोक्त एक्चुरियल मूल्यांकन के निर्धारण हेतु एक्चुअरी द्वारा जो तय किया गया है वह निम्नलिखित है –

डेमोग्राफिक आकलन :

मोर्टालीटी रेट	टेबुल एलआईसी आई 1994-1996
सुपर एनुएशन एज	60 वर्ष
समयपूर्व सेवानिवृति एवं	10 प्रति हजार प्रति वर्ष
अक्षमता	6 उम्र 45 के उपर
	29 एवं 45 के बीच 3
वित्तीय आकलन :	29 उम्र के बीच 1
छूट दर	8%
मुद्रा स्फति दर	6%
परिसंपत्तियों पर रिर्टन	नाट फंडेड
बचा हुआ वर्किंग लाईफ	122 वर्ष
उपयोग में लाया गया फार्मूला	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड

6.3 वर्ष के दौरान कोल इंडिया के सुझाव के तहत पीआरपी के लिए रू. 5755 लाख (रू. 5891 लाख) का तदर्थ प्रावधान रखा गया है।

7.0 लाभ एवं हानि लेखा का विवरण :

7.1 कर्मचारियों को जारी किया गया (फ्री) कोयला जिसका मूल्य रू.32.71 करोड़ (35.60 करोड़) तथा आंतरिक खपत के लिए रू. 90.25 करोड़ (रू. 70.21 करोड़) को कंपनी द्वारा निश्चित किए गए मानक के आधार पर लेखांकित किया गया है तथा

मूल्यांकन संबंधित ग्रेड विक्रय मूल्य पर किया गया एवं इसे विशिष्ट कान्ड्रा के रूप में लेखा में व्यक्त किया गया है।

7.2 आलोच्य वर्ष के दौरान स्टोविंग एवं बचाव कार्यो के लिए हाथ में लिए गए कार्यो के लिए किए गए सहायता के दावे, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा छः महीने के लिए रू. 15.84 करोड़ (रू. 20.73 करोड़) की प्राप्ति हुई है। बाकी बचे छः महीने की अवधि के लिए आकलन पहले की दर किया गया है एवं ऋण तथा अग्रिम में दिखाया गया है। (नोट – 19)

7.3 वर्ष 2011-12 के दौरान ईसीएल में सम्पत्ति कर के सम्बन्ध में अधिनियम में दिए गए प्रावधान के मुताबिक गणना के आधार पर देयता नहीं है। अतः सम्पत्ति कर का प्रावधान लेखा में नहीं रखा गया है।

7.4 आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115जेबी में दिए गए प्रावधान में मीनीमम अल्टरनेट टैक्स के भुगतान के संबंध में ईसीएल में कोई देयता नहीं हैं क्योंकि ईसीएल एक बीमार कंपनी है और बीआईएफआर के तहत है।

8.0 पूंजी प्रतिबद्धता एवं आकस्मिक देयताएं :

8.1 रू. 135.30 करोड़ शुद्ध (रू. 60.95) करोड़ की प्राकलित राशि को ठेके के मद में कार्यान्वित करना बाकी है ।

8.2 कंपनी के विरूद्ध दावे को बकाया में नहीं दिखाया गया है :

(रू. करोड़ में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
विक्रय कर	149.54	138.67
रायल्टी एवं सेस	2947.50	2650.11
अन्य	460.00	115.66
कुल	**3557.04**	**2904.44**

9.0 निदेशकों का पारिश्रमिक :

	चालू वर्ष	गत वर्ष
वेतन एवं भत्ते	1.24	.59
भविष्य निधि	.08	.08
अनुलाभ	.16	.06
सेवा निवृति लाभ	शून्य	.26
कुल	**1.48**	**.99**

वेतन एवं भत्ते में रू. 0.44 करोड़ का पीआरपी शामिल है।

क) परिलब्धि में कंपनी के नियमानुसार जो विद्युत प्रभार, पर भाड़ा वसूल किए गए हैं तथा मुफ्त चिकित्सा सुविधा, उन्हे शामिल नहीं किया गया है।

ख) इसके अलावे निदेशकों को 750 किलो मीटर तक प्रत्येक माह निजी यात्रा के लिए सेवा शर्तों के अनुसार रू.400.00 प्रतिमाह में भुगतान पर यात्राकरने दी जाती है।

10.2 कोयला का उत्पादन 305.59 लाख टन (308.03 लाख टन)।

11.0 कोयला : **(मात्रा लाख टन में)** **(रू. करोड़ में)**

	चालु वर्ष 31.03.12	गत वर्ष 31.03.11	चालु वर्ष 31.03.12	गत वर्ष 31.03.11
प्रारम्भिक स्टाक समयोचित	47.91	37.56	430.58	320.68
एवं जब्त कोयला	---	0.01	14.40	0.05
बिक्रय (*)	304.90	293.65	8262.09	5882.60
शेष स्टॉक (**) :	45.19	47.91	476.64	430.58

(*) इनमें कर्मचारियों के घरेलु खपत एवं ब्यायलर खपत के लिए जारी कोयला 3.40 लाख टन (3.77 लाख टन) विविध के लिए 0.01 लाख टन (0.03 लाख टन) शामिल नहीं है।

(*) शुद्ध सरप्लास/कमी शून्य लाख टन (शुद्ध) (0.24 लाख टन))(शुद्ध)

13.0 विदेशी मुद्रा में आमदनी लाख में रू. शून्य लाख (रू शून्य लाख)

14.0 आयात का सीआईएफ मूल्य (रू करोड़ में)

	चालु वर्ष	गत वर्ष
(क) कच्चा माल	शून्य	शून्य
(ख) उपकरण, भंडार तथा स्पेअर्स	21.18	35.86
(ग) पूंजीगत माल	28.97	10.40

15.0 विदेशी मुद्रा में व्यय :

क)	यात्रा खर्च	0.14	0.32
ख)	तकनीकी जानकारी एवं विदेशी सलाह	—	—
ग)	विदेशियों का पेंशन	——	0.00
घ)	अन्य	6.95	4.65

16.0 31 मार्च, 2012 को समाप्त अवधि में भंडार की कुल खपत :

(रू. लाख में)

(प्रतिशत)

	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
(क) कुल आयातित सामानों की खपत	21.64	8.50	3.82	1.58
(ख) स्वदेशी	552.58	531.06	96.18	98.42

17.0 सामान्य :

17.1 परिसंपत्तियों की हानि (प्रोस्पेक्टिंग, बोरिंग एवं खान निकासी दर्ज की जाती हैं जब प्रत्येक खदान की वहन क्षमता उसके वसूली राशि से बढ़ जाती हैं जो बाद के 5 वर्षों के स्थिर मूल स्तर पर भविष्य नकद प्रवाह के आधार पर ज्ञात की जाती है।

17.2 2005-06 में एफबीटी के लिए रू. 8.10 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया गया। जिसके बदले रिटर्न रू. 7.49 करोड़ जमा किया गया। बाद में संशोधित देयता रू. 4.0 करोड़ दिखलाते हुए एक अपील की गई जो उचित प्राधिकारी के पास लंबित है।

17.3 प्रबंधन की राय में ऋण एवं अग्रिम समेत सभी चालू परिसंपत्तियाँ वसुली योग्य मूल्य के हैं जिसका मान कम से कम उस रकम के बराबर जो वर्णित हैं। बाद में सभी ज्ञात देयताओं के लिए पर्याप्त प्रावधान भी किया गया है।

17.4 देनदारों के साथ बकाया का मिलान शाश्वत आधार पर किया जाता है जहाँ लेनदारों एवं अन्य पार्टियों से पुष्टि प्राप्त नहीं होती, बुक बैलेन्स को सही माना जाता है।

17.5 वर्ष 2004 - 05 में सतग्राम क्षेत्र में एक दुर्विनियोग मामले की पहचान की गई है तथा प्राथमिकी दर्ज की गई है एवं मामले को बीमा कंपनी के साथ उठाया गया है । मामले में शामिल राशि प्राथमिकी दर्ज कराने की तिथि तक रू. 0.40 करोड़ है । सीबीआई एवं विभागीय जाँच कार्य प्रगति पर है ।

17.6 कंपनी को बीमार घोषित कर दिया गया तथा बीआईएफआर को भेज दिया गया एवं मामला सं० 501/2000 दर्ज किया गया। बीआईएफआर ना पुनर्वास योजना तैयार करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को आपरेटिंग एजेंसी नियुक्त किया। कंपनी ने स्टेक होल्डरों के साथ विस्तार से विचार विमर्श करने के पश्चात एक पुनर्वास योजना तैयार की एवं ओपरेटिंग एजेंसी के माध्यम से बीआईएफआर के पास जमा करवा दिया। बीआईएफआर ने इसके कार्यान्वयन के लिए नवम्बर, 2004 में इस योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी। बीआईएफआर स्वीकृत योजनानुसार कंपनी का शुद्ध मूल्य कोल इंडिया से प्राप्त होने वाले छूट / अनुदान को मानते हुए 2008-09 तक सकारात्मक होने की बात कही गई लेकिन उत्पादन में बढ़ोत्तरी के लिए कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी होने के वजह से, 01.7.2001 से 30.6.2006 तक के लिए एनसीडब्ल्यूए – VII के कार्यान्वयन एवं 16.06.2004 से कोयले के विक्रय मूल्य की समीक्षा के कारण वास्तविक एवं वित्तीय प्रक्षेपण में सुधार किया गया एवं तदनुसार संशोधित सुधार योजना तैयार की गई। संशोधित योजना बीआरपीएसई द्वारा अनुमोदित की गई तथा भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2006 में मंजूरी दे दी गई। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत संशोधित सुधार योजना के मुताबिक कंपनी का शुद्ध मूल्य 2009-10 तक सकारात्मक होने की बात कही गई।

फिरभी कंपनी का 2009-10 तक शुद्ध मूल्य सकारात्मक नहीं हो सका क्योंकि कई परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्ति में विलंब होने के कारण परियोजनाएं समय पर पूर्ण नहीं हो सकी, भूमि अधिग्रहण में कठिनाईयाँ, वन विभाग की स्वीकृति में विलंब हुई। इसके अतिरिक्त एनसीडब्ल्यूए –VIII (01.7.2006 से) तथा अधिकारियों का 01.01.2007 से वेतन समीक्षा की भी कार्यान्वयन करना पड़ा।

अत: कई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब को ध्यान में रखते हुए एक संशोधित सुधार योजना पुन: तैयार की गई तथा संशोधित सुधार योजना के अनुसार कंपनी का शुद्ध मूल्य 2014-15 तक सकारात्मक होने की बात कही गई, एवं इसका चर्चा के लिए 31 अगस्त 2009 एवं 01 सितबंर 2009 को ईसीएल बोर्ड की 230 वीं बैठक में रखी गई। लेकिन विभिन्न परियोजना में हुए विलम्ब के कारण जनवरी, 2010 को सम्पन्न बैठक में कार्यकारी निदेशकों ने सुझाव दिया कि वास्तविक पैरामीटर में संशोधित करके उसे 2010-11 से 2016-17 कर दिया जाय। इसी बीच कोयला विक्रय मुल्य भी 16 अक्टूबर 2009 से बढ़ा दिया गया।

इसलिए पहले तैयार किए गए वित्तीय प्रक्षेपण में फिर संशोधन किया गया तथा, संशोधित प्रक्षेपण के मुताबिक कंपनी का शुद्ध मूल्य 2016-17 में सकारात्मक होने बात कही गई, जिसके साथ सीआईएल ऋण की माफी एवं चालू लेखा शेष का इक्विटी मेंय परिवर्तन भी सामिल था। 05 अगस्त 2010 को सम्पन्न ईसीएल बोर्ड की 237 वीं बैठक में उपरोक्त संशोधित मसौदे / संशोधित प्रस्ताव की मंजूरी दे दी गई। कंपनी ने डीएमआरपी को बीआरपीएसई के पास प्रस्तुत किया तथा बीआरपीएसई ने ईसीएल के मामले को 27 अगस्त 2010 को सुनवाई की बीआरपीएसई ने कंपनी को सुझाव दिया कि बीआईएफआर से पहले ही छुटकारा पाने के लिए परियोजनओं को समय पर कार्यान्वयन की जाय एवं कंपनी के वास्तविक एवं वित्तीय प्रक्षेपण में संशोधित किया जाय। तद्नुसार संशोधित डीएमआरपी तैयार किया गया है तथा संशोधित योजना के मुताबिक कंपनी 2014-15 तक बीआईएफआर

से बाहर निकल आएगी। कंपनी का विक्रय मूल्य आयातित कोयला मूल्य के समतुल्य बढ़ गई है जिससे 2009-10 एवं 2010-11 में कंपनी लाभ प्राप्त कर सके।

मॉनिटरिंग एजेंसी एवं एसबीआई द्वारा नियुक्त तकनीकी सलाहकार के साथ एक बैठक 02.09.2011 को बीआईएफआर के कार्यालय में सम्पन्न हुई तथा स्थिति का पुन: निर्धारण किया गया जो निम्नलिखित है -

i) सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उत्पादन लक्ष्य की आगे समीक्षा की गई।

ii) आयातित कोयला मूल्य के साथ समतुल्य कोयले का मूल्य निर्धारण।

iii) संरक्षित आकलन के साथ प्रक्षेपण तैयार किया जाय।

तदनुसार ईसीएल ने एक संशोधित आकलन जमा किया जहाँ पर यह दिखाया गया है कि 2013-14 में ईसीएल का शुद्ध मूल्य सकारात्मक हो जायगा या सीआईएल के मूल्य निर्धारण दिशा निर्देश से कंपनी का शुद्ध मूल्य 2015-16 में सकारात्मक हो जायगा। इस स्थिति की जानकारी बीआईएफआर को दे दी गई है। उपरोक्त स्थिति के मद्देनजर कंपनी का लेखा गोइंग कंसेप्ट आधार पर तैयार किया गया है।

18.0 लेखांकन स्तर :

क) लेखांकन स्तर 17 : सेगमेंट प्रतिवेदन - कंपनी मूलत: कोयले के उत्पादन एवं विपणन से जुड़ी हुई है । इसके अलावा कंपनी का और दूसरा कोई सेगमेन्ट नहीं है ।

ख) लेखांकन स्तर - 18 - संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण -राज्य नियंत्रित इन्टरप्राईजों को स्वीकृत छूट के मद्देनजर राज्य नियंत्रित इन्टरप्राईजेज एवं इन इन्टरप्राईजों के साथ लेनदेन, ए. एस - 18 के तहत प्रकट नहीं किया गया है । यह कंपनी के लिए प्रयोज्य नहीं है ।

ग) **लेखांकन स्तर - 19 पट्टे :** दिनांक 31 मार्च 1993 के पट्टा समझौता के तहत कंपनी एवं डिसरगढ़ पावर सप्लाई कंपनी लि० (वर्तमान में डीपीएससी लि०) रजिस्टर्ड कार्यालय सं० 8 क्लाईव रोड, कोलकाता के बीच 2 X 10 मेगावाट चीनाकुड़ी थर्मल पावर स्टेशन जिसमें भूमि, भवन, पी एण्ड एम इत्यादि शामिल है । यह पट्टा समझौता इसकी प्रारंभ होने के तिथि 1.4.1991 से 20 वर्षों के लिए है । डीपीएससी लि० द्वारा पट्टा भाड़ा का भुगतान समझौता के तहत होगा । पट्टा अवधि 1 वर्ष के लिए मार्च 2012 तक बढ़ाया गया। मूल्य ह्रास समेत परिसंपत्तियों की लागत सकल मूल्य पर स्थिर संपत्तियों की अनुसूची के तहत होगा तथा मूल्य ह्रास निम्नलिखित है -

(रू. करोड़ में)

	सकल मूल्य	वर्ष के लिए मूल्य ह्रास	31.03.12 तक मूल्य ह्रास	शुद्ध मूल्य (31.03.12 को)
1. विद्युत संयंत्र	40.24	----	38.24	2.00
	(40.24)	(16.89)	(38.24)	(2.00)
2. भवन	10.20	0.31	6.69	3.51
	(10.20)	(0.31)	(6.38)	(3.82)
3. अन्य परिसंपत्तियां	7.70	--	6.41	1.32
	(7.70)	(0.19)	(6.41)	(1.32)

मार्च 2012 के लिए पट्टा भाड़ा रू. 3.50 करोड़ (विगत वर्ष रू. 3.50 करोड़) प्राप्त हुआ एवं लाभ-हानि लेखा में दर्ज किया गया है (नोट - च)।

31 मार्च 2012 को पर्याप्त वर्ष के लिए लाभहानि लेखा में कोई आकस्मिक भाड़ा आमदनी के रूप में नहीं दिखायागया है। लीज आउट परिसम्पत्तियों के संबंध में राजस्व का प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत की अवधि में लाभ-हानि लेखा के विवरण में व्यय के रूप में पहचान किया गया था।

घ) प्रति शेयर आमदनी वर्ष 2011-12 में कंपनी के लाभ में इक्विटी शेयर को भाग देकर निकाला जाता है, विवरण नीचे है -

(रू करोड़ में)

क) वर्ष 2011-12 दौरान लाभ - 962.13

ख) औसत शेयरों की संख्या - 2218450000 ईपीएल (क/ख) = रू. 433.69

(ड़) लेखांकन स्तर - 22 आमदनी पर कर का लेखांकन -

उचित निश्चयता के अभाव में कि भविष्य में पर्याप्त करयोग्य आमदनी उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध आस्थगत कर वसुल किया जा सकता है। किसी आस्थगत परिसंपत्ति की पहचान एएस-22 के तहत नहीं की जा सकी ।

(च) **लेखांकन स्तर - 24** : वर्ष के दौरान कोयला खनन व्यवसाय में कोई गैर अनुवर्ती नहीं है।

छ) लेखांकन स्तर - 28 : प्रोस्पेक्टिंग एवं बोरिंग पर तथा दूसरी खदानों के विकास पर 28.75 करोड़ (9.66 करोड़) के घाटे को मार्च 2012 के लिए लाभ हानि लेखा के तहत परिसम्पत्ति की हानि शीर्ष में नामे कर दिया गया है। जो लेखांकन नीति संख्या 8.00 के तहत है।

ज) लेखांकन स्तर - 29 : वर्ष के दौरान आकस्मिक देनदारी एवं आकस्मिक परिसम्पत्तियों के प्रावधान के बारे में नीचे आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है -

(रू. करोड़ में)

विवरण	01.04.2011 को रोकड़ प्रावधान	वर्ष के दौरान प्रावधान	वर्ष के दौरान रिटेन बैक प्रावधान	31.03.2012 को रोकड़ प्रावधान
गैर सेवा योग्य / नष्ट / लुप्त भंडार	11.66	-	-	11.66
अचल भंडार	28.19	5.07	0.26	33.00
ऋण एवं अग्रिम	18.19	1.36	0.16	19.39
खदान बंदी योजना	95.85	57.42	---	153.27
स्टोइंग लैग	1339.41	---	1339.41	---
भूमि उद्धार	1899.23	---	1899.23	---
ग्रेच्युटी के लिए बीमाकंक प्रावधान	2074.72	581.12	---	2655.84
छुट्टी नकदीकरण के लिए बीमांकक प्रावधान	350.50	37.48	---	387.98
एलटीसी / एलएलटीसी के लिए बीमांकक प्रावधान	12.75	10.06	---	22.81
लाईफ कवर स्कीम के लिए बीमांकक प्रावधान	11.47	10.36	---	21.83

व्यवस्थापन भत्ता के लिए बीमांकिक प्रावधान	0.78	64.20	---	64.98
जान लेवा खान दुर्घटना लाभ हेतु बीमांकक प्रावधान	45.76	1.93	---	47.69
सकल व्यक्तिगत दुर्घटना पालिसी के लिए बीमांकक प्रावधान	0.16	0.02	---	0.18
सेवा निवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ के लिए बीमांकक प्रावधान	3.31	3.40	---	6.71
कुल	2653.34	772.42	0.42	3425.34

18.0 सीएसआर के लिए कोई रिजर्व नहीं रखा गया क्योंकि ईसीएल नकारात्मक शुद्ध मूल्य के साथ बीआईएफआर में है।

19.0 कोष्ठक में दिए गए आंकड़ें विगत वर्ष के हैं।

20.0 विगत वर्ष के आंकड़े को रीग्रुप, रीअरेन्टेड एवं रीकास्ट किया गया है, जहाँ जरूरी समझा गया।

वार्षिक प्रतिवेदन
तथा लेखा विवरण
2011-12

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इण्डिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी)

सांकतोड़िया, पत्रालय - डिसरगढ़, जिला - बर्द्धमान (प.बं.)

विषय सूची

क्रमांक		पृष्ठ संख्या
1.	प्रबंधन / बैंकर्स / लेखा परीक्षक	1
2.	वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना	3
3.	अध्यक्ष का कथन	5
3.	निदेशकों का प्रतिवेदन	8
4.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी तथा लेखा की समीक्षा	130
5.	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन एवं प्रबंधन का उत्तर	132
6.	वित्तीय निष्पादन	146
7.	31 मार्च, 2012 का तुलन पत्र	150
8.	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा	152
9.	तुलनपत्र की अनुसूची	156
10.	लाभ हानि लेखा की अनुसूची	184
11.	लेखांकन नीति	199
12.	लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणीयाँ	203